लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

Preservation
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol.XII contains Nos.1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 15 फरवरी, 1968/ 26 माघ, 1889 (शक)

No. 4, Thursday, February 15, 1968/ Magha 26, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

*S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
61.	समाचारपत्रों तथा समाचार अभिकरणों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Newspapers and News Agencies	309—315
62.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाना में गेंहूँ की खरीद	Purchase of Wheat in Haryana by FCI	315—317
63.	फिल्म उद्योग में मजूरी ढांचा तथा कार्य की दशा	Wage Structure and Conditions of work in Film Industry	317—318
64.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ़ की फसल की खरीद	Procurement of Kharif crop by Food Corporation of India	318—323

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

65.	खाद्यान्नों के दामों में वृद्धि	Increase in prices of Foodgrains	323—324
66.	खाद्यान्नों का राशन	Rationing in Foodgrains	324
67.	बेरोजगारी	Unemployment	325
68.	अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन संबंधी डाक टिकट	Stamp on International Tamil Conference	325—326

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
69.	पंजाब और हरियाना में खाद्यान्नों के कम मूल्य	Low Price of Foodgrains in Punjab and Haryana	326
71.	आयातित गेहूँ तथा माइलो के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of imported wheat and Milo	326—327
72.	गुप्त मतदान द्वारा कामिक संघों को मान्यता	Recognition of Trade Unions by Secret Ballot	327
74.	भारतीय खाद्य निगम के चारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike Threat by F. C. I. Employees	327—328
75.	पश्चिमी बंगाल में कारखानों का बन्द होना	Closure of Factories in West Bengal	328
76.	वर्ष 1968 में आयातित खाद्यान्नों की आवश्यकता	Requirement of Imported Foodgrains for 1968	328—329
77.	हिमाचल प्रदेश को पंजाब के खाद्य ज़ोन में शामिल करना	Inclusion of Himachal Pradesh in Punjab Food Zone	329
78.	हड़तालों, तालाबन्दी तथा घेरावों के कारण श्रम घंटों की हानि	Loss of Man-Hours due to Strikes, Lockouts and Gheraos	330
79.	दिल्ली में राशन के अनाज के दामों में वृद्धि	Increase in Price of Rationed Foodgrains in Delhi	330—331
80.	मध्य प्रदेश से बाहर दालों का निर्यात	Export of Pulses out of M.P.	331
82.	चीनी के मूल्य	Sugar Prices	331—332
83.	खाद्य उत्पादन	Food Production	332
84.	चावल का समाहार (खरीद)	Procurement of Rice	332—333
85.	हरियाना में मध्यावधि चुनाव	Mid-Term Elections in Haryana	333
86.	हरियाना में गेहूँ के दाम	Wheat Price in Haryana	333
87.	कृषि अनुसंधान छात्रों को प्रोत्साहन	Incentives to Agricultural Research Scholars	333—335
88.	गन्ने की खेती के लिए भूमि	Area under sugarcane cultivation	335
89.	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains	335—336
90.	कृषि सम्बन्धी ऋण समितियां	Agricultural Credit Societies	336

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.		
419.	पश्चिम बंगाल को चावल तथा गेहूँ की सप्लाई	Rice and Wheat Supply to West Bengal	337
420.	डाक तथा तारघर	Posts and Telegraph Offices	337
421.	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	337—338
422.	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	338—339
423.	भारतीय खाद्य निगम, निजामाबाद	Food Corporation of India, Nizamabad	339
424.	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	339
425.	आंध्र प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप	Exploratory Tube-wells in Andhra Pradesh	340
426.	फसलों को क्षति	Damage to Crops	340
427.	जोती गई भूमि	Land under cultivation	340—341
428.	खुदाई के बर्मे (ड्रिलिंग रिग्स)	Drilling Rigs	341—342
429.	टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections	342
430.	निजाम शुगर फैक्ट्री, बोधन	Nizam Sugar Factory, Bodhan	342—343
431.	चीनी बनाने के कारखाने	Sugar Mills	343—344
432.	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का नागालैंड में बसाया जाना	Rehabilitation of refugees from East Pakistan in Nagaland	344
434.	नाभिकीय अनुसन्धान प्रयोगशाला	Nuclear Research Laboratory	344—345
435.	उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in UP	345
436.	सागर-जबलपुर टेलीफोन लाइन	Sugar Jabalpur Telephone Line	345—346
437.	सुपर बाजारों में अभिनवीकरण योजना	Rationalisation Scheme in Super Bazars	346—347
438.	कोयला, अभ्रक और लौह अयस्क खान कल्याण निधि का एकीकरण	Integration of coal, Mica and Iron Ore Mines Welfare Funds	347

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
439.	कृषि उत्पादों की लागत के आंकड़े	Cost Data for Agricultural Production	347—348
440.	दिल्ली में सुपर बाजार के लिये मुख्य सेवा नियंत्रक की नियुक्ति	Appointment of Chief Controller of accounts, Super Bazar, New Delhi	348
441.	सहकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries in Co-operative Sector	348—349
442.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	349
443.	द्वितीय चीनी मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Second Sugar Wage Board's Report	349—350
444.	खेतिहर मजदूरों की सहकारी समितियां	Agricuttural Labourers Co-operative Societies	350
445.	सहकारी समितियां	Co-operative Societies	350
446.	खेती योग्य परती भूमि	Cultivable Fallow Land	350—351
447.	उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilizer by Co-operatives in U.P.	351
448.	खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains	351—352
449.	बिहार के लिये आपतकालीन सहायता समिति	Emergency Relief Committee for Bihar	352
450.	उपग्रह संचार केन्द्र	Satellite Communication Exchange	352—353
451.	सामुदायिक विकास तथा सहकार विभाग में हिन्दी में काम करने के लिये पद	Posts for Hindi Work in Community Development and Co-operation Department	353—354
452.	दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Telephone System in Delhi	354
453.	खाद्यान्न के मूल्य	Prices of Foodgrains	354—355
454.	दिल्ली और श्रीनगर के बीच माइक्रो क्रास-बार संचार व्यवस्था का खराब हो जाना	Breakdown of Micro Crossbar Communication System between Delhi-Srinagar	355
455.	हड़तालों आदि के कारण मजदूरों में बेरोजगारी	Unemployment of workers due to Strikes etc.	355—356

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
456. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की वसूली	Procurement of Foodgrains by Food Corporation of India	356
457. मद्रास के गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Dock Workers of Madras	356
458. तार कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Telegraph Men	357
459. क्रासबार एक्सचेंज	Cross-bar Exchanges	357—358
460. हरियाना में अनाज की क्षति	Damage to Foodgrains in Haryana	358
461. अनाज की वसूली	Food Procurement	358
462. सोनो (बिहार) में तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की व्यवस्था	Arrangement for Telegrams and Public Telephones in Sono (Bihar)	358—359
463. भोर (बिहार) में डाकघर	Post Office in Bhour (Bihar)	359
465. खरीद समितियां	Purchase Committees	359
466. केरल को आवंटित चावल का मूल्य	Price of Rice allotted to Kerala	359—360
467. केरल को चावल का नियतन	Rice Allotment to Kerala	360
469. नई दिल्ली के सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति	Managing committee of super Bazar, New Delhi	360
470. हरियाना में इंजीनियरों की बेरोजगारी	Unemployment of Engineers in Haryana	360—361
471. दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा	Loss in Delhi Milk Scheme	361
472. मनीपुर में भूमि का अनारक्षण	Dereservation of Land in Manipur	361—362
473. वनस्पति को रंगना	Colourisation of Vanaspati	362
474. मजदूर संघ	Trade Unions	362
475. पिम्परी में बसे विस्थापित सिंधी व्यक्ति	Sindhi Displaced Persons at Pimpri	362
476. मतपत्रों की छपाई	Printing of Ballot Papers	363
477. मतपत्रों की छपाई	Printing of Ballot Papers	363
478. मध्य प्रदेश में भू-बन्धक बैंक	Land mortgage banks in Madhya Pradesh	363—364
479. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध चूर्ण की खरीद	Purchase of Milk Powder by DMS	364

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
480.	चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं के लिए सवारी की व्यवस्था	Provision of conveyance to voters by Candidates during Elections	364—365
481.	राष्ट्रमंडलीय वनशास्त्र सम्मेलन	Commonwealth Forestry Conference	365
482.	अपना टेलीफोन लगवाइये योजना	O.Y-T Scheme	366
483.	हिन्दी कानून आयोग	Hindi Law Commission	366—367
484.	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक संबंधी गोष्ठी	All India Seminar on Agricultural Labour	367
485.	केरल में दूरसंचार के लिये केबलों की सप्लाई	Supply of Cables for Telecommunications in Kerala	367
486.	केरल सर्किल में दूर संचार व्यवस्था का विस्तार	Extension of Tele-Communications in Kerala Circle	368—369
487.	चीनी का मूल्य	Sugar Price	369
488.	इंजीनियरी उद्योग तथा पत्तनों एवं गोदियों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry and Ports and Docks	369
489.	सीमेंट उद्योग सम्बन्धी द्वितीय मजूरी बोर्ड	Second Wage Board for Cement Industry	370
490.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के दाम बढ़ाये जाना	Increase in Milk price by DMS	370—371
491.	पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिये नये कैम्प	New Camps for East Pakistan Migrants	371
492.	सुपर बाजारों में कार्यकरण सम्बन्धी लोकनाथन समिति	Loknathan Committee re. functioning of Super Bazars	372
493.	बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Burma	372
494.	समुद्रपार संचार सेवा द्वारा कागज की खरीद	Purchase of Paper by Overseas Communications Service	372—373
495.	अमरीका से अनाज	Foodgrains from USA	373—374
496.	पश्चिम बंगाल में घेराव	Gheraos in West Bengal	374
497.	वन सम्पत्ति में कमी	Shortage in Forest Wealth	374—375

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
498. खाद्य जोनों की समाप्त करना	Abolition of Food Zones	375—376
499. दिल्ली में दुग्ध टोकन धारी	Milk Token holders in Delhi	376
500. मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connection in Madhya Pradesh	376
501. इंजीनियरों में बेरोजगारी	Unemployment among Engineers	377
502. चुनाव याचिकायें	Election Petitions	378
503. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सम्मान में डाक टिकट	Stamp on Netaji Subhas Chandra Bose	
504. विशेष स्मृति टिकट जारी करना	Issue of special commemorative Stamps	378—379
505. अनाज का उत्पादन	Production of Foodgrains	379—380
506. बिहार में चीनी मिलें	Sugar Mills in Bihar	380
507. बिहार को अनाज की सप्लाई	Food Supply to Bihar	380—381
508. चीनी का आंशिक विनियंत्रण	Partial Decontrol of Sugar	381
509. चीनी का निर्यात	Export of Sugar	381
510. उपभोक्त मूल्य–सूचकांक	Consumer Price Index	381—382
511. लोक-सभा के स्थानों के लिये उपचुनाव	By-Election to Lok Sabha Seats	382
512. दल बदलने को रोकने के लिये कानून बनाना	Legislation to check Defections	382
513. 1967-68 में चीनी के उत्पादन में कमी	Fall in Sugar output during 1967-68	383
514. दिल्ली में गेहूँ का राशन	Wheat Rationing in Delhi	383
515. गन्ने का मूल्य	Sugarcane Price	383—384
516. उर्वरक छिड़कना	Spraying of Fertilizers	384
517. आधुनिकीकृत चावल मिलें	Modernised Rice Mills	384—385
518. परदा प्रथा	Purdah System	385
519. अन्तर्राष्ट्रीय युवक किसान आदान-प्रदान कार्यक्रम	International Farm Youth Exchange Programme	385
520. शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी	Unemployment among Educated Persons	385—386

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय। SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
521.	पूर्वी बंगाल में बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों का प्रव्रजन — Migration of Buddhist and Christian Refugees from East Bengal	386
522.	पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने वाले शरणार्थी — East Pakistan Refugees	386
523.	उर्वरकों का आयात — Import of Fertilizers	387
524.	उन्नत बीजों की बिक्री — Sale of Improved Seeds	387—388
525.	राज्यों के सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के मंत्रियों का सम्मेलन — Conference of Ministers of States of community development and Panchayatiraj	388
526.	दिल्ली में राशन की मात्रा — Ration quantum in Delhi	388—389
527.	दिल्ली दुग्ध योजना — Delhi Milk Scheme	389
528.	दूध के कार्डों के लिये आवेदनपत्र — Applications for Milk Cards	389—390
529.	दिल्ली दुग्ध योजना — D.M.S.	390
530.	पुराना लाजपत राय मार्केट, दिल्ली — Old Lajpat Rai Market. Delhi	390—391
531.	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये दुकानें — Shops for displaced persons in Delhi	391
533.	राज्यों को चीनी का दिया जाना — Release of Sugar to States	391
534.	राजस्थान में मैक्सिकन किस्म के गेहूं का उत्पादन — Production of Mexican variety of wheat in Rajasthan	391—392
535.	श्रीलंका से वापस आए हुए भारतीय — Indian rapatriates from Ceylon	392
536.	चावल का निर्यात — Export of rice	392—393
537.	राजस्थान को खाद्यान्न का संभरण — Food Supply to Rajasthan	393—394
538.	संकर बीजों का उत्पादन — Production of Hylrid Seeds	394—395
539.	व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्नों का उत्पादन — Conversion from commercial to Food Production	395—396
540.	चीनी और गेहूँ के मूल्य — Cost of Sugar and Wheat	396
541.	अभावग्रस्त क्षेत्र — Scarcity Areas	397
542.	चीनी का उत्पादन — Sugar Production	397—398

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
543. वर्ष 1968–69 में खाद्य उत्पादन	Food Production in 1968-69	398
544. सड़क परिवहन उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Road Transport Industry	398—399
546. पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा मक्का की खरीद	Maize Purchase by F.C.I. in Punjab	399—400
547. चीनी का उत्पादन	Sugar production	400
548. पी० एल० 480 के अधीन खाद्यान्न का आयात	Food Import under PL 480	400—401
550. खाद्यान्नों का उत्पादन	Production of Foodgrains	401—402
551. विधि आयोग	Law Commission	402
552. कमी वाले राज्यों के लिये खाद्यान्नों का आवंटन	Allotment of Foodgrains to deficit States	402—403
553. सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार	Corruption in Co-operative Societies	403
555. दिल्ली में उपजाऊ भूमि का अर्जन	Acquisition of Fertile Land in Delhi	403
556. समुद्री घास से खाद्य पदार्थ	Food from sea weeds	403—404
557. उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to U. P.	404—405
558. केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास सलाहकार परिषद् की बैठक	Central Poultry Development Advisory Council Meeting	405—406
559. आलू की फसल	Potato Crop	409
560. महाराष्ट्र को गेहूँ का संभरण	Wheat Supply to Maharashtra	406—407
561. बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repartriates from Burma	407
562. पुरी के डाक तथा तार मुख्यालय की डाक तथा तार कर्मचारियों की बस्ती	P & T Colony of Puri Head Office	407—408

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
563.	चीनी का मूल्य	Sugar Price	408—409
564.	बिहार के लिये खाद्यान्नों का आवंटन	Food Allotments to Bihar	409
565.	सरकारी फार्म	State Farms	409—410
566.	रेडियो टेलीफोन संचार	Radio Telephone Communications	410
567.	दक्षिण भारत में संसद् का सत्र	Parliament Session in South India	410
568.	केन्द्रीय अधिनियमों का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन	Publication of Central Acts in various Languages	410—411
569.	भिंड और इटावा के बीच टेलीफोन सम्पर्क	Telephone Link between Bhind and Etawah	411
570.	मजदूर संघों का चुनाव	Election to Labour Union	411
571.	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Essential Commodities	411—412
572.	वनस्पति उद्योग के लिये रंग का निर्धारित नमूना	Colour specification for Vanaspati Industry	412
573.	पंजाब में मक्का जमा हो जाना	Accumulation of Maize in Punjab	412—413
574.	संकर बीजों का उत्पादन	Production of Hybrid Seeds	413
575.	बम्बई टेलीफोन निर्देशिका	Bombay Telephone Directory	413
576.	पूर्वी पाकिस्तान से आने-जाने वाले शरणार्थी	East Pakistani Refugees	413—414
577.	राष्ट्रीय श्रम आयोग	National Labour Commission	414
579.	कोयला उद्योग मजूरी बोर्ड	Coal Wage Board	414
580.	प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना	Labour participiton in Managements	414—415
581.	शिमला में सचेतक सम्मेलन	Whips Conference at Simla	415
582.	सहकारी संयुक्त खेती समितियां	Co-operative Joint Farming Societies	415—416
583.	भारतीय सागर में उपग्रह	Satellite in Indian Ocean	416—417
584.	स्वचालित बेकरियां लगाना	Automatic Bakeries	417
585.	राशनिंग पर व्यय	Expenditure on Rationing	417—418
586.	सामुदायिक विकास तथा सहकार विभाग में हिन्दी क्लर्क	Hindi clerk in Community Development and co-operation Department	418

अता० प्र० संख्या।
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
587.	मोदी नगर (उत्तर प्रदेश) में श्रमिक विवाद	Labour trouble in Modinagar (U.P.)	418
588.	विधि मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Law Ministry	419
589.	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	419—420
590.	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	420—421
591.	आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास में चावल का समाहार मूल्य	Procurement Price in Andhra Pradesh and Madras	421
592.	जनरल जोरावर सिंह स्मृति टिकट	Commemoration stamp in Honour of General Zorawar Singh	422
593.	कृषि वायु सेना	Agricultural Air Force	422
594.	सामुदायिक विकास खण्डों तथा पंचायत समितियों के लिये कर्मचारी	Staff for Community Development Blocks and Panchyat Samities	422—423
595.	सागौन की लकड़ी के जंगल	Teak Wood Forests	423—424
596.	खाद्य उत्पादन प्रतियोगिता	Food Production Competition	424
597.	संकटग्रस्त चीनी मिलों की व्यवस्था में सुधार करना	Rehabilitation of Sick Sugar Mills	424—425
598.	दिल्ली में नये टेलीफोन कनेक्शन	New telephone connections in Delhi	425
599.	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को गेहूँ तथा चीनी की सप्लाई	Wheat and Sugar Supply to Madhya Pradesh, U.P. and Himachal Pradesh	425
600.	राज्यों को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains for States	426
601.	दिल्ली में खाद्यान्नों की तस्करी	Smuggling in Foodgrains in the Capital	426—427
602.	दुग्ध और खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Milk and Foodgrains	427
603.	सहकारी क्षेत्र में चावल की मिलें	Rice Mills in Co-operative Sector	427—428
604.	आधुनिक चावल मिलें	Modern Rice Mills	428
605.	दिल्ली में अपना टेलीफोन योजना	O. Y. T. Scheme in Delhi	429
606.	बिहार में सूखे की रोकथाम	Prevention of Drought in Bihar	429—430

अता० प्रश्न संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
607.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई	Milk Supply by DMS	430
609.	मध्य प्रदेश में नलकूपों का लागाया जाना	Sinking of Tubewells in Madhya Pradesh	430—431
610.	मध्य प्रदेश में मशीनों से खेती	Mechanisation of Agriculture in Madhya Pradesh	431
611.	आसाम के शिविरों में विस्थापित परिवार	Displaced Families in Assam Camps	431—432
612.	चीनी का आयात	Import of Sugar	432
614.	मैसूर में मत्स्यपालन	Development of Fisheries in Mysore	432—433
615.	कृषि संसाधन संबंधी समिति	Committee re. Agricultural Resources	433
616.	अलाभप्रद मवेशियों के लिये लूप	Loop for uneconomic cattle	433
617.	बेरोजगारी तथा कम रोजगार	Unemployment and under-employment	434
618.	मालपे में मछली पकड़ने का पत्तन	Fishing Harbour at Malpe	434—435
619.	ग्राम सेवक	Gram Sewaks	435
620.	चक बन्दी	Consolidation of Holdings	435—436
621.	बेकार पड़ी भूमि का वितरण	Distribution of Waste Land	436
622.	दिल्ली में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन	Temporary Telephone Connections in Delhi	436—437
623.	पाकिस्तान से हिन्दुओं का भारत आना	Migration of Hindus from Pakistan	437—438
624.	मजूरी निर्धारण व्यवस्था	Wage Fixation Machinery	438
625.	तुर के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Tur	438
626.	भविष्य निधि की राशि का विनियोजन	Investment of Provident Fund Collection	439
627.	श्रम कल्याण उपकर	Labour Welfare cess	439—440

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
628.	शाहगंज और बखतारा में उपडाक तथा तार घर	Sub-post and telegraph office at Shahganj and Bakhtara	440
629.	जवाहर ज्योति नामक गेहूँ का बीज	Wheat Seed Jawahar Joyti	440—441
630.	मुरादाबाद क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Moradabad region	441
631.	सहकारी खेती	Co-operative Farming	441
632.	सहकारी फार्म	Co-operative Farm	441—442
633,	दिल्ली में होटल कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Hotel workers in Delhi	442
634.	पी० एस० 480 के अधीन अनाज का आयात	Import of foodgrains under PL 480	442
635.	डाक तथा तार विभाग के वित्तीय संसाधन	Financial Resources of P & T Department	443
636.	खाद्य विभाग के कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि	Increments to employees of Food Department	443—444
637.	मनीपुर में भू राजस्व की बकाया राशि	Land revenue arrears in Manipur	444
638.	मनीपुर में अनाज की वसूली	Procurement of foodgrains in Manipur	444
639.	वाह्य मनीपुर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव	Election to outer Manipur Parliamentry Constituency	444—445
640.	मनीपुर में कृषि योग्य भूमि	Cultivable land in Manipur	445—446
641.	शहरों में कानूनी राशन व्यवस्था	Statutory rationing in towns	446
642.	ग्रामीण जनशक्ति का मूल्यांकन	Evaluation of Rural Manpower	446—447
643.	केन्द्रीय मजूरी बोर्डों की सिफारिशें	Recommendations of Central wage Boards	447
644.	दिल्ली सहकारी विभाग	Delhi Co-operative Department	447—449
645.	मध्य प्रदेश में करघों का चलना	Working of looms in Madhya Pradesh	449—450
646.	मध्य प्रदेश में भूमिहीन श्रमिकों को बसाना	Resettlement of Landless labourers in Madhya Pradesh	450

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
647. मध्य प्रदेश में 'रिले क्रापिंग'	Relay cropping in Madhya Pradesh	450
648. मध्य प्रदेश की औद्योगिक संस्थाओं में अनियमिततायें	Irregularities in Industrial Establishments in Madhya Pradesh	451
648-क मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र	Tractor Training Centre in Madhya Pradesh	451
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to matter of urgent public importance	451—453
इंजीनियरी स्नातकों के लिये पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता	Failure of Government to provide adequate job opportunities for Engineering Graduates	
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	453—459
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table	459—462
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	462
दिल्ली तथा अजमेर किराया नियन्त्रण (नसीराबाद छावनी निरसन)—विधेयक-राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Delhi and Ajmer Rent control (Nasirabad cantonment Repeal) Bill as passed by Rajya Sabha	
लक्खीसराय स्टेशन पर दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Accident at Luckeesarai Station	462—463
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित	Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill Introduced	463—464
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. Delhi Municipal Corporation (Amendment) Ordinance	464
पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में	Re. Situation in West Bengal	464—466
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of thanks on President's Address	466—476
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	
श्री कुशक बाकुला	Shri Kushak Bakula	

विषय	SUBJECT
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamoni Panigrahi
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu
श्री अमिया नाथ बोस	Shri Amiyanath Bose
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, फरवरी 15, 1968/ 26 माघ, 1889 (शक)
Thursday, February 15, 1968/ Magha 26, 1889 (Saka)

———

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

समाचार पत्रों तथा समाचार अभिकरणों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

\+

*61. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री अ० वि० पाटिल :
श्री जुगल मंडल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री मोलहु प्रसाद :
श्री बलराज मधोक :
श्री टी० पी० शाह :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जनवरी, 1968 को इंडियन एन्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी के कार्यालय के सामने समाचार पत्रों तथा समाचार अभिकरणों के कर्मचारियों ने यह मांग करते हुए कि पत्रकार तथा गैर-पत्रकार मजूरी बोर्डों के पंचाट को लागू किया जाये, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मजूरी बोर्ड के पंचाटों को कार्यरूप देने में क्या कठिनाइयाँ हैं; और

(ग) इन पंचाटों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) :

(क) जी हां ।

(ख) नियोजकों की शिकायत है कि कुछ श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन दरें बहुत अधिक तय की गई हैं और कुछ प्रबन्धक दो वेतन बोर्डों की सिफारिशों के फलस्वरूप आए अतिरिक्त वित्तीय बोझ को वहन करने में असमर्थ हैं ।

(ग) राज्य / केन्द्र प्रशासित प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कार्यकारी पत्रकार (सेवा की परिस्थितियां) और विविध व्यवस्था अधिनियम 1955 के आधीन, कार्यकारी पत्रकारों के लिये बने वेतन बोर्ड की चेष्टा करें :

पत्रकारों के अलावा अन्य कर्मचारियों से सम्बन्धित वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कानूनी शक्ति उपलब्ध नहीं है । इन सिफारिशों पर आग्रह अथवा सलाह द्वारा अमल कराना होगा । राज्य सरकारों से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है और वे ऐसा कर रही हैं ।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या यह सच है कि रूस के प्रधान मंत्री के पहुँचने की पूर्व संध्या के अवसर पर 24 जनवरी को इन कर्मचारियों ने समस्त भारत में हड़ताल की थी, जिसके फलस्वरूप उस दिन प्रचार और समाचार पत्रों की सारी व्यवस्था ठप्प हो गयी थी और यदि हां, तो क्या इन पंचाटों को तत्काल क्रियान्वित करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और इन पंचाटों को लागू किये जाने की सरकार को कब तक आशा है ?

श्री हाथी : यह ठीक है कि इन सिफारिशों को लागू न करने के कारण कर्मचारियों ने हड़ताल की थी । हड़ताल के परिणाम स्पष्ट हैं । जब कोई मजूरी बोर्ड कुछ सिफारिशें करता है तो नियोजकों का यह कर्तव्य है कि वे उन्हें लागू करें । यदि ऐसा करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, तो कर्मचारी इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये तैयार हैं । मैंने कर्मचारियों के साथ इस बारे में बातचीत भी की है ।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या कुछ समाचार-पत्र संगठनों ने पंचाट को क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है और यदि हाँ, तो इस प्रकार के संस्थानों में कितने प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को उससे लाभ होगा ?

श्री हाथी : बहुत कम संस्थान इसके लिये सहमत हुए हैं । दिल्ली में पाँच संस्थानों ने इसे क्रियान्वित किया है और चार संस्थान क्रियान्वित करने पर सहमत हुए हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : यदि प्रबन्धक वर्ग पंचाट को क्रियान्वित करने से इनकार कर देता है तो क्या सरकार प्रबन्धक वर्ग को केवल उपदेश ही दे सकती है या पंचाटों को क्रियान्वित करवाने का सरकार के पास कोई और भी साधन है ?

श्री हाथी : जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों का सम्बन्ध है, यह एक सांविधिक मजूरी बोर्ड है और इसकी सिफारिशों को राज्य सरकारें सांविधिक ढंग से लागू करवा सकती हैं। मैंने राज्य सरकारों को बता दिया है कि जहां तक पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और विधि में लिखित प्रक्रिया के अनुसार सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। मैंने केरल में भी संबन्धित मन्त्री से कहा है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है। गैर-पत्रकार कर्मचारियों के सम्बन्ध में बातचीत की जायेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : मजूरी बोर्ड त्रिपक्षीय था जिसमें समाचार-पत्र नियोजकों कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। चाहे वे पत्र-कार हैं या गैर-पत्रकार, मेरे विचार में मजूरी बोर्ड के निर्णय को सांविधिक रूप से लागू करना चाहिये। इन सिफारिशों को क्रियान्वित करवाने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास क्या व्यवस्था है और यदि समाचार-पत्र नियोजक दोनों वर्गों के सम्बन्ध में सिफारिशों को लागू नहीं करते तो उन्हें क्या दण्ड दिया जायेगा ?

श्री हाथी : यह ठीक है कि मजूरी बोर्डों में नियोजनकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सरकार द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र सदस्य तथा अध्यक्ष शामिल होते हैं परन्तु सभी मजूरी बोर्ड सांविधिक नहीं होते और इसलिये मजूरी बोर्डों की सिफारिशें सांविधिक रूप से लागू नहीं हो सकतीं। उन्हें सांविधिक होना चाहिये या नहीं—यह मामला सरकार और राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचाराधीन है। स्थायी समिति ने भी एक उप-समिति नियुक्त की है क्योंकि प्रश्न यह है कि यदि हम इसे सांविधिक बनाते हैं तो संघ की सामूहिक रूप से बातचीत करने की शक्ति कम हो जाती है। इन बातों पर विचार किया जा रहा है। परन्तु जहाँ तक पत्रकारों के मजूरी बोर्ड का सम्बन्ध है, यह सांविधिक बोर्ड है, का और इसमें ऐसे उपबंध हैं जिनके अनुसार नियोजकों पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और राजस्व की तरह धन-राशि वसूल की जा सकती है।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या यह सच है कि छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्र पत्रकारों के सम्बन्ध में सिफारिशों को क्रियान्वित करने के मामले में इतने विरुद्ध नहीं हैं जितने कि बड़े समाचार-पत्र तथा एकाधिकारी और ग्रुपों वाले पत्र हैं ? मुझे पता है कि भारतीय भाषा समाचार-पत्र संगठन के कुछ सदस्यों ने पत्रकारों के सम्बन्ध में सिफारिशों को लागू करना आरम्भ कर दिया है परन्तु गैर-पत्रकार कर्मचारियों के सम्बन्ध में सिफारिशों को लागू करने के लिये छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन पर खर्च का बोझ इतना बढ़ जाता है कि बहुत से छोटे समाचार-पत्रों को तो अपने प्रकाशन बन्द करने पड़ जायेंगे। ऐसी स्थिति में क्या सरकार का विज्ञापन आदि देकर और अखबारी कागज की लागत कम करके उन समाचार-पत्रों को सहायता देने का विचार है ?

श्री हाथी : भाषा सम्बन्धी कुछ समाचार-पत्र हैं जो बहुत छोटे हैं और उन्हें कुछ कठिनाइयां हैं। मैंने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की है। वे भी ऐसे मामलों

में, जहाँ वे यह महसूस करते हैं कि वे सिफारिशों को लागू नहीं कर सकते हमारे साथ बातचीत करने को तैयार हैं। परन्तु जहाँ तक बड़े समाचार-पत्रों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में उन्हें तो सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिये।

Shri Yajna Datt Sharma—May I know the names of the news-papers in Delhi which have implemented the decision of Wage Board and how far the Government have enforced their procedure with regard to the recovery against the news papers which have not implemented them.

श्री हाथी : दिल्ली में पाँच संस्थानों ने सिफारिशों को क्रियान्वित किया है और चार संस्थानों ने उन्हें क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है और वे सिफारिशों को क्रियान्वित कर देंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : What are the names of such establishments.

श्री हाथी : जिन्होंने क्रियान्वित की हैं, उनके नाम ये हैं 'शंकर वीकली', 'थाट', 'वीकली रेडियंस रिव्यू', 'हिन्दुस्तान समाचार', और 'दैनिक सवेरा'। जो क्रियान्वित करने के लिये तैयार हैं और जो कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं : पेट्रियाट', 'लिंक', 'प्रताप' और 'वीर अर्जुन'। तीन समाचार-पत्र ऐसे हैं जिनके पत्रकारों ने भी अपना विकल्प नहीं बताया कि क्या वे पुराने वेतन-मान चाहते हैं या नवीन वेतन-मान चाहत हैं—उनके नाम हैं–'दी स्टेट्समेन', 'दी टाइम्स आफ इण्डिया' और 'नव-भारत टाइम्स'। शेष 20 समाचार-पत्रों ने सिफारिशें लागू नहीं की हैं और उनके विरुद्ध 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये हैं।

Shri Yajna Datt Sharma : My second point was about the recovery from such news-papers who have not implemented the recommendations. Whether Government have proceeded in the matter ; if not, why ?

श्री हाथी : दिल्ली प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या कार्यवाही की है ?

Shri Hathi : I discussed this matter, day before yesterday, with the Labour Commissioner, Delhi Administration and also with Mr. Singh, who is Incharge of this master. I was informed that there is time limit of six months and they can give their option in this period. Three of them have given their option. The matter is being discussed with them.

श्री जु० कि० मंडल : दिल्ली उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में पत्रकारों के सम्बन्ध में पंचाट के विरुद्ध कितनी लेख याचिकाएं विचाराधीन हैं ?

श्री हाथी : मेरे विचार में दो हैं। एक उच्च न्यायालय के और एक सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

Shri Molahu Prasad : The hon'ble Minister has just stated that the Wage Board have not got statutory powers. Unless the Wage Board have statutory powers, the employers would not accept the award. In case the labour disputes are taken to the court of law, it takes sufficiently long time in taking a decision. In view of this fact the Wage Board should be given statutory powers.

Shri Hathi : I have already clarified this point. So far as the question of time taken by the court in deciding a case is concerned, I agree with the hon'ble Minister that these cases should be disposed of as early as possible.

The next point has been raised about the power of statutory implementation of the recommendations of the Wage Board. I have appointed a sub-committee to go into this matter because if every thing is carried out in accordance with the provisions of law, there will be no room for collective bargaining.

Shri Molahu Prasad : What has he to say about the fixation of time limits for disposing of the cases by the court of law ?

Shri Hathi : This is not in my hands.

Shri Bal Raj Madhok : At present seperate Wage Boards are being set up for seperate industries and several complaints are being received about them. A suggestien was made at a seminar held recently that disputes are increasing because of separate Wage Boards. In view of this there should be one National Wage Board and their decision should be enforced by law. I want to know the view of Government on this point. It has been stated that option of certain journalist of some newspapers are awaited which means that in some newspapers journalists are getting better wages than those recommended by Wage Board. I would like to know the reasons for such cases not being taken up seperately?

Shri Hathi : I had also participated in that seminar. According to one suggestion made at seminar the Wage Board should be statutory and according to another suggestion it should not be statutory because in case of statutory Wage Board there is no room for collective bargaining. In view of this Standing Labour Committee has appointed a committee. The Labour Commisssoner has also appointed a committee. After the receipt of the Report of Standing Labour Committee, the decision will be taken.

The reason of not giving the the option is that two or three categories are getting less and some categories are getting more.

श्री राममूर्ति : मजूरी बोर्ड सांविधिक है और उसका निर्णय अनिवार्य है । परन्तु क्योंकि नियोजक उसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं इसलिये उसे दांडिक अपराध बना देना चाहिये जिससे नियोजकों को उसे क्रियान्वित करने के लिये वाध्य किया जा सके । यह एक सीधा-सा मामला है ।

श्री हाथी : मुकदमा चलाने का उपबन्ध है.....

श्री राममूर्ति : वह तो केवल वसूली के बारे में है, वह दांडिक अपराध नहीं है ।

श्री हाथी : अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है.....

श्री राममूर्ति : अधिनियम में यह व्यवस्था है कि उन्हें जुर्माना किया जाना चाहिये । जुर्माने की कोई परवाह नहीं करता । क्या वह उसे दांडिक अपराध बना देंगे जिससे नियोजकों को अनिवार्य रूप से जेल भेजा जा सके ?

श्री हाथी : ऐसा करने के लिये अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है ।

श्री क० लक्कप्पा० : पंचाट को क्रियान्वित न किये जाने के कारण कर्मचारियों के मन में संदेह पैदा हो गया है। क्या समाचार पत्रों के मालिकों ने पंचाट को क्रियान्वित न करने के सम्बन्ध में सरकार पर दबाव डाला है और धमकी दी है ? यदि हाँ, तो पंचाट को क्रियान्वित करने के लिये क्या सरकार सभी पक्षों का एक सम्मेलन बुलायेगी ?

श्री हाथी : पता नहीं, माननीय सदस्य के मन में यह बात कैसे आयी है कि सरकार को समाचार-पत्र नियोजकों से डर लगता है ।

श्री क० लकप्पा : समाचार-पत्रों के मालिकों से ।

श्री हाथी : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलें और इस बात का पता लगायें कि सरकार डरती है या सरकार उनकी सहायता के लिये प्रयत्नशील है ।

Shri S. M. Joshi : As Shri Patil has just now suggested and hon'ble Minister has said that small scale newspapers should come to an agreement because they are not in a position to implement the decision of statutory Wage Board. **(Interruptions)**: In case they sign an agreement, there may still be certain papers which are not in a position to implement the same. Moreover besides the agreement between employers and employees, the Government would be quite different. In view of this positon if some labourer goes to court of law, what protection Government proposes to give him ? Then again the question of collective bargaining would arise.

Shri Hathi ; Shri Patil has said that newspapers are ready to implement the award in so far as working Journalists are concerned but some newspapers are not in a position to bear the burden in respect of non-journalists. In that case an agreement has to be worked out. I have convened a meeting of employers and employees in respect of non-journalists on 17th and a decision will be taken in respect of all these matter at the said meeting.

श्री कृ० मा० कौशिक : बात यह है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कानूनी रूप से क्रियान्वित नहीं की जा सकतीं, इसलिये सरकार उन्हें क्रियान्वित नहीं कर सकती । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यदि सरकार इन समितियों की सिफारिशों को लागू नहीं कर सकती तो वह ऐसी समितियों क्यों बनाते है ।

श्री हाथी : बात यह नहीं है कि सिफारिशें लागू नहीं की गयी हैं । अब तक इस प्रकार के समझौते से लगभग 35 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ है । क्रियान्वित करने या न करने के बारे में बहुत बाद में मतभेद पैदा हुए हैं और इसीलिये हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वर्तमान प्रणाली चलती रहे या कुछ परिवर्तन किये जाने चाहिये ।

Shri D. N. Tiwary : The hon'ble Minister has just now stated that some news papers have been paying better wages than those recommended in the award. I would like to know whether after the enforcement of award their wages would be reduced or they will continue to get the same wages?

Shri Hathi : The wages will not be reduced. The Journalists have been asked to give their options within six months whether they want the old scales of pay or they want to be covered by new scheme.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि 17 वीं बैठक में या उसके बाद क्या वह कोई निश्चित रूप से कोई चेतावनी देने जा रहे हैं कि यदि अमुक तारीख तक पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जायेगा ।

श्री हाथी : जैसा कि मैंने बताया है कि श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में ये सिफारिशें सांविधिक हैं और चाहे वे उन्हें स्वीकार करें या न करें उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा । मैंने इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को लिख दिया है कि ये सांविधिक हैं और उन्हें क्रियान्वित

किया जाना चाहिये । चेतावनी देने का बिल्कुल कोई प्रश्न ही नहीं है । यह एक कानून है और उसे लागू किया जायेगा ।

गैर-पत्रकारों के सम्बन्ध में यह सांविधिक नहीं है। इन सिफारिशों को सांविधिक बनाना चाहिये या नहीं, इस सम्बन्ध में अभी विचार-विमर्श जारी है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाना में गेहूँ की खरीद

\+

* 62. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री अब्राहम : **श्री रमानी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हरियाना में गेहूँ नहीं खरीद सका है ;

(ख) यदि हां, तो कितना गेहूँ खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अब तक कुल कितना गेहूँ खरीदा गया है ;

(ग) कम गेहूँ खरीदे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पर्याप्त मात्रा में गेहूँ खरीदने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) से (ग) : गेहूँ सहित खाद्यान्नों की खरीद का कार्य राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सौंपा नहीं गया था । दिसम्बर, 1967 के अन्त में जबकि गेहूँ के बाजार मूल्य में गिरावट का रुख आया था तब राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से कहा कि वह गेहूँ के खरीदने का कार्य अपने हाथ में ले । क्योंकि निगम ने इस खरीद को मूल्य सहाय्य उपाय के रूप में शुरु किया था अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इसने लगभग 93 मीटरी टन गेहूँ की एक बहुत ही कम मात्रा खरीदी थी । इस कम खरीदारी का कारण यह बताया गया है कि मंडी में बेचने हेतु दिये गए गेहुं की अधिकांश मात्रा में बुरी तरह से घुन लगा हुआ था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हरियाना की वर्तमान सरकार ने भारत के खाद्य निगम के साथ सहयोग क्यों नहीं किया और वसूली-कार्य में निगम की सहायता क्यों नहीं की ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हरियाना की पहली सरकार ने तो खाद्य निगम को वहां खरीदारी करने की अनुमति ही नहीं दी थी । परन्तु वर्तमान सरकार ने अनाज के दाम गिरते देखकर खाद्य निगम से खरीदारी करने के लिये कहा और तदनुसार खाद्य निगम वहां गेहूँ खरीद रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हरियाना से खाद्य निगम ने जो गेहूँ खरीदा है, वह बहुत ही घटिया किस्म का है । इसका क्या कारण है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पहले तो व्यापारियों ने इस आशय से गेहूँ जमा कर लिया था कि खाद्य क्षेत्र की सीमाएं हट जायेंगी परन्तु इसकी सम्भावना न देख और अच्छी फसल को देख कर अब वह जमा किया हुआ वह गेहूँ बाजार में ला रहे हैं जो कुछ खराब हो गया है ।

Shri Satya Narain Sinha : May I know whether it is a fact that a large quantity of foodgrains was exported from Haryana to other States even after the decision of Food Corporation of India ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : प्रारम्भ में हरियाना सरकार ने स्वयं ही खाद्यान्न खरीदा था और लगभग 49,000 टन गेहूँ तथा 87,000 टन चावल केन्द्र को दिया था जो केन्द्र ने अन्य राज्यों को भेज दिया था। यदि अवैध रूप से हरियाना से अनाज बाहर गया है तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री रमानी : अभी महोदय के वक्तव्य से प्रतीत होता है कि हरियाना सरकार ने खाद्य निगम को अनाज खरीदने में सहायता नहीं दी। अनाज के मूल्य घटने पर खाद्य निगम खरीद नहीं कर सका । क्या सरकार ने अनाज के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के सहयोग से कोई समन्वित नीति तैयार नहीं की है ? क्या केन्द्रीय सरकार भविष्य में अनाज के मूल्य तथा उसकी खरीदारी के लक्ष के बारे में राज्य सरकारों के सहयोग से कोई समन्वित नीति तैयार करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भारत सरकार ने देश के उत्पादकों को यह आश्वासन दिया है कि यदि मूल्य वसूली मूल्य से नीचे गिरे तो केन्द्रीय सरकार अनाज की खरीदारी करेगी । हरियाना के मामले में जो कठिनाई सामने आई उसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ । वैसे तो अनाज को वसूल करने की रीति के निर्धारण का प्रश्न राज्य सरकारों पर छोड़ दिया यया है, फिर भी राज्य सरकार की इच्छा होने पर केन्द्र भी उसमें हाथ बटा सकता है ।

श्री हेम बरुआ : खाद्य निगम का अनाज खरीदने का कार्यक्रम बहुत ही मन्द गति से चल रहा है तथा मुझे शक है कि वह 50 लाख टन अनाज भी खरीद नहीं पायेगा । इस स्थिति में सरकार का क्या करने का विचार है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गत वर्ष खाद्य निगम ने केवल 18 लाख टन अनाज खरीदा था जब कि इस वर्ष केवल तीन महीनों में 11·5 लाख टन अनाज खरीदा जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय मूल प्रश्न से दूर हटते जा रहे हैं। यदि वह इस प्रकार के उत्तर देना चाहें तो मुझे कोइ आपत्ति नहीं है । परन्तु मंत्री महोदय को ऐसा करना नहीं चाहिये । मुख्य प्रश्न तो हरियाना के सम्बन्ध में है ।

श्री रंगा : सरकार अनुसूचित बैंकों तथा स्टेट बैंक को यह सलाह क्यों नहीं दे देती कि वे किसानों को उनके पास जमा अनाज पर तब तक के लिये रुपया अग्रिम राशि के रूप में दें जब तक की खाद्य निगम उनसे अनाज न खरीदे ? ऐसा करने से किसानों को हानि नहीं होगी ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह

सरकार की अनाज की खरीद सम्बन्धी नीति के प्रतिकूल होगा । साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न अपने पास जमा करे ।

Shri Kanwarlal Gupta : Is it a fact that lakhs of maunds of coarse grains is spare in Haryana and on that account the prices of foodgrains, including those of wheat, are coming down cousing loss to the farmers and that Haryana Government have requested the Centre to remove restrictions from the movement of foodgrains, including wheat, outside Haryana?

Shri Jagjiwan Ram : It is baseless to say that coarse grains in Haryana are weevilling. Secondly, Haryana Government are not, at least at the present, in favour of removal of restrictions on movement of coarse grains.

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि हरियाना के व्यापारियों ने मंत्री महोदय को इस आशय का अभ्यावेदन भेजा था कि उनके पास मोटा अनाज बहुत अधिक मात्रा में है और उसके लदान पर लगी पाबन्दी उठा ली जायें ?

श्री जगजीवनराम ; व्यापारी लोग लगातार यह मांग करते रहते हैं कि खाद्य क्षेत्र तोड़ दिये जायें । जहां तक उपलब्ध अनाज की खरीदारी का सम्बन्ध है, उचित मूल्य पर खाद्य निगम कुल उपलब्ध अनाज खरीदने को तैयार है ।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि अनाज वसूली के लिये निर्धारित मूल्यों से अनाज के मूल्य नीचे न गिरने पायें। यदि हां, तो क्या हरियाना और पंजाब में, जहाँ पर अनाज का भाव न्यूनतम मूल्य से भी नीचे गिर गया है, निर्धारित मूल्य पर अनाज खरीदने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अब वहाँ पर खाद्य निगम खरीदारी कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रकार की बातें दुहराई जा रही हैं अतः अगला प्रश्न लिया जाये ।

\+ **फिल्म उद्योग में मजूरी ढांचा तथा कार्य की दशा**

63. **श्री मुहम्मद इस्माल** :
श्री रमानी :
श्री अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 19 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 771 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी श्रम समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई त्रिपक्षीय उपसमिति ने फिल्म उद्योग में कर्मचारियों की मजूरी तथा कार्य की दशा के सम्बन्ध में विनियमन हेतु विशेष कानून के अधिनियमन के उद्देश्य से योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) अभी तक नहीं । यह उप-समिति केवल उद्योग की कार्य दशा नियमित करने के लिए सिफारिशें करेगी और इसका मजदूरी से सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) प्रस्तावित कानून का कार्य क्षेत्र और अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उप-समिति ने अस्थायी निष्कर्ष निकाले हैं। इन निष्कर्षों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए सुझावों को उप-समिति के सदस्यों के विचारार्थ भेज दिया गया है। कुछ सदस्यों के उत्तर आने बाकी हैं। सदस्यों के विचार प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 15 फरवरी अर्थात् आज है। सदस्यों से प्राप्य टिप्पणियों को ध्यान में रख कर, निष्कर्षों को अन्तिम रूप देने के पूर्व उप-समिति की बैठक एक बार पुनः होगी।

Shri Mohammad Ismail : The Ministry of Labour have given a word that a Wage Board for film industry will be constituted. Now why do they not want to set it up ? May I know whether they intend to appoint a Wage Board in near future ?

Shri Hathi : We intend to set up a Wage Board. But till the form of the Wage Board is decided by the Standing Labour Committee, it will be difficult to appoint it.

Shri Mohammad Ismail : In film industry a group of 10, 12, 13 or 14 people works. How will the proposal of Provident Fund be implemented in film industry?

Shri Hathi : We are going to enact a legislation which will apply to all establishments where more than 10 people work. The question of Provident Fund will also be covered by the said legislation.

श्री रमानी : फिल्म उद्योग में काम करने वालों की सेवा की शर्तें बहुत खराब हैं। फिर सरकार त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशें के क्रियान्वयन में विलम्ब क्यों कर रही है ? क्या सरकार पर फिल्म उद्योगों के मालिकों का दबाव पड़ रहा है ?

श्री हाथी : दबाव का तो प्रश्न ही नहीं उतता। इस समिति की पहली बैठक 19 दिसम्बर 1966 को हुई थी। इससे बाद में समिति ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का दौरा किया। फिल्म उद्योग के श्रमिकों की ओर से भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए। हम प्रयास करेंगे कि यह मामला शीघ्र से शीघ्र निबटा दिया जाये।

\+ **भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ की फसल की खरीद**

*64. **श्री न० कु० साल्वे :**
श्री दीवीकन :
श्री अंबचेजियान :
श्री रामभद्रन :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री मव्यावन :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने खरीफ की फसल के दौरान अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न खरीदने के लिये व्यापक प्रबन्ध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस फसल में भिन्न-भिन्न खाद्यान्नों के समाहार का कुल लक्ष्य कितना है; और

(ग) इस निगम ने अब तक खाद्यान्नों का कितना समाहार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) 1 नवम्बर, 1967 से शुरु होने वाले चालू खरीफ के मौसम में 31 अक्तूबर, 1968 तक भारतीय खाद्य निगम ने अपने लिये अस्थायी तौर पर 37·7 लाख मीटरी टन खरीफ के अनाज खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसमें से जनवरी, 1968 तक निगम लगभग 11.5 लाख मीटरी टन अनाज पहले ही खरीद चुका था।

Shri N. K. P. Salve : May I know whether it is a fact that the Food Corporation of India has returned a colossal amount to Central Government, because it has failed to procure as much foodgrains as it should have procured. What are the changes and reforms effected in it since then by Government in order to make it competent to procure foodgrains in a business-like manner?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह बात सच है कि खाद्य निगम ने अगस्त 1966 में 10 करोड़ रुपये सरकार को वापिस लौटा दिये थे क्योंकि वह राशि उसकी आवश्यकता से अधिक थी। परन्तु अब उसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। निगम को 39 करोड़ रुपये अग्रिम राशि के रूप में पहले ही दिये जा चुके हैं और 40 करोड़ रुपये का उसे नकद ऋण दिये जाने की व्यवस्था है। अदि खाद्य निगम को इससे भी अधिक रुपये की आवश्यकता होगी तो उसकी आवश्यकता पूरी की जायेगी। जहां तक निगम के व्यापारिक पक्ष का सम्बन्ध है, वह सक्षम ढंग से काम कर रहा है।

श्री अंबचेजियान : क्या कोई राज्य ऐसा है जो अनाज वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है ? क्या ऐसे राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : खाद्य निगम राज्य सरकार की ऐजेंसी के रूप में काम करता है। यह राज्य सरकारों की बहुत बड़ी मदद है। राज्य सरकारों को इस कार्य के लिये किसी अन्य प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : न केवल उस समय जबकि देश में बहुत अच्छी फसल हुई है, बल्कि ऐसे समय भी जब देश में फसल अच्छी नहीं हुई, भारतीय खाद्य निगम की क्रियान्विति कैसी रही है ? क्या यह सच नहीं है कि जब देश में उत्पादन की कमी होती है तो भारतीय खाद्य निगम असमर्थ तथा अप्रभावशाली रहता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भारतीय खाद्य निगम को कार्य करते हुए केवल तीन वर्ष हुए हैं और इस अवधि में इसने प्रशंसनीय कार्य किया है। वसूली आन्दोलन सफल रहा है और इसने अब तक 11.5 लाख टन की वसूली की है और कुछ समय में यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि जब फसल बहुत अच्छी नहीं होती है तो भारतीय खाद्य निगम का काम कैसा होता है।

Shri Raghubir Singh Shastri : May I know the States in which Food Corporation is

working and whether there are some States in which Food Corporation of India is finding it difficult to work. I would also like to know whether Government have any arrangements for proper storage of the foodgrains procured by her.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समय भारत के केवल दो राज्यों में खाद्य निगम कार्य नहीं कर रहा हैं : उनमें से एक राज्य महाराष्ट्र है जहां सरकार ने सहकारी एजेंसियों को अनाज वसूली करने के एकाधिकार दे दिये हैं। दूसरा राज्य जम्मू और काशमीर है जहां यह अधिनियम लागू नहीं होता । देश के और सभी भागों में खाद्य निगम कार्य कर रहा है।

इस समय वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और भारतीय खाद्य निगम के पास स्टोर की पर्याप्त सुविधाएँ हैं । पंजाब में सहकारी क्षेत्र में भी मई के अन्त तक 75,000 टन अनाज को स्टोर की व्यवस्था है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ऐसा ज्ञात हुआ है कि अनाज का स्टोर करते समय लगभग 8 से 10 प्रतिशत अनाज स्टोर करने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में नष्ट हो जाता है । सरकार अनाज की वसूली के आवश्यक प्रबन्ध कर रही है । क्या सरकार ने इस अनाज को बिना नष्ट हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और स्टोर में इसकी सुरक्षा की व्यवस्था का भी प्रबन्ध किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न इसके अन्तर्गत नहीं आता।

Shri K. N. Tiwari : I want to know the storage capacity of Food Corporation and whether that capacity its sufficient to store the foodgrains procured by it The percentage charged between the procurement and selling price by the Food Corporation of India ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भारतीय खाद्य निगम का वसूली का लक्ष्य 37·7 लाख टन है । परन्तु उन्हें एक ही समय किसी विशेष स्थान पर वसूल या स्टोर नहीं किया जा सकता। अतः अनाज को स्टोर करने में खाद्ध निगम को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासनिक खर्च पर सरकार का ध्यान गया है और हम उसे उचित सीमा तक सीमित रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह व्यय विभिन प्रकार के खाद्यानों तथा भिन-भिन राज्यों के अनुसार अधिक अथवा कम होता है ।

Shri Gulam Mohammad Bakshi : Since the Food Corporation is doing this work of procuring foodgrains throughout the country, I would like to know whether the Food Corporation has received any complaints from Jammu and Kashmir regarding its not doing procurement work in Jammu and Kashmir ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जम्मू और काश्मीर राज्य में सिविल सप्लाई विभाग वसूली का कार्य कर रहा है और उसे काफी मात्रा में वसूली करने में सफलता हुई है । जब कभी भारत सरकार का यह विचार होगा कि भारत को खाद्य निगम का कार्य जम्मू और काश्मीर में भी बढ़ा दिया जाये तो हम सभा की सम्मति से इस अधिनियम में संशोधन कर देंगे।

Shri Gulam Mohammad Bakshi : Food Corporation has no agency other than Revenue and Police Agency. It effects the procurement also and neither the State Govern-

ment nor the public is benefitted as a result of it. When the Food Corporation is functioning all over India, why should its services not be extended to Jammu and Kashmir ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : When the Food Corporation Act was passed, it was not made applicable to Jammu and Kashmir. The suggestion of the hon. Member will be considered now.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या किसानों ने खाद्य निगम द्वारा उनसे वसूल किये गये अनाज की अदायगी करने में विलम्ब होने की शिकायत की है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक मुझे जानकारी है इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। खाद्य निगम ने किसानों को बकाया अदायगी करने की नई प्रणाली का पता लगाया है।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल में घोष मंत्रिमंडल की पहली जमाखोरी की नीति के कारण पश्चिमी बंगाल के अपेक्षित लक्ष्य में से खाद्य निगम को थोड़ी-सी मात्रा में भी वसूली करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यदि हां, तो भारत सरकार पश्चिमी बंगाल के लोगों के खाने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भारतीय खाद निगम द्वारा पर्याप्त मात्रा में अनाज की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य के दल के सदस्य पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ सहयोग करें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि खाद्य निगम को पश्चिमी बंगाल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता होगी।

डा० रानेन सेन : यह हमारे दल पर आक्षेप है। युनाइटिड फ्रन्ट ने अनाज वसूली के लिये परन्तु खुले तौर पर अपनी सेवाएं अर्पित की हैं, परन्तु गैर-कानूनी मंत्रिमंडल ने खाद्य निगम द्वारा अनाज की वसूली कराने का प्रयत्न नहीं किया और भारत सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है।

अध्यक्ष महोदय : कानूनी और गैर-कानूनी राय भिन्न हैं। वह उस बात को स्वीकार नहीं करते और आप दूसरी बात को।

Shri Madhu Limaye : In reply to a question the Hon. Minister informed that Food Corporation of India is not operating in Maharashtra and Kashmir because this Act is not applicable to Jammu and Kashmir and the purchase of foodgrain is going on the principle of monopoly in Maharashtra. The Jawar is purchased in Maharashtra at the rate of Rs 53 per quintal and is sold to the customers at the rate of Rs. 69/- per quintal, thereby making a difference of Rs. 16/- I want to know the rate at which the foodgrain will be sold to the customers by the Food Corporation. Will he also inform the House regarding this difference ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक विभिन्न क्षेत्रों में अनाज के निर्गम का प्रश्न है, उसके लिये मैं सूचना चाहूँगा क्योंकि विभिन्न राज्यों में निर्गम मूल्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होते हैं। जहां तक महाराष्ट्र में सहकारिताओं की वसूली का सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री कार्तिक ओराओं: यह आशा की जाती है कि अब तक खाद्य निगम ने देश में खाद्य उत्पादन का सामान्य सर्वेक्षण कर लिया है और आने वाले वर्ष के लिये खाद्य स्थिति सम्बन्धी आंकड़े तैयार कर लिये हैं । क्या इस वर्ष भी कुछ राज्यों में अकाल पड़ेगा और यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

श्री जगजीवनराम : इसका प्रश्न ही नहीं उठता । यहां प्रश्न वसूली का है ।

Shri Ram Charan: Hon. Minister has told that during the next crops the Food Corporation of India is going to purchase foodgrains in large quantity. I would like to know whether Food Corporation has got such a large capacity to store it and whether tt has got good arrangements for its storing. Will it be stored in the open resulting in its getting rotten.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं इसका पहले ही जबाब दे चुका हूँ ।

Shri Randhir Singh : The farmer is in difficulty, Firstly, the foodgrain is not procured in time. As a result of it the prices of foodgrains have been reduced in certain places. Secondly, the restrictions on moving the grain have been imposed. He is, thus, doubly suffering. Either you yourself procure the foodgrains and pay him the reasonable price or you allow him to sell it in the other States so that he may get the reasonable price of his foodgrains.

श्री जगजीवन राम : यह पहले ही कहा जा चुका है कि हम वसूली मूल्य पर कितनी ही मात्रा में आनाज खरीदने के लिये तैयार हैं । जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है कि किसान अगले महीने और अप्रैल में अपना स्टाक बाजार में बेचने के लिये लायेंगे तब ही वे अगली फसल के बारे में भविष्यवाणी कर सकेंगे । हम इसका प्रबन्ध कर रहे हैं । मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ कि हम मूल्यों को वसूली मूल्य से नीचे नहीं गिरने देंगे ।

श्री लोबो प्रभु : मैं महाराष्ट्र और काश्मीर के अतिरिक्त राज्य और खाद्य निगम के के कार्य करने के सम्बन्ध जानना चाहता हूँ । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इन दोनों एजेन्सी के वसूली मूल्यों में कितना अन्तर है । मूल्यों में यह भिन्नता क्यों है । वह उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के लिये ही उचित नहीं हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक खाद्य निगम द्वारा व्यय का सम्बन्ध है, उस द्वारा किया जाने वाला व्यय उचित है । प्रशासनिक व्यय मुश्किल से 1 प्रतिशत है । इसके अलावा मंडी खर्चे तथा परिवहन खर्चे आदि हैं । मैं इस सम्बन्ध में सभा को ब्यौरा देने को तैयार हूँ ।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : विदेशों से आयात को रोकने के पहले, हमें वसूली द्वारा राशन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये, वसूली लक्ष्य के इतना कम होने के क्या कारण हैं ? क्या यह सरकार या खाद्य निगम की वित्त क्षमता या खाद्य निगम की कर्मचारी क्षमता तक सीमित है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने अपने उत्तर में खाद्य निगम के लक्ष्य का उल्लेख किया है और अखिल भारत लक्ष्य का नहीं । अखिल भारतीय लक्ष्य बहुत अधिक है क्योंकि राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में वसूली कर रही हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य

निगम के प्रवक्ता ने सार्वजानिक रूप से यह वक्तव्य दिया है कि पश्चिमी बंगाल में वसूली के कार्य में असफलता का कारण यह है कि जिस मूल्य पर उन्हें खरीदने का अधिकार था वे मूल्य खुले बाजार में व्यापारियों द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों से कम थे। यदि हां, तो क्या सरकार ने वसूली के हित में सलाह देने या सीधे सरकार को निदेश देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की है ताकि मूल्य पर उपकर कम करने या मूल्य नियन्त्रण करने के बजाय, जैसा कि उन्होंने किया, वे इस बात का प्रयास करें कि खुले बाजार में इस प्रकार मूल्य न बढ़े ताकि सरकारी वसूली का कार्य ठप्प हो जाये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पश्चिमी बंगाल सरकार वसूली का पूरा प्रयत्न कर रही है। वहां बहुत अस्थिरता है और हमारे माननीय मित्र पूरा सहयोग नहीं दे रहे हैं। यदि सब दलों का सहयोग प्राप्त हो जाये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मूल्य एक उचित स्तर पर स्थिर हो जायेंगे और वसूली में भी बहुत सफलता होगी।

Shri Prem Chand Verma : What is the target of the Food Corporation regarding procurement of Kharif crops in the centrally administrated States including Himachal Pradesh: What are the names of the centrally administrated states in which the target has been fulfilled and in which it has not been completed.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is not a fact that the Food Corporation of India does not make the payment for the foodgrains purchased from the markets to the farmers in time. The payment is made very late. I would also like to know whether it is not a fact that as a result of it, the farmers have to suffer a lot and they are not able to sell it to the Food Corporation.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उनको यथाशीघ्र भुगतान करने का प्रयास किया जाता है। 48 घंटे के बीच भुगतान किया जाता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : It is not correct. They are being paid in two to three months.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं इसकी जांच करने के लिये तैयार हूँ। पंजाब में यह मांग है कि खाद्य निगम को अधिक सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिये। वह इस बात का प्रयास कर रहा है कि खाद्य निगम अधिक से अधिक अनाज वसूल कर सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्यान्नों के दामों में वृद्धि

*65. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राज-सहायता बन्द किये जाने के बाद खाद्यान्नों के दाम बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कीमतें कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) अनाज के निर्गम मूल्यों का 1 जनवरी, 1968 से पुनरीक्षण किया गया था। अखिल भारतीय अनाज सूचांक से विदित होता है कि जनवरी के पहले दो सप्ताह में मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है । इसका कारण आयातित अनाज के अखिल भारतीय सूचांक में निर्गम मूल्यों में वृद्धि होना हो सकता है । जनवरी, 1968 के तीसरे सप्ताह से बाजरा और मकाई के मूल्यों में गिरावट आ गई है और गेहूँ के मूल्य में जनवरी, 1968 के अन्तिम सप्ताह से गिरावट आ गई है । ज्वार, के मूल्य में समस्त जनवरी, 1968 के महीने में गिरावट रही है।

(ख) अनाज के मूल्यों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है और जब आवश्यक होगा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

खाद्यान्नों का राशन

*66. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें खाद्यान्नों का राशन समाप्त करने के बारे में सोच रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल सरकार ने कानपुर और सिलिगुरी के कस्बों में अनाज से सांविधिक राशन हटा लिया है। केवल दिल्ली प्रशासन के अतिरिक्त किसी भी राज्य से फिर से देशी गेहूँ के राशन लागू करने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने सिलिगुरी में राशन समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सलाह नहीं ली थी परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को पहले जानकारी दे दी थी।

(ग) जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाधा नहीं आती और सरकारी दायित्व को बनाये रखा जाता है, इस कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लेना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि किसी विशेष क्षेत्र में संविधानिक राशन हो अथवा अनौपचारिक ।

Unemployment

*67. **Shri N. S. Sharma :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Sharda Nand : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri R. S. Vidyarthi : **Shri R. R. Singh Deo :**
Shri Eswara Reddy : **Shri Y. A. Prasad :**
Shri Bedabrata Barua : **Shri S. R. Rane :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of unemployed persons has not been reduced during the last three Five Year Plans ;

(b) the targets for removing the unemployment during the First, Second and Third Plans and the extent to which it has been removed ;

(c) the reasons for which the targets could not be achieved during the three Five Year Plans ; and

(d) the steps taken by Government to meet the problem of growing unemployment in the country ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) Yes.

(b) In the Frist Plan no target for additional employment was laid down. A target for 10 million and 14 million additional opportunities was set respectively for the Second and Third Plans against which the achivements were 9.5 million and 14·5 million. Thus the targets for providing employment have, by and large, been fulfilled.

(c) Though the targets for providing employment were by and large fulfilled, there was no reduction in unemployment as new employment opportunities created by the development programmes fell short of additions to the labour force which has been growing at a faster rate.

(d) The various development programmes being undertaken in the fields of agriculture, irrigation and power, industry, transport and social services in the Annual Plans are expected te provide more and more employment opportunities in the coming years. Inspite of this, there will be still unemployment.

Stamp on International Tamil Conference

*68. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri N. K. P. Salve : **Shri C. Muthusami :**
Shri Hem Barua : **Shri George Farnandes :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether any objection had been taken by the State Government of Tamilnad in regard to the omission of the Tamil words alongwith the Hindi and English words in the postal stamp issued on the occasion of the Madras Session of the International Tamil Conference held in January, 1968 ;

(b) whether the formal function of releasing the stamp was cancelled by the Chief Minister of Madras ; and

(c) if so, the details there of and the action taken by Government as a result thereof ?

The Minister of State in The Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The stamp was issued at the request of the Chief Minister of Madras. It reproduces exactly the emblem of the conference as supplied by him.

पंजाब और हरियाना में खाद्यान्नों के कम मूल्य

*69. श्री न० कु० साल्वे : श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना और पंजाब के बाजारों में खाद्यान्नों, विशेषकर गेहूँ का स्टाक मांग से ज्यादा जमा हो गया है और वहां गेहूँ बहुत ही कम मूल्यों पर बिक रहा है ;

(ख) क्या वही खाद्यान्न दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ौसी राज्यों में बहुत अधिक दामों पर बिक रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए उन खाद्य जोनों में कुछ फेर-बदल करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) अधिशेष राज्य होने के कारण पंजाब तथा हरियाना में खाद्यान्नों की उपलब्धि वहां की स्थानीय मांग से सामान्यतः अधिक होती है। अक्तूबर, 1967 से हरियाना और पंजाब राज्यों में गेहूँ सहित खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट आयी है। मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आगामी मौसम में गेहूँ के बारे में रबी की अच्छी फसल तथा खरीफ के अनाजों के बारे में खरीफ की अच्छी फसल के कारण आयी है । तथापि, राज्य सरकार, सहकारी समितियां तथा भारतीय खाद्य निगम अधिप्राप्ति मूल्यों पर खाद्यान्नों की खरीद यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि मूल्य अधिप्राप्ति मूल्यों के स्तर से नीचे न गिरने पायें।

(ख) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गेहूँ के मूल्य हरियाना और पंजाब से अपेक्षाकृत कुछ ऊँचे हैं । अधिशेष और कमी वाले राज्यों के मूल्यों के बीच हमेशा कुछ अन्तर रहता हैं।

(ग) रबी सम्बन्धी नीति पर विचार करने के लिए बुलाई गई मुख्य मंत्रियों की अगली बैठक में क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के मामले पर पूर्ववत विचार किया जाएगा।

Increase in Prices of Imported Wheat and Milo

*71. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that after the adjourment of the winter Session of Lok Sabha, Government have increased the ralc price of wheat and rnilo imported from of U.S.A. ;

(b) if so, the increase in the sale price per kilo ;

(c) the State Goverhments which have written to the Central Government against this increase ; and

(d) the effect of increase in the prices of wheat on the prices of other foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Food , Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) ;

(a) Yes , Sir . The issue prices of imported wheat and milo supplied from Central Stocks have been raised w. e. f. Ist January, 1968.

(b) The increese in the issue price in case of imported wheat and milo has been 12 paise and 8 paise per kilogram respectively. In case of Union Territory of Delhi, the increase in the issue price of imported wheat is 11 paisa per kilogram.

(c) The Government of Bihar have written to the Central Government against the inerease in the issue prices of imported wheat and milo.

(d) Although there had been some increase in the market prices of foodgrains in the beginning of Jaunary, 1968, there has been a downward trend in the prices of wheat and coarse grains the later part of January, 1968.

Recognition of Trade Unions By Secret Ballot

*72. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** **Shri Yajna Datt Sharma:**

Will the Minister of **Labour and Rehebilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have accepted the principle of according recognition to the trade unions by secret ballot, and

(b) if so, when this principle is likely to be implemented?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

*74, **श्री उमानाथ :** **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री चक्रपाणि : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने वेतन हड़ताल करने तथा सांकेतिक हड़ताल भी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मागें क्या हैं ; और

(ग) विवाद को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 31 जनवरी, 1968 को खाद्य विभाग के उत्तरी क्षेत्र के स्थानान्तरित कर्मचारी जो भारत के दिल्ली, पंजाब, जयपुर और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों के निगमों में कार्य कर रहे हैं, ने पांच बजे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया तथा जनवरी, 1968 का वेतन एक दिन देरी से स्वीकार किया ।

(ख) एक विवरण जिसमें उनके मांगो को दिखाया गया है, संलग्न है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम, जो एक स्वायत्ति संगठन है, को इन मांगों को अपने नियम और संगठन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए विचार करना पड़ेगा ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में एक विवरण

1. कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति और उसी संख्या में पदों की क्रमिक श्रेणियों में सृजन पहले कार्य कर रहे कर्मचारियों की तुलना में सीधी नियुक्ति पर रोक लगाना और उन स्थानों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति किया जाना।

(2) इस समय खाद्य निगम में कार्य कर रहे सब प्रतिनियोजित कर्मचारियों को उनको अपने कार्यालयों में भेजा जाये।

(3) योग्य श्रेणी चार के (मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति किया जाना और सहायक श्रेणी 3 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती पर तब तक रोक लगाया जाना जब तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति न हो जाये।

(4) उत्तरी क्षेत्र के खाद्य निगम में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने शीतकाल के लिये कपड़े खरीदने के लिये अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दिया जाना।

पश्चिमी बंगाल में कारखानों का बन्द होना

*75. श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्त : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दी के बहाने से नियोजकों द्वारा कारखानों को बन्द करने की लगातार चल रही इस समस्या के बारे में उन्होंने पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री के साथ हाल में बात-चीत की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने उस राज्य के श्रम मन्त्री को यह आश्वासन दिया था कि उपर्युक्त कारखाने पुनः चालू करने के लिये केन्द्र की ओर से यथासम्भव सहायता दी जायगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री ने पश्चिम बंगाल म बन्द पड़े औद्योगिक एककों को फिर से खोलने में सहायता देने के उद्देश्य से कुछ सुझाव दिये हैं। क्योंकि ये सुझाव सरकार के अन्य मन्त्रालय से सम्बन्ध रखते हैं, श्रम मन्त्रालन ने सम्बन्धित मन्त्रालयों को इन्हें भेजा है और वे सरकार के विचाराधीन हैं।

वर्ष 1968 में आयातित खाद्यान्नों की आवश्यकता

*76. श्री वासुदेवन नायर : श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री गाडिलिंगन गौड : श्री मोहसिन :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मृत्युंजय प्रसाद : श्री क० मि० मधुकर :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री मयावन :
श्री श्रीवरन : श्री क० लकप्पा :
श्री तुलसीदास जाधव : श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) वर्ष 1968–69 में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के आयातित खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या कमी को पूरा करने हेतु 1968–69 के लिये खाद्यान्नों का आयात करने के लिये विदेशों के साथ कोई करार किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चालू वर्ष में लगभग 950 लाख टन गेहूँ के उत्पादन की सम्भावना है ।

(ख) वर्ष 1968-69 में लगभग 60·3 लाख टन आयातित खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी । इसका मूल्य बताना सम्भव नहीं क्योंकि इनके लिये दिये जाने वाले मूल्यों और भाड़े के सम्बन्ध में जानकारी नही है ।

(ग) और (घ) अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत 30 लाख टन गेहूँ और 5 लाख टन माइलो का करार किया गया था, जो जून, 1968 तक भेजा जायेगा । इसमें से लगभग 18 लाख टन गेहूँ और 9 लाख टन माइलो की मार्च, 1968 के अन्त तक पहुंचने की सम्भावना है ।

हिमाचल प्रदेश को पंजाब के खाद्य जोनों में शामिल करना

***77 श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री हेमराज :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के खाद्य जोन में हिमाचल प्रदेश को शामिल किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) उपर्युक्त खाद्य जोन में हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किये जाने की संभावना है ;

(ग) ऐसा नया जोन कब तक बन जाने की सन्भावना है ; और

(घ) इस बारे में नीति में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (घ) हिमाचल सरकार यह सुझाव देती रही है कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब खाद्य क्षेत्र में शामिल कर लिया जाना चाहिये । रबी अनाजों की नीति पर विचार करने के लिये मुख्य मन्त्रियों की आगामी बैठक में इस प्रश्न पर साथ ही खाद्य क्षेत्रों को बनाए रखने अथवा न रखने के प्रश्न पर पूर्व की भांति विचार किया जाएगा ।

हड़तालों, तालाबन्दी तथा घेरावों के कारण श्रम-घंटों की हानि

*78. **श्री सीताराम केसरी :** **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री पीलू मोदी : **श्री जुगुल मंडल :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 में पिछले वर्षों की तुलना में हड़तालों, तालाबन्दी तथा घेरावों के कारण श्रम-घंटों की अधिक हानि हुई तथा उसके परिणामस्वरूप उद्योगों में उत्पादन में अधिक हानि हुई ;

(ख) यदि हाँ, तो श्रम घंटों तथा उत्पादन की कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रम घंटों की अधिक हानि होने का मुख्य कारण यह है कि कर्मचारियों ने घेराव का तरीका अपनाया है ;

(घ) क्या सरकार ने घेराव न होने देने तथा उद्योगों का कार्य सुव्यवस्थित रूप से चलते रखने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) श्रम दिनों की हानि की संख्या के अनुसार, यह कहा जा सकता है कि 1967 में हुई उत्पादन की हानि 1966 में हुई हानि की अपेक्षा कम थी परन्तु 1966 से पूर्व सालों की अपेक्षा अधिक थी । 1964, 1965 और 1966 वर्षों में श्रम दिनों की हानि क्रमशः 77.2 लाख 64.7 लाख और 138.5 लाख थी । 1967 की सामयिक संख्या 99.2 लाख है ।

(ग) जब कि घेराव के कारण श्रम दिनों की हानि के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, निस्सन्देह घेराव के कारण सन् 1967 में श्रम दिनों की हानि में वृद्धि हुई है।

(घ) इस विषय पर स्थायी श्रम समिति में बहस हुई थी,जिसकी बैठक मई 1967 में हुई थी। समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें घेराव की निन्दा की गई और इसे श्रम-नियोजक सम्बन्धों (जो त्रिपक्षीय बातचीत और विचार विमर्श के आधार पर बनाए गये थे) के आधार को धमकी देना बताया गया। सरकार ने नियोजकों पर भी इस आवश्यकता पर जोर दिया है कि वे कर्मकारों के प्रति अपनी जिम्मेवारियाँ निभाएं जो कि अनेक निधियों और द्विदलीय और द्विपक्षीय समझौते में तय हुई हैं ।

Increase in Price of Rationed Foodgrains in Delhi

*79. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Food and Agriculnre** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of rationed foodgrains in Delhi have again been increased with effect from the 3rd January, 1968 ;

(b) whether it is a fact that the prices of foodgraius in the open market in Delhi and other neighbouring States are comparatively lower ; and

(c) if so, the reasons for increasing the prices of rationed foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes, Sir. The issue prices of imported wheat and certain varieties of rice distributed from ration shops in Delhi have been increased from 3rd January, 1968.

(b) The open market prices of rationed foodgrains, viz., wheat and rice are at present lower in the States of Punjab and Haryana and higher in the State of Uttar Pradesh and some parts of Madhya Pradesh compared to the selling prices of indigenous wheat and rice issued from ration shops in Delhi.

(c) The increase in the issue prices of rationed foodgrains viz. imported wheat and rice in Delhi was done in line with the general revision made in the issue prices of these foodgrains supplied from Central stocks to all State Governments and Union Territories from January, 1968.

मध्य प्रदेश के बाहर दालों का निर्यात

*80. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री लीलाधर कटकी : **श्री वेणीशंकर शर्मा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे प्राधिकारियों को कुछ हिदायतें जारी कर दी हैं कि वे मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति माँगे बिना मध्य प्रदेश सरकार से बाहर दालों का निर्यात होने दें ;

(ख) क्या अन्य राज्यों के मामले में भी ऐसी हिदायतें दी गई हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन आदेशों का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, तथा कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) : देश में दालों के अबाध संचलन की स्वीकृत नीति और उसके संचलन पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी वैधानिक स्थिति रेलवे प्राधिकारियों को बतायी गयी थी।

(ग) और (घ) : कुछ समय पूर्व, मध्य प्रदेश सरकार का राज्य से बाहर दालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार था जिसे नहीं माना गया। लेकिन राज्य सरकार का तेओरा बेसन के संचलन पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव मान लिया गया था।

Sugar Prices

*82. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have been criticized in foreign countries about the disparity in the price of controlled sugar and the sugar selling in the open market ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde):

(a) No such report has come to the notice of the Government.

(b) Does no arise.

खाद्य उत्पादन

*83. श्री हेम बरुआ :
श्री काशीनाथ पाण्डे :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री मोहसिन :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री श्रीचरन :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि देश में चालू फसल के सीजन में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन होगा ;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार कितना उत्पादन होने का अनुमान है ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये बाहर से कितना खाद्यान्न आयात करना पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) चालू वर्ष के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी संकेतों के अनुसार इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 950 लाख मीटरी टन होने की आशा है।

(ख) चालू वर्ष के लिये अनुमानों का राज्यवार ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) किसी विशेष वर्ष में खाद्यान्नों की आवश्यकताओं या उनकी कमी के परिशुद्ध मात्रिक अनुमान बनाना कठिन है, क्योंकि ये आवश्यकतायें कुछ बातों पर निर्भर करती है। फिर भी सरकार समीकरण भंडार और अन्य संभाव्य कमियों को पूरा करने के लिये 1968 में लगभग 75 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आयात करने के विचार रखती है।

चावल का समाहार (खरीद)

*84. डा० रानेन सेन :
श्री रवि राय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कठिनाइयों के कारण भारत में कुछ राज्यों में चावल का समाहार आशानुकूल नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब

शिन्दे) : (क) और (ख) : विभिन्न कठिनाइयों के कारण अधिप्राप्ति पूर्वानुमान के अनुसार नहीं हुई है ।

हरियाणा में मध्यावधि निर्वाचन

*85. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में मध्यावधि निर्वाचनों की समय-सारणी अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरियाना में गेहूं के दाम

*86. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना तथा अन्य निकटस्थ राज्यों में गेहूँ 70-80 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में गेहूँ काले बाजार में 125 रुपये प्रति क्विंटल बेचा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देशी गेहूँ को खुले बाजार में बेचे जाने की अनुमति देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हरियाना और पंजाब राज्यों में इस समय देशी किस्म के गेहूँ का बाजार भाव 70-81 प्रति क्विंटल है ।

(ख) दिल्ली के राशन क्षेत्र में गेहूं का वितरण सांविधिक तौर पर नियंत्रित है। सरकार को काले बाजार में बेची जा रही गेहूं की कीमत की जानकारी नहीं है। जिन क्षेत्रों में राशन नहीं है उन क्षेत्रों में कोई सांविधिक मूल्य नहीं है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कृषि अनुसंधान छात्रों को प्रोत्साहन

*87. **श्री लीलाधर कटकी :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक कृषि अनुसंधान छात्रों को भारतीय खेती में प्रचलित स्थानीय परम्पराओं तथा तरीकों में सुधार करने के लिये अपना अनुसंधान कार्य करने के लिये कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं :

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारतीय कृषि में सुधार लाने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के गहन और तीव्र विकास के फलस्वरूप कृषि अनुसंधान का आधार पर्याप्त विकसित हुआ है और परिणाम-स्वरूप कृषि अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों को लाभकर रोजगार तथा पदोन्नति के खूब अच्छे अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि-वैज्ञानिकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :—

(1) देश तथा विदेश में उच्चतर शिक्षा तथा प्रशिक्षण की अच्छी सुविधाएं जिनमें छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावृत्तियां भी सम्मिलित हैं।

(2) अच्छे वेतन-मान (यह योजना अभी आंशिक रूप से कार्यान्वित हुई है)

(3) योग्य वैज्ञानिकों को योग्यता के आधार पर पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि का दिया जाना।

(4) अनुसंधान संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करने के लिए अच्छे उपकरण, भवन, और अन्य कार्य की शर्तें तथा सुविधाओं का उपलब्ध होना।

(5) देश और विदेश में सह-वैज्ञानिकों से सम्पर्क तथा विचार-विमर्श की सुविधाओं की व्यवस्था।

(6) वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रशासन में वैज्ञानिकों को समुचित स्थान देते हुए वैज्ञानिक संस्थानों का पुनर्गठन।

(7) ऐसी व्यवस्था जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालयों में स्थायी रूप से सेवा में प्रवेश पाने पर वह सेवा भी गिन ली जाती है जो पहले अर्ध-सरकारी संगठनों में की हुई हो और अर्ध-सरकारी संगठनों में स्थायी रूप के सेवा में प्रवेश पाने पर वह सेवा भी गिन ली जाती है जो पहले केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालयों में की हुई हो।

(ग) कृषि को, जो कि पहले उपेक्षित थी, महत्वपूर्ण स्थान उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा प्रयत्न किये गये और भारतीय कृषि में सुधार करने के उद्देश्य से विशेषतया पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष कदम उठाये गये। प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) कृषि के (बड़े, छोटे, तथा माध्यमिक) साधनों की व्यवस्था और इसका बाढ़ नियंत्रण, जल निकास तथा भूमि संरक्षण उपायों के द्वारा और अधिक कारगर ढंग से उपयोग।

(ii) अनुसंधान तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं को विकसित करना (जिसमें एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी सम्मिलित है) जिसके परिणाम-

स्वरूप अधिक उपज वाले बीजों का विकास हो सके जो कि कीटाणुओं तथा अन्य बिमारियों का प्रतिरोध कर सकें ।

(iii) कृषि विस्तार सेवाओं और सामुदायिक विकास के अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था ।

(iv) कृषकों को अधिक उपज देने वाले बीजों तथा कृषि संबंधी अन्य निवेषों यथा-रासायनिक खाद, खाद, अच्छे किस्म के उपकरण (औजार) तथा मशीनों का दिया जाना ।

(v) पौधों की अधिक अच्छी सुरक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था ।

(vi) कृषि-ऋण तथा क्रय-विक्रय और गोदामों की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था ।

(vii) कृषि उत्पादों के लिए लाभकर मूल्य ।

Area under sugar-cane cultivation

*88. **Sri Inder J. Malhotra : Sri Ram Sewak Yadav : Sri Maharaj Singh Bharati:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether is is fact that the area under sugar-cane cultivation has not increased in October last due to the official floor price of sugar-cane being inadequate ;

(b) whether it is also a fact that in spite of the price of sugar in all the sugar mills being uniform the difference in the prices of sugarcane is almost double ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to ensure uniform price of sugarcane to all the sugarcane growers?

The minister of State in the ministry of Food, Agriculture, community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) The area under sugarcane available for crushing from the beginning of this season in October, 1967, is less than the previous year mainly due to drought conditions which prevailed at the time of sowing in January-March, 1967 and due to some diversion to other crops.

(b) and (c) The price of sugar is not uniform for all the sugar mills. The Government have fixed prices of 60% of the production to be requisitioned from the factories for regulated distribution on the basis of five zones recommended by the Sugar Enquiry Commission. From the balance 40% production, sugar is released to the factories for sale in the free market. Under the policy of partial control, it is not possible to ensure payment of a uniform price for sugarcane to the sugarcane growers. The price paid by individual factories for sugarcane above the minimum price fixed by Government depends upon competition from gur and khandsari and the price realised from free sale sugar.

खाद्यान्नों का आयात

*89. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस वर्ष अच्छी फसल होने की संभावना को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार का विचार वर्ष 1968 के लिये खाद्यान्नों के आयात के अपने लक्ष्यों में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1968 के लिए खाद्यान्नों के प्रस्तावित आयात पर कितने डालर खर्च होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)

(क) और (ख) : इस वर्ष भारत में अच्छी फसल को देखते हुये 1968 के लिये 75 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अतः इस लक्ष्य में परिशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा में होने वाला व्यय बताना सम्भव नहीं है क्योंकि जिस स्रोत से हमे खाद्यान्न मिलेंगे और कितनी कीमत तथा भाड़ा देना होगा, अभी मालूम नहीं है ।

कृषि सम्बन्धी ऋण समितियां

*90. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सम्बन्धी ऋण समितियों के कार्यसंचालन के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत बनाये जाने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है :

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केरल और मद्रास के अतिरिक्त शेष सभी राज्यों में कृषि संबंधी ऋण समितियों में निहित स्थानों का कम या अधिक नियंतण है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे यह प्रवृति रोकी जा सके और छोटे खेतिहरों को ऋण मिल सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) जी हां । हाल ही में मंत्रालय ने आठ राज्यों में प्राथमिक कृषि समितियों में निहित स्वार्थों की सीमा का पता लगाने तथा इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने के लिए एक द्रुत अध्ययन किया था ।

(ख) इस अध्ययन, जिसके अन्तर्गत आठ राज्यों के 22 चुने हुए जिलों में से प्रत्येक में केवल तीन समितियों का अध्ययन किया गया है, से यही निष्कर्ष निकलता है, जिसे अध्ययन का दायरा सीमित होने के कारण यह स्पष्ट है कि समान्य रूप नहीं दिया जा सकता ।

(ग) निकट भविष्य में होनेवाले मुख्य मंत्रियों तथा सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में इस समस्या पर विचार करने का प्रस्ताव है, ताकि इस बारे में कार्यवाही की एक स्वीकृत योजना तैयार की जा सके ।

पश्चिम बंगाल को चावल तथा गेहूं की सप्लाई

419. **डा० रानेन सेन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को दिसम्बर 1966 और जनवरी 1967 से कितना चावल तथा गेहूँ सप्लाई किया गया था; और

(ख) उस राज्य को सितम्बर 1967 और जनवरी 1968 में कितना चावल और गेहूँ सप्लाई किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

	चावल	('000 टनों में गेहूँ)
(क) दिसम्बर, 1966	18.8	78.0
जनवरी, 1967	13.1	53.1
(ख) दिसम्बर, 1967	26.3	93.3
जनवरी, 1968	31.5	74.0

डाक तथा तार घर

420. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को भारत में राज्यवार कुल कितने डाक तथा तार घर थे; और

(ख) देश में कुल कितने डाक तथा तार कर्मचारी हैं और उनका वार्षिक वेतन जिसमें सभी भत्ते शामिल हों कितनी राशि का होता है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें राज्यवार डाकघरों का ब्यौरा दिया गया है । [पुस्तकालयों में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 54/68] जहां तक तारघरों का सम्बन्ध है, राज्यवार उनकी सख्या उपलब्ध नहीं है। फिर भी सर्किलों के अनुसार उनके आंकड़े उपलब्ध हैं, और उनके सम्बन्ध में भी एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जा रहा है ।

(ख) कर्मचारी 5,13,342

सभी भत्तों सहित

वार्षिक वेतन बिल 98,08 लाख रुपये ।

भारतीय खाद्य निगम

421. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के बीस सर्वोच्च अधिकारियों के नाम और पद नाम क्या हैं तथा उनके वार्षिक वेतन और अन्य उपलब्धियां कितनी हैं ;

(ख) उपर्युक्त अधिकारियों ने गत तीन वर्षों में किस-किस तरीख को और किस-किस

देश के किस-किस नगर का दौरा किया तथा प्रत्येक दौरे पर कितनी भारतीय मुद्रा तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ग) इस निगम में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनके वेतन पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) एक विवरण जिसमें 20 सर्वोच्च अधिकारियों के नाम, उनके पदों के नाम, उनका वार्षिक वेतन जिसमें अन्य भत्ते भी शामिल हैं, सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 55/68]

(ख) भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष, भारत सरकार के एक पदाधिकारी और भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के एक पदाधिकारी की टीम ने 5 फरवरी, 1967 से 19 फरवरी, 1967 तक येन ऋण के अन्तर्गत चावल मिल की स्थापना के सम्बन्ध में जापान का दौरा किया ।

टीम पर होने वाले व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

	रुपयों में
रुपयों में	17,279.00
विदेशी मुद्रा में	9,968.00
कुल	27,247.00

(2) आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा कोलम्बो योजना के अधीन पयर्टकों को दिये जाने वाले दो विशेष पुरस्कार के सम्बन्ध में, भारतीय खाद्य निगम के, मैनेजिंग डायरेक्टर ने 23 अप्रैल, 1967 से, 3 सप्ताह का आस्ट्रेलिया का दौरा किया । इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम ने कोई खर्चा नहीं किया ।

(ग) 31 मार्च, 1967 तक भारतीय खाद्य निगम में कुल 11,353 कर्मचारी कार्य कर रहे थे । वर्ष 1966-67 के अस्थायी आंकड़ों के आधार पर इन कर्मचारियों पर 228 लाख रुपये व्यय हुए ।

भारतीय खाद्य निगम

422. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है और उनका वार्षिक संधारण व्यय कितना है ; और

(ख) इस निगम के पास कितनी और किस किस्म की मोटर गाड़ियां हैं और उनकी लागत कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब

शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों की कुल संख्या 102 है। 1966-67 के उपलब्ध अस्थायी आंकड़ों के अनुसार वर्ष का वार्षिक संधारण व्यय लगभग 5.69 लाख रुपये था ।

(ख) कारें	—	20
जीप	—	85
अन्य वाहन	—	108
लागत	—	50.47 लाख रुपये

भारतीय खाद्य निगम निजामाबाद

423. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम, निजामाबाद (आंध्र प्रदेश) द्वारा 1967 की खरीफ फसल में दिसम्बर 1967 के अन्त तक चावल मिलों तथा अन्य लोगों से कितने धान का समाहार किया गया ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम निजामाबाद ने स्थानीय तौर पर वसूल किये गये धान तथा चावल की किस्म को जाँच करने के लिये क्या परीक्षण किये ; और

(ग) परीक्षणों के फलस्वरूप धान के मूल्यों में किस हद तक कमी की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम

424. **श्री नारायण रेड्डी** ; क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) स्थित कार्यालय ने आरम्भ से लेकर 31 मार्च 1967 के अन्त तक विभिन्न वस्तुओं में कितना कारोबार किया है;

(ख) 31 मार्च 1967 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में इसने धान खरीदने के लिये कितना मूल्य दिया है ;

(ग) धान के वसूली मूल्य तथा हैदराबाद और अन्य स्थानों पर राशन और उचित मूल्य की दूकानों को सप्लाई किये गये चावल के मूल्यों में कितना अन्तर है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम तथा सहकार एजेन्सियों द्वारा सप्लाई किये गये चावल के मूल्यों में इतने अधिक अन्तर का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

आंध्र प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप

425. **श्री द० ब० राजू** : क्या खद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप संगठन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य , कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। समन्वेषी नलकूप संस्था का 1968-69 में इस राज्य में भूमिगत समन्वेषणात्मक कार्य करने का प्रस्ताव है । 1968-69 में 18 समन्वेषी और 5 अवलोकनात्मक छिद्रण करने का प्रस्ताव है। पहले समन्वेषी नलकूप संस्था ने 15 समन्वेषी छिद्रण किये हैं (8 पूर्वी गोदावरी , 4 पश्चिम गोदावरी और 3 कृष्णा जिलों में), जिनमें से 11 छिद्रण सफल सिद्ध हुए और लगभग 700 वर्गमील का क्षेत्र इस योग्य पाया गया कि उसमें सिंचाई के लिए हैवी ड्यूटी नलकूपों का निमर्ाण किया जा सके ।

फसलों को क्षति

426. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : **श्री राने** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष असामयिक वर्षा से फसलों को 100 करोड़ रुपए के मूल्य की क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रभावित राज्यों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार असमय की वर्षा तथा ओलावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा आसाम के कुछ भागों में दिसम्बर, 1967 तथा जनवरी, 1968 में खड़ी फ़सलों को हानि पहुंची है । ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है कि फसलों को कितनी हानि पहुँची है ।

(ग) इन राज्यों से वित्तीय सहायता के विषय में कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

Land under Cultivation

427. **Shri K. M. Madhukar** . Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the additional acreage of land brought under cultivation this year as compared to the previous year for the paddy as well as the rabi crops, respectively ;

(b) whether the entire cultivable land in the country has been brought under cultivation;

(c) if not, the percentage of the total cultivable land in the country which has been brought under cultivation : and

(d) the details of the scheme to bring the remaining cultivable land under cultivation?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, community development and co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) Final Estimates of area under paddy and rabi crops for the current year 1967-68 based on complete enumeration have not yet become available from the States.

(b) No, Sir.

(c) According to Land Utilisation Statistics for the latest available year 1964-65, the total cultivated area was 82·9 percent of the total cultivable area. A Statement giving the relevent figures is enclosed. **[Placed in Library. see no. LT-56/68]**

(d) Land reclamation is being carried out under various State plan Schemes, Centrally Sponsored Scheme of reclamation of waste lands for the resettlement of landless agricultural workers and also as a part of the area development programme undertaken through Co-operarive Land Development Banks with the assistance of Agricnltural Refinance Corporation. Almost all the States and Union Territories (except Delhi, Chandigarh and Laccadiv and Amindivi Islands) have land reclamation schemes. The physical targets for 1967-68 are 3·6 lakh acres and the revised physical targets proposed for 1968-69 are 4·1 lakh acres.

In addition, schemes to reclaim and develop about 15 lakh acres of land in the command of major irrigation projects have been taken up at an estimated cost of Rs.33 crores with the assistance of Agricultural Refinance Corporation. These schemes are at different stages of execution according to the nature and extent of schemes.

खुदाई के बर्मे (ड्रिलिंग रिग्स)

428. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** **श्री श० ना० शुक्ल :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में खुदाई के बर्मे (ड्रिलिंग रिग्स) खरीदने के लिए प्रत्येक क्षेत्र को कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है ; और

(ख) इन बर्मों की क्या विशेषताएं हैं तथा उनका किन-किन देशों से आयात किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) : (क) और (ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

विदेशी मुद्रा नियतन की राशि	राज्य	रिग का ब्यौरा	देश
27.00 लाख रुपया	बिहार	1—एक भारी ड्यूटीडाइरेक्ट–रोटरी–कम–परकुशन	यू० एस० ए०
		2—पाँच मध्यन ड्यूटी डाइरेक्ट रोटरी–कम–परकुशन (फेलिंग माडल डब्लू डब्लू 1)	यू० एस०ए०

		3—तीन मध्यम डाइरेक्ट रोटरी (फेलिंग माडल 1500)	यू० एस० ए०
4.80 लाख रुपया	मैसूर	दो मध्यम परकुशन (माडल यू० पी० 200)	पोलैंड
योग 31.80 लाख रुपया			

टेलीफोन कनेक्शन

429. **श्री बाबूराव पटेल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार तथा देश के 12 महत्वपूर्ण नगरों में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं और समूचे देश में टेलीफोन संचार व्यवस्था से कुल कितनी वार्षिक आय होती है ; और

(ख) टेलीफोन लगवाने के लिये राज्यवार कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं और उन्हें कब टेलीफोन कनेक्शन मिल जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख)—देश भर में कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या और अधिक टेलीफोनों के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या, राज्यवार अनुबन्ध I में दिखाई गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 57/68] 12 महत्वपूर्ण नगरों में (जहाँ प्रारम्भ में अपना टेलीफोन योजना चालू की गई थी) टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या अनुबन्ध 11 में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 57/68] 1966--67 के दौरान समूचे देश में टेलीफोन कनेक्शनों से हुई कुल आय 68.30 करोड़ रुपये थी ।

इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक कोई अनुमान लगाना संम्भव नहीं है कि प्रतीक्षा-सूची के सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जाएंगे चूँकि यह बहुत सी बातों अर्थात् विभिन्न किस्म के उपस्करों, भूमिगत केबिलों तथा लाइन सम्बन्धी सामान के उत्पादन व सप्लाई पर निर्भर करता है ।

निजाम शूगर फैक्ट्री, बोधन

430. **श्री नारायण रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के समाहार मूल्य का पुनरीक्षण करने तथा उसका मूल्य फिर से 161.00 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित करने के संबंध में निजाम शूगर फैक्ट्री, बोधन से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ग) चीनी का हाल में जो समाहार मूल्य निर्धारित किया गया है, उसमें सरकार ने किन विशेष कारणों से उत्तर आन्ध्र प्रदेश (निजाम शूगर फैक्ट्री, बोधन तथा निजामाबाद सहकारी चीनी फैक्ट्री, निजामाबाद) तथा शेष आंध्र प्रदेश के बीच भेद-भावपूर्ण रवैया अपनाया है ; और

(घ) दिसम्बर, 1967 के अन्त तक सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में निजाम शूगर फैक्ट्री लिमिटेड, शक्क नगर, बोधन, निजामाबाद सहकारी चीनी कारखाना, निजामाबाद और के० सी० पी० चीनी फैक्टरी बुयूयर को खुली चीनी का कितना कोटा दिया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां

(ख) इस सम्बन्ध में कारखाने ने उच्च न्यायालय में एक अभिलेख याचिका भी दी है और मामला न्यायाधीन है ।

(ग) चीनी के समाहार मूल्य चीनी जांच आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किये गये हैं जिनमें 5 जोनो को बनाने की सिफारिश की गई है। इसके अनुसार उत्तर आंध्र प्रदेश के इन दो कारखानों को जोन 1 में रखा गया है, आंध्र-प्रदेश के और कारखानों को जोन 2 में रखा गया है ।

(घ) तीनों कारखानों को बिक्री के लिये 1967 के दिसम्बर के अन्त तक दिये जाने वाला कोटा इस प्रकार है :

	टनों में
1. निजाम सूगर फैक्ट्री, शक्कर नगर, बोधन	1,907.9
2. निजामाबाद कोआपरेटिव सूगर फैक्ट्री, निजामाबाद	251.4
3. के० सी० पी० सूगर फैक्ट्री, वीयूयर	983.6

चीनी बनाने के कारखाने

431. **श्री सीताराम केसरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी बनाने की कितनी मिलें हैं ;

(ख) उनमें से कितनी मिलें गन्ने की कमी के कारण या तो बन्द हो गई हैं अथवा अपनी क्षमता से कम पारियां चला रही हैं ; और

(ग) मिलों को गन्ने की सप्लाई नियमित रूप से सुनिश्चित करने तथा इस बात की व्यवस्था करने के लिये, कि मिल अपनी पूर्ण क्षमता से काम करें, सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) देश में कुल चीनी मिलों की संख्या 202 है, इसमें से चालू वर्ष में केवल 195 मिलों ने कार्य किया। 12 फरवरी तक प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से 25 चीनी मिलें अपने क्षेत्र में सब उपलब्ध गन्ना पेरने के बाद बन्द हो गईं ।

(ग) गन्ने के लिये उपलब्ध क्षेत्र इस वर्ष कम है। वह कारखानों की पूरी क्षमता के लिये पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी नई नीति के अनुसार जिसके अन्तर्गत चीनी मिलें सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के मूल्य से अधिक मूल्य दे रही हैं, के कारण गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और वह चीनी कारखानों को उपलब्ध हो सकेगा।

Rehabiliiation of refugees from East Pakistan in Nagaland

432. **Shri Shashibhusan Bajpai:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:-

(a) whether Government propose to rehabilitate the Chrsitian Budhist refugees from East Pakistan in Nagaland;

(b) the reasons as to why the refugees from the neighbouring hills in Pakistan on Nagaland-Pakistan border have not been rehabilitated in Nagaland; and

(c) the number of persons who can be rehabilitated in Nagaland?

The Deputy Minister in the Ministry of labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan):

(a) There is no proposal in the department of Rehabilitation to resettle migrants from East Pakistan of any religion in Nagaland.

(b) The need for rehabilitation of migrants from East Pakistan in Nagaland has not arisen.

(c) Does not arise.

नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला

434. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मयावन :
श्री प्र० के० देव :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष कोष) की सहायता से भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में एक नाभिकीय अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना स्थापित करने का क्या उद्देश्य है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में एक न्यूक्लियर अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) के पास भेजी गई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अन्तरंग परिषद् ने अपनी जनवरी, 1968

की बैठक में इस परियोजना के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी थी। सरकार इस परियोजना को कार्यरूप देने के लिए कार्यवाही कर रही है ।

(ख) परियोजना की एक प्रति संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 58/68] ।

(ग) इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन तथा पशु उत्पाद बढ़ाने के विषय में समस्याओं का समाधान करने के लिए न्यूक्लियार उपकरणों के प्रयोग द्वारा सुविधाओं का विकास करना है । परियोजना का उद्देश्य उन तकनीकों का मानकीकरण करना है जिनमें असिंचित क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की दृष्टि से समस्याओं का अध्ययन करने में सहायता मिल सकती है ।

Development of Backward Areas in U. P.

435. **Shri Ram Singh Ayarwal:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount proposed to be allocated for the development of backward areas like Bundelkhand in U. P. under the community Development programmes during the year 1968-69;

(b) whether some special facilities are proposed to be provided for the development of culture and civilization of the race of Bundelas; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy):

(a) As reported by the Government of Uttar Pradesh, a total amount of Rs.4,40,17,000 under Plan and Non-Plan schemes has been proposed for development of backward areas under Community Development Programme for 1968-69, of this Rs.3,49,68,000 are for the eastern region, Rs.42,16,000 for the hill region and Rs. 48,33,000 for Bundelkhand region.

(b) The Government of Uttar Pradesh, have intimated that the normal programmes will continue and no special facilities are proposed.

(c) Does not arise.

Saugar-Jabalpur Telephone Line.

436. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Saugar-Jabalpur telephone line generally goes out of order ;

(b) whether it is also a fact that there are no suitable telephone arrangements in Jabalpur Commissionary and the persons wishing to get a telephone line have to face great difficulties ; and

(c) if so, the time likely to be taken by Government for making necessary arrangements in this regard ? and

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No. Though there have been a few interruptions on the circuit, generally it has worked satisfactorily. Steps will be taken to improve the working further.

(b) At present there is no Public Call Office at Jabalpur Commissionary (i. e. office of the Divisional Commissioner, Jabalpur).

(c) The local authorities have been instructed to look into the possibility of immediate installation of such a P. C. O.

सुपर बाजारों में अभिनवीकरण योजना

437. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री एस्थोस :**
श्री नम्बियार :

क्या खाद्य , तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजारों में अभिनवीकरण योजना चालू करने के लिये सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इससे कुल कितने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सुपर बाजारों में अभिनवीकरण की कोई विशिष्ट योजना चालू करने का सरकार का विचार नहीं है । तथापि, अभी हाल ही में राज्य सरकारों तथा देश के विभिन्न सुपर बाजारों के प्रबन्धाधिकरणों के विचारार्थ कार्यकुशलता के कुछेक मानक सुझाए गए हैं ।

(ख) कर्मचारियों के सम्बन्ध में इन मानकों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

(1) कुल बिक्री में वेतन चिट्ठा व्यय का 3 प्रतिशत प्रतिशत

(2) खाद्य तथा किराना विभागों में प्रति विक्रेता प्रति दिन 400 रुपये की बिक्री ।

(3) अन्य विभागों में प्रति विक्रेता प्रतिदिन 300 रुपये की बिक्री ।

(ग) आम तौर पर यह आशा की जाती है कि सुपर बाजार बिक्री के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे या अपने विभागों के विस्तार को पुनर्व्यवस्थिति करेंगे, ताकि निर्धारित मानक प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जा सके । कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां प्रबन्धाधिकरण सुपर बाजारों के अलग-अलग विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम करने का निर्णय करें ।

तथापि, इस समय ऐसे कर्मचारियों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जिनके प्रभावित होने की सम्भावना है।

कोयला, अभ्रक और लौह अयस्क खान कल्याण निधि का एकीकरण

438. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री अब्राहम :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला, अभ्रक और लौह अयस्क खान कल्याण निधियों का एकीकरण कर उसे एक प्रशासन के आधीन लाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त एकीकरण के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) :

(क) से (ग) इन तीन निधियों में कार्यकर रहे उच्च स्तरी अधिकारियों के एकीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस समय इन निधियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यह अनुभव किया जाता है कि समान निदेश और नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कल्याण-कारी साधनों की योजना बनाई जा सकती है और उन पर समन्वित रूप से तथा कम खर्च पर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से अमल किया जा सकता है।

कृषि उत्पादों की लागत के आंकड़े

439. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री उमानाथ :**
श्री प० गोपालन : **श्री नम्बियार :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों की लागत के आंकड़े एकत्रित करने के लिये फरवरी, 1967 में नियुक्त स्थायी तकनीकी समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी, हां। कृषि उत्पादों की लागत के आंकड़े एकत्रित करने, आवश्यक मार्गदर्शन करने व एक समन्वित आधार पर उत्पादन की लागत के सर्वेक्षण का आयोजन करने के लिए फरवरी, 1967 में नियुक्त स्थायी तकनीकी समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) समिति ने मूल्य नीति के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के व्यय विषयक वर्तमान दित्ते की उपयुक्तता, अखिल भारतीय आधार पर उचित व्यय के दित्ते के एकत्रिकरण की आवश्यकता तथा उनके अद्यतन रखने की आवश्यकता का पुनर्विलोकन किया। समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं।

(i) 1968-69 के कृषि-वर्ष से निरन्तर रूप से देश में प्रमुख फसलों के उत्पादन व्यय का अध्ययन करने के लिए एक वृहत्त योजना शुरू की जाये।

(ii) एक अन्तरिम कदम के तौर पर आदान व्यय के आंकड़ों को तैयार करने की योजना का उचित रूप से विस्तार किया जाये।

(iii) समिति ने प्रमुख फसलों की खेती के व्यय का अध्ययन करने तथा आदानों के व्यय के आँकड़ों की स्कीमों के तकनीकी व संगठनात्मक पहलुओं के बारे में भी अनेक सुझाव दिये हैं।

(ग) समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में सुपर बाजार के लिये मुख्य लेखा-नियंत्रक की नियुक्ति

440. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री उमानाथ : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी के भूतपूर्व सचिव को नई दिल्ली में सुपर बाजार का मुख्य लेखा-नियंत्रक नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे किस आधार पर नियुक्त किया गया है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी के भूतपूर्व सचिव मैसर्स एस० पी० चोपड़ा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के एकाउन्टिंग सुपरवाइजर के प्रतिनिधि के रूप में सुपर बाजार में कार्य कर रहे हैं।

(ख) मैसर्स एस० पी० चोपड़ा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ने उनके योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, जिन्हें 13 वर्ष का अनुभव है के रूप में नियुक्ति की है।

सहकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग

441. **श्री दीवीकन :** **श्री रामभद्रन :**
श्री चेंगल राया नायडू :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि सहकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योगों का विकास हो जिससे उपभोक्ता सहकारी क्षेत्र को निर्माताओं से वस्तुओं की सप्लाई के बारे में सौदे-बाजी करने के लिए नियंत्रण संबंधी अधिकार मिल जाये;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को प्रदर्शक सिद्धान्त बताये हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सरकार सहकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योगों का विकास करने के उपायों पर विचार कर रही है । तथापि, ऐसे उद्योगों से पैदा होनेवाली सौदेबाजी करने की ताकत अभी कुछ समय के लिए सीमित रहेगी ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष से अलग-अलग प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) परिचालित किए गए प्रदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में राज्य सरकारें ठोस-प्रस्ताव तैयार कर रही हैं । अब तक 14 ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके है ।

उर्वरकों का आयात

442. **श्री दीवीकन :** **श्री अंबचेजियान :**
श्री रामभद्रन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967–68 में लगभग 10 लाख टन उर्वरकों का आयात करने का एक प्रस्ताव था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वेज नहर के लगातार बन्द रहने के कारण प्रतियोगी दरों पर उर्वरकों का आयात करने के लिये हमारे प्रयास काफी हद तक विफल हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्वेज नहर के बन्द होने के कारण कितनी हानि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सन् 1967-68 के लिए 9 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 3 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ तथा 3 लाख मीटरी टन के 2 ओ उर्वरकों के आयात किये जाने का कार्यक्रम है ।

(ख) उर्वरक के आयात के लिये ठेके साधारणतया नौतल पर्यन्त मूल्य की शर्त पर किये जाते हैं । इसलिये भाड़े का असर खरीदी हुई चीजों के प्रतियोगी स्वरूप पर नहीं पड़ा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

द्वितीय चीनी-मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

443. **श्री दीवीकन :** **श्री रामभद्रन :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) बोर्ड ने अभी तक अपना अन्तिम प्रतिवेदन नहीं दिया है । फिर उसने हाल ही में सेवा निवृत्ति की आयु, वार्षिक वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते की गणना से सम्बन्धित, अपनी अन्तरिम सिफारिशें कर दी हैं । इन सिफारिशों की प्रतियाँ सभा-पटल पर रख दी गई हैं ।

(ग) बोर्ड को ऐसे उद्योगों के वेतन सम्बन्धी पेचीदा मामलों को निपटाना है जिनके प्रति-

ष्ठान/एकांश विभिन्न राज्यों में फैले हुए है । बोर्ड समस्याओं से अधिगृहीत है और वह जितनी जल्दी हो सके अपना कार्य पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है ।

Agricultural Labourers Co-operative Societies

444. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2962 on the 5th December 1967 and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the various States ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps being taken to give incentive to the co-operative societies for agricultural labourers and landless farmers ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadswamy : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement showing the facilities given by the State Governments and the Central Government to the Co-operatives of agricultural labourers and landless farmers is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L-T.-59/68]**

सहकारी समितियाँ

445. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेवा सहकारी समितियां बहुप्रयोजनीय, सहकारी समितियां, श्रमिक सहकारी समितियां तथा अन्य प्रकार की सहकारी समितियों की, राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है, और उनके सदस्य कितने-कितने हैं और उनकी अंश-पूंजी कितनी-कितनी है; और

(ख) क्या सहकारी समितियों के माध्यम से ही देहाती क्षेत्रों को ऋण देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1565 के जून के अन्त तक स्थिति स्पष्ट की गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 60/68]**

(ख) जी, नहीं

Cultivable Fallow Land

446. **Shri Bhogendra Jha** : **Shri Nitiraj Singh Chaudhary** :

Will the the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total acreage of cultivable fallow land owned by Government and private persons in the country ; State-wise ;

(b) the acreage of such fallow land owned by the ex-rulers of the Indian princely States ;

(c) the schemes prepared by Government to bring such fallow land under cultivation ; and

(d) the steps being taken to ensure their speedy implementation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib P. Shinde) :

(a) The acreage of cultivable fallow lands owned by Government and private persons in the country, Statewise is given in the annexed statement. **[Placed in Library. See No. LT. 61/68]**

(b) Information is not available.

(c) and (d) : For bringing fallow lands and culturable waste lands under cultivation, land reclamation is being carried out under various State Plan Schemes, Centrally sponsored scheme of reclamation of wastelands for the resettlement of landless agricultural workers and also as a part of the area development programme undertaken through the Co-operative Land Development Banks with the Assistance of Agricultural Refinance Corporation. Almost all the States and Union Territories (except Delhi, Chandigarh and Laccadive & Amindivi Islands) have land reclamation schemes. The physical targets for 1967-68 are 3.6 lakh acres and the revised physical targets proposed for 1968-69 are 4. 1 lakh aeres.

In addition, schemes to reclaim and develop about 15 lakh acres in the command of major irrigation projects have been taken up at an estimated cost of Rs. 33 crores wtih the assistance of Agricultural Refinance Corporation. These sehemes are at different states of execution according to the nature and the extent of schemes.

The question of bringing cultivable fallow lands under cultivation has been constantly engaging the attention of the Government. However, all the cultivable lands cannot be brought under cultivation economically and the relatively heavy iuvestment required for this purpose has been a serious limiting factor.

Distribution of Fertilizer by Cooperatives in U. P.

447. **Shri Molahu Prasad:** **Shri Ram Charan:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a)whether it is a fact that calcium fertilizer from Nangal and fertilizer from Sindri have been sold in black market on a large scale by the cooperative Socities in Uttar Pradesh from October, 1967 to November, 1967 and consequently farmers could not get the fertilizers;

(b) whether it is also a fact that licences and quotas were given for the sale of fertilizers to a few private parties in Uttar Pradesh;

(c) whether it is further a fact that some cases have come to the notice of Government wherein licences given to a few persons were cancelled immediately after the issue; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (d): The requisite information is being collected from the State Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

खाद्यानों का समाहार

448. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**
श्री रविराय : **श्री मोहसिन :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिये खाद्यान्नों के समाहार का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यवार, वस्तुतः कितनी सफलता मिली है और यदि समाहार निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है; तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आगामी वर्ष के लिये कोई समाहार योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) आगामी वर्ष में कुल कितनी मात्रा में खाद्यानों का समाहार किये जाने की सम्भावना है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) वर्ष 1967-68 के लिये कृषि आयोग ने खाद्यान्नों के समाहार का लक्ष्य 80 लाख टन निर्धारित किया है। खरीफ के लिये 70 लाख टन और रबी के लिये 10 लाख टन।

(ख) एक विवरण जिस में वास्तविक खरीफ की फसल के समाहार का ब्यौरा दिया गया है संलग्न है, [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-62/68] चूंकि समाहारी का मौसम जोरों पर नहीं है अतः इस स्तर पर किसी कमी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार के लिये आपत्कालीन सहायता समिति

449. श्री रा० रा० सिंह देव: श्री य० अ० प्रसाद:
श्री बेदब्रत बरुआ:

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष अच्छी फसल को देखते हुए बिहार सम्बन्धी संयुक्त आपत्कालीन सहायता समिति कायम रखने का कोई औचित्य है; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति सहायता कार्य के अतिरिक्त अन्य क्या-क्या क. . . ..ो है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) तथा (ख): बिहार में स्थिति में सुधार होने के कारण, आपात्-कालीन सहायता समिति की समाप्ति का प्रश्न बिहार सरकार के परामर्श पर विचाराधीन है।

उपग्रह संचार केन्द्र

450. श्री रा० रा० सिंह देव: श्री बेदब्रत बरुआ:
श्री धीरेन्द्र नाथ देव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में उपग्रह दूर-संचार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है ; और

(घ) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल); (क) जी हां।

(ख) भू-माण्डलिक संचार उपग्रह प्रणाली (ग्लोबल कम्यूनिकेशंन सैटेलाइट सिस्टम) में भारत की भागीदार की योजना के अंग के रूप में बम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । उपग्रह संचार का मुख्य भूमिस्थिति केन्द्र, पूना के निकट आर्वी में स्थापित किया जायेगा । इस योजना के लिये अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन तथा टेलेक्स एक्सचेंज और अन्य अनुषंगी सुविधाएं बम्बई के प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार केन्द्र में अवस्थित रहेंगे जो कि आर्वी में स्थित भूमिस्थिति केन्द्र से सूक्ष्म-तरंग सम्पर्क (माइक्रोवेव लिंक) द्वारा जुड़ा रहेगा । अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन तथा टेलेक्स एक्सचेंज, राष्ट्रीय दूरसंचार-जाल से होकर देश के विभिन्न भागों में उपग्रह दूरसंचार सरणियों के वितरण के लिये राष्ट्रीय-प्रणाली से जुड़े रहेंगे।

प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार केन्द्र का भवन केन्द्रीय तारघर के पास वाडबी रोड नेशनल एक्सचेंज के निकट अवस्थित होगा।

(ग) और (घ) : भवन का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है । लगभग 15 मास में यह भवन तैयार हो जाने की संभावना है, किन्तु इस भवन का एक हिस्सा अक्तूबर, 1968 तक ही पूरा हो जायगा ताकि वह एक्सचेंज उपस्कर के लिये सुलभ हो सके । इस भवन की लागत लगभग 143 लाख रुपये रहने का अनुमान है। एक्सचेंज के उपस्कर की लागत लगभग 80 लाख रुपये होगी ।

Posts for Hindi Work in Community Development and Co-operation Department

451. **Shri N. S. Sharma:** will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of posts sanctioned for doing Hindi work in the Department of Community Development and Co-operation and the dates of their sanction;

(b) whether all these posts have been filled up;

(c) whether any of them has been abolished; and

(d) if so, the date of abolition of the posts and the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) 5

1. Hindi Assistant 16-4-1955 (in abeyance)
2. Hindi Stenographer 21-10-1955
3. Hindi Stenotypist 17-12-1956
4. Hindi Typist 29-7-1955
5. Hindi Translator 20-1-1967.

(b) Yes, except 1 which is in abeyance.

(c) No.

(d) Does not arise.

Complaints against Telephone System in Delhi

452 **Shri N. S. Sharma :** **Shri Kanwar Lal Gupta:**
Shri Sharda Nand: **Shri Ram Gopal Shalwale:**
Shri R. S. Vidyarthi:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints against the working of the telephone system in Delhi during the last six months ;

(b) if so, the number thereof and the action taken by Government thereon ;

(c) the steps taken by Government during the last six months to improve the telephone arrangements in Delhi ;

(d) whether it is a fact that Rs.3,000 are now required to be deposited as security instead of Rs.2,000 and the charges for the whole year are realized once in a year in lumpsum ; and

(e) whether it is also a fact that an amount of Rs.5,000 has been demanded as security separately in Delhi and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) 2903 written complaints were received during the period 1st July, 67 to 31st December, 1967. Every complaint was examined, suitable remedial action taken and a reply given to the complainant.

(c) Steps have been taken for quick despatch of telephone bills and prompt attention to complaints from subscribers.

(d) It is a fact that the O. Y. T. deposit has been increased from Rs.2,000 to Rs.3,000 from 1st January, 1968. This is an advance deposit which is adjusted against part of rental charges during a period of 20 years and is not a security deposit. For non O. Y. T. connections advance rental for five quarters is being charged now. instead of for one quarter previously. Rentals are being collected quarterly as before.

(e) Rs.5,000 was demanded from some subscribers as Trunk Call deposit. This demand was subsequently withdrawn on representation by the subscribers. The deposits were demanded as a safeguard against possible default by the subscribers in payment of trunk call bills.

Prices of Foodgrains

453. **Shri N. S. Sharma :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Sharda Nand : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of foodgrains especially of coarse grains are falling sharply with the reports of prospects of bumper crop in the country ; and

(b) if so, the action taken by Government to check the fall in prices of foodgrains and ensure reasonable price to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde):

(a) No, Sir.

(b) In order to ensure reasonable prices to the formers Government are purchasing coarse grains at the procurement prices.

दिल्ली और श्रीनगर के बीच माइक्रो क्रास-बार संचार व्यवस्था का खराब हो जाना

454. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनवरी, 1968 में दिल्ली तथा श्रीनगर के बीच माइक्रो क्रास-बार संचार व्यवस्था पूर्णतया खराब हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। माइक्रोवेव प्रणाली 29 जनवरी, 1968 को खराब हो गई थी ।

(ख) जम्मू और काश्मीर में हाल ही में हुए अभूतपूर्व हिमपात के कारण नरोटा स्थित 'रिपीटर केन्द्र' के पास जो कि 9680 फीट की ऊंचाई पर है, भारी मात्रा में बर्फ जमा हो गई, जिससे संचारण का मार्ग रुक गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वहां तक पहुंचने की सड़क साफ कर दिये जाने के बाद ही गड़बड़ी 11-2-68 को दूर की जा सकी। यह सुनिश्चित करने के कदम उठाये जा रहे हैं कि अगले जाड़े में यह प्रणाली इस प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना के समय कायम रह सके।

फिर भी जमीन पर लगी लाइन प्रणालियों को, बर्फ गिरने के कारण जिन पर भी असर पड़ा था, 1 फरवरी को आंशिक रूप से और 4 फरवरी, 1968 को पूरी तरह से फिर से चालू कर दिया गया था ।

Unemployment of workers due to strikes etc.

455. **Shri Arjun Singh Bhadoria** :Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of workers who had to remain unemployed following the closures, lock-outs and lay-offs in the industarial units during the last two years ;

(b) the names of Centres in which they remained out of job and also the duration of their unemployment :

(c) the action taken by Governmcnt to give relief to these workers during the period of their such unemploment ; and

(d) whether Government have conducted any survey in regard to the conditions of the workers who had to remain unemployed in this way and if so, the outcome thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) and (b) The matter falls predominantly in the state sphere.

(c) The workers are entitled to lay-off and retrenchment compensation under the Industrial Disputes Act, 1947.

(d) No, Sir.

Procurement of Foodgrains by Food Corporation of India

456. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) whether the procuremeut price for various foodgrains for the kharif crop has been fixed by the Food Corporation of India : and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) The procurement prices of various kharif cereals are fixed by the State Governments in consultation with Central Government. Food Corporation makes purchases at these prices.

(b) Attention is invited to part (b) of Starred Question No. 775 answered in Lok Sabha on 19-12-1967.

The price of jowar in U. P. has since been revised as follows :

	(Rs. per quintal)
Red	53·00
Yellow	54·00
White	55·00.

मद्रास के गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

457. **श्री राममूर्ति :** **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री रमानी :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन के गोदी कर्मचारियों ने 8 जनवरी, 1968 को हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) प्रमुख मांगे थी (क) सभी श्रेणी के कर्मचारियों को निःशुल्क वर्दियां देना (ख) मजदूरों या बिचवाले की टेन्डिलों के रूप में तरक्की और (ग) अनियत मजदूरों की बारी-बारी से नियुक्ति केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्धी संस्था ने इस विवाद को सुलझाने में सहायता की । हड़ताल 16 जनवरी को समाप्त हुई। निःशुल्क वर्दी देने से सम्बन्धित विवाद 17 तारीख को राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को विचारार्थ भेज दिया गया है। अन्य मांगे भी आपसी समझौते द्वारा तय कर ली गई हैं।

तार कर्मचारियों की हड़ताल

458. श्री राममूर्ति : श्री नायनार :
श्री अब्राहम : श्री रमानी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तार कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 1 जनवरी, 1968 से वेतन हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने आदमी वेतन हड़ताल पर हैं ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं और विवाद को निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी हां । वेतन हड़ताल केवल दिल्ली में हुई थी ।

(ख) दिल्ली में कुल 696 कर्मचारियों में से केवल 442 ने वेतन हड़ताल में भाग लिया ।

(ग) कर्मचारी यह चाहते थे कि समुदाय के आधार पर देने के बजाय, जैसा कि इस समय किया जाता है, ऊनी ओवरकोट हरेक व्यक्ति को अलग-अलग दिये जाएं । कर्मचारियों को ऊनी ओवरकोट केवल उसी दशा में दिये जाते है जबकि वे रात की बाहर की ड्यूटी पर हों । तारघरों में ड्यूटी चौबीस घन्टे में बारी-बारी से दी जाती है, अतः किसी और समय ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों को ऊनी ओवर कोट देना न्यायोचित नहीं है । इस प्रार्थना को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि इसकी बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया होगी ।

क्रासबार एक्सचेंज

459. श्री न० कु० साल्वे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेल्जियम से आयात उपकरणों में निर्माण सम्बन्धी गम्भीर खराबी होने के कारण दो नये क्रासबार एक्सचेंज ठीक काम नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपकरणों की सप्लाई के लिये टैण्डर मांगे गये हैं ;

(ग) क्या जिस फर्म के टैण्डर मंजूर किये गये थे उसको सौंपे गये काम का कोई अनुभव था ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस फर्म को टैण्डर देने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल):

(क) हाल ही में बम्बई में चालू किये गए दो क्रासबार एक्सचेंजों में से एक (काल्बा देवी) संतोषप्रद रूप से काम कर रहा है । दूसरे (सिटी) एक्सचेंज में शुरू में कुछ कठिनाई थी, क्योंकि परियात अत्यधिक था जिसके कारण इस एक्सचेंज पर काफी दबाव था । इस एक्सचेंज के काम में अब काफी सुधार हो गया है ।

(ख) इस उपस्कर की सप्लाई के लिए विश्व भर के देशों से टेंडर मांगे गए थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरियाना में अनाज की क्षति

460. श्री न० कु० सल्वे : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना में विभिन्न रिमिनल मार्केटों में हजारों मन अनाज पड़ा रहा तथा मानवीय उपयोग के योग्य नहीं रहा है क्योंकि केन्द्र ने उस राज्य के अनाज को राज्य से बाहर बेचने की अनुमति नहीं दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Food Procurement

461. **Shri Madhu Limaye:** **Shri C. Muthusami:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any letter/circular has been sent by the Centre to the States in connection with the procurement of foodgrains;

(b) whether there are any differences between the Centre and the State Governments on the issue of the maximum procurement prices of foodgrains ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether there is difference of opinion between the Centre and the State Governments as to the acreage of fields to be exempted from procurement; and

(e) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde):

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Initially there had been some differences with some State Governments, but these have since been resolved.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Arrangements for Telegrams and Public Telephones in Sono (Bihar)

462. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation to the effect that arrangements for telegrams and public telephones be made in Sono, District Monghyr Jamui Circle, Bihar ; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) The proposal is unremunerative and under the present policy of the Government cannot be sanctioned. The facility can, however, be provided if some interested party is willing to indemnify the loss to the department.

Post Office Bhour (Bihar)

463. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation to the effect that a Post Office be opened in Bhour (Bhramarpur), Sono Division, Jumui Circle, District Monghyr, Bihar; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Dapartments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) Proposal was examined in February 1962 and dropped as departmental standards were not fulfilled. The proposal is, however, being re-examined.

खरीद समितियां

465. **श्री नायनार :** **श्रीमती सुशीला गोपालन:**
श्री नम्बियार : **श्री चक्रपाणि :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे केन्द्रीय/थोक/विभागीय भंडारों को खरीद समितियां बनाने के लिये कहें ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या खरीद समितियों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी)

(क) जी हां ।

(ख) अब तक केवल तीन राज्य सरकारों ने उत्तर भेजे हैं। राज्य सरकारों ने सुझाव पर सकारात्मक उत्तर दिए हैं ।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा सुझाई गई क्रय समिति में कर्मचारियों में से महाप्रबन्धक को शामिल किया जाता है ।

केरल को आवंटित चावल का मूल्य

466. **श्री नायनार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य को आवंटित राशन के चावल के हाल में बढ़ाये गये मूल्य को

घटाने का अथवा राशन के चावल के बढ़े हुए भार को कम करने के लिये केरल राज्य को सहायता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल को चावल का नियतन

467. श्री नायनार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1967 से जनवरी, 1968 तक की अवधि में केरल राज्य को कितनी मात्रा में चावल दिया गया था ; और

(ख) केरल सरकार ने कितनी मात्रा में चावल की मांग की थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे): (क) और (ख) नवम्बर, 1967 से जनवरी, 1968 तथा केन्द्रीय भंडार में से केरल में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो को 1.37 लाख टन चावल दिया गया । यह केरल की 70–75 हजार टन की मासिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर दिया गया था ।

Managing Committee of Super Bazar, New Delhi

469. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a numer of officials in the Managing Committee of the Super Bazar are disproportionate to the total strength of the staff of the Super Bazar and most of them are on deputation and are drawing salaries four times more than their previous pay; and

(b) if so, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy):

(a) There are four officials of the Delhi Administration on the Managing Committee of the co-operative Store Ltd., Delhi, which is running the Super Bazar. These officials are not on deputation to the Super Bazar and as such do not draw any salaries. Their number has no relevance to the total number of employees working in the Super Bazar.

(b) Question does not arise.

Unemployment of Engineers in Haryana

470. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that unemployed engineers of Haryana went on strike in January, 1968 :

(b) if so, the nature of their demands ; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Minister of Labour and Rehabilitation (**Shri Hathi**) : (a) Government have no information.

(b) and (c) Do not arise;

Loss in Delhi Milk Scheme

471. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the Patriot of the 28th December, 1967 wherein a mention of several irregularities committed in the Delhi Milk Scheme has been made ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (**Shri Annasahib Shinde**) :

(a) Yes, Sir.

(b) Working of the Delhi Milk Scheme had already thoroughly examined by a Team of Experts under the chairmanship of Dr. V Kurien, General Manager. Kaira District Co-operative Milk Producers' Union Ltd., Anand, and the recommendations made by the Team are being implemented.

(c) Does not arise.

Dereservation of Land in Manipur

472. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 400 on the 14th November, 1967 and state :

(a) whether the requisite information regarding dereservation of land for the purpose of cultivation in the Union Territory of Manipur has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (**Shri Annasahib Shinde**) :

(a) Yes, Sir.

(b) The details are as follows :

(1) The total area of land dereserved for the purpose of cultivation during 1967 in the Union Territory of Manipur is 1094·70 acres.

(2) The Tehsilwise break-up of the land dereserved is as below :

Name of the Tehsil	Acreage dereserved
(i) Thoubal	641·51 Acres.
(ii) Imphal East.	231·00 Aeres.
(iii) Imphal West	222·19 Acres.
(iv) Bishenpur	Nil.
Total	1094·70 Acres.

(3) Settlement of 16·52 acres out of the dereserved area / vide (1) above / had already been granted, as per Tehsil-wise break-up indicated below.

(i) Thoubal	12.50 acres.
(ii) Imphal West	4·02 acres.
(iii) Imphal East	Nil.
Total ..	16·52 acres.

(4) Action for settlement of the remaining area to different cooperative societies is being taken.

Colourisation of Vanaspati

473. **Shri Nihal Singh** ; Will the Minister of **Food and Agriculture,** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 165 on the 14th November, 1967 and state :

(a) whether the Report of the Committee of experts set up in regard to the colourisation of vanaspati has since been examined ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) The report of the Committee of Experts is still under examination.

Trade Unions

474. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that instructions have been issued to all the Ministers and Departments that the right of those registered Labour Unions, which have not been recognised so far, in regard to the submission of their difficulties to the officers concerned should be granted to them ; and

(b) if so, whether Government propose to lay a copy of those instructions on the Table of the House ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Sindhi Displaced persons at Pimpri

475. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Labour and Rehabilie** pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sindhi displaced persons settled at Pimpri are facing many hardships due to lack of certain amenities there ;

(b) whether it is also a fact that there are some differences between the Central Government of Maharastra regarding provision of certain facilities to them ; and

(c) if so, the basis thereof and the steps being taken to settle them completely ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) :

(a) Amenities like water supply, sanitation, street-lighting etc., which are normally arranged by a local body, are at present being provided at the Pimpri Colony by the State Government. A complaint was received from the Lok Sewa Mandal, Bombay, alleging that sanitary facilities at the Colony are inadeqate and require improvement. The complaint has been brought to the notice of the State Government.

(b) and (c) : The Government of Maharastra has decided to set up a local body so that the provision of amenities mentioned above can be made in a more satisfactory manner The Government of India have agreed to provide financial assistance on a tapering basis to the local body if it is formed. There is no difference between the Government of India and the Government of Maharashtra in this regard. It is understood that the Government of Maharashtra will take a final decision regarding the setting up of a local body at the Pimpri colony, in the near future.

Printing of Ballot Papers

476. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the names of the parliamentary constituencies for which the ballot papers had been got printed in the private presses during the Fourth General Elections ; and

(b) the reasons for getting the ballot papers printed in the private presses?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) : (a) A statement is laid on the Table of the House [**Placed in Library. See no. LT-6316/68**].

(b) This had to be done on account of strike by certain categories of Government employees, including those working in Government Presses.

Printing of Ballot Papers

477. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Law** be pleased to state ;

(a) whether the ballot papers printed during the Fourth General Elections were got printed on a special paper purchased by the Election Commission for this purpose ;

(b) whether it is a fact that the printing presses, at certain places, printed the ballot papers for the Fourth General Elections on the paper purchased from the open market also; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) :

(a) to (c) The Election Commission selected four Mills namely :

1. Sirpur Paper Mills Ltd.
2. West Coast Paper Mills Ltd.
3. Orient Paper Mills Ltd.
4. Mysore Paper Mills Ltd;

for manufacturing the special type of paper and the State Governments were requested to place their indents direct with any one of these Mills for obtaining the necessary allocation through the Central Directorate General of Supplies. The number of contesting candidates in some of the States was unexpectedly large. As a result there was some difficulty in arranging for the extra quantity of paper required, but all State Governments were able to procure the additional supply in time. In Bihar, the bulk of the assembly ballot papers have been printed on paper of the usual pink colour, but in some of the constituencies these have been printed on paper of different colours with the previous permission of the Election Commission.

मध्य प्रदेश में भू-बन्धक बैंक

478. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में ऋणों और ऋणपत्रों को जारी करने के बारे में मध्य प्रदेश में भू-बन्धक बैंक का क्या कार्यक्रम था ;

(ख) क्या इन बैंकों को 1966-67 में कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) मध्य प्रदेश सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि० का 1967-68 में 3.00 करोड़ रुपया का ऋण देने तथा ऋण-पत्र जारी करने का एक कार्यक्रम है ।

(ख) व (ग) 1966–67 में बैंक के साधारण ऋण–पत्र कार्यक्रम को सहायता देने देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 0.40 करोड़ रुपए का एक ऋण दिया गया था।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध चूर्ण की खरीद

479. **श्री एस्थोस :**
श्री गणेश घोष :
श्री उमानाथ :
श्री रमानी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना इस समय दुग्ध चूर्ण 340.0 रुपये प्रति टन की दर पर खरीदती है, जब कि वह 1965 में 1400 रुपये प्रति टन की दर से इसे खरीदती थी;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार किन-किन देशों से दुग्ध चूर्ण खरीदती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :

(क) पूछी गई जानकारी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	औसत मूल्य रुपये	न्यूनतम मूल्य रुपये	अधिकतम मूल्य रुपये
1964–65	1726.45	1439.61	1929.00
1965–66	1386.83	1386.83	1386.83
1966–67	3416.10	2932.20	3900.00

(क) विश्व बाजार में बढ़ते हुए रुख और भारतीय रुपए के अवमूल्यन के कारण।

(ग) डनमार्क तथा पोलैण्ड।

निर्वाचनों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं के लिए सवारी की व्यवस्था

480. **श्री अंबचेजियान :** क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने सभी सम्बन्धित लोगों को सलाह दी है कि वे उन उम्मीदवारों के खिलाफ अभियोजन चलाएं जो मतदान केन्द्रों में मतदाताओं के आने जाने के लिए सवारी की व्यवस्था करने के भ्रष्ट आचरण का आश्रय लेते हैं और इस प्रकार उन्हें अपने लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग ने यह भी कहा है कि उपरोक्त प्रकार से मतदाताओं का प्रवहण अपराधी उम्मीदवार के खिलाफ निर्वाचन अर्जी के लिए आधार के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इन का ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) निर्वाचन आयोग के तारीख 28 दिसम्बर, 1967 के प्रेस-नोट की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 88/68]

राष्ट्रमंडलीय वनशास्त्र सम्मेलन

481. **श्री अंबचेजियान :** **श्री हेमराज :**
श्री बसवन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जनवरी, 1968 को नई दिल्ली में नवां राष्ट्रमंडलीय वनशास्त्र सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया था; और

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया गया था; और क्या-क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहब शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित देशों ने भाग लिया था :—

1—आस्ट्रेलिया
2—कनाडा
3—श्रीलंका
4—साईप्रस
5—घाना
6—केनिया
7—मलेशिया
8—न्यूजीलैंड
9—नाईजेरिया
10—सियारा लिओने
11—तंजानिया
12—युगेन्डा
13—इंगलैंड
14—जम्बिया
15—नैपाल
16—भारत

(ग) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 64/68]

अपना टेलीफोन लगवाइये योजना

482. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अपना टेलीफोन लगवाइये योजना के अन्तर्गत टेलीफोन लगवाने के लिये जमानत की राशि 2,000 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये कर दिये जाने पर क्या उन व्यक्तियों को, जिनके प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं, टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत टेलीफोन लगवाने की मागों को पूरा करने में दिसम्बर, 1967 तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) दिसम्बर, 1967 तक दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन लगवाने के कुल कितने प्रार्थनापत्र अनिपटी पड़े थे और इस समय तक कितने प्रतिशत मांग की पूर्ति की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) इस कार्य के लिए उपलब्ध साधन और उपस्करों के भीतर एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने के कदम लगातार उठाये जा रहे हैं । करोल बाग क्षेत्र में इस महीने एक नया एक्सचेंज खोला जा रहा है, और कुछ दिन बाद जोरबाग क्षेत्र में एक दूसरा एक्सचेंज खोला जाएगा, जिनसे इन क्षेत्रों की अपना टेलीफोन योजना की शेष मांगों की काफी हद तक पूर्ति की जा सकेगी ।

(ख) दिसम्बर, 1967 तक दिल्ली टेलीफोन परिमंडल में 'अपना टेलीफोन योजना' के अंतर्गत लगभग 27,000 टेलीफोन कनेक्शन दिये जा चुके हैं ।

(ग) 31-12-67 को इस योजना के अन्तर्गत 9732 आवेदनपत्र अनिपटी पड़े थे । इस प्रकार जिन मांगों की पूर्ति की जा चुकी है वे लगभग 73.5 प्रतिशत बैठती है ।

हिन्दी विधि आयोग

483. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी विधि आयोग का काम इस समय किस अवस्था में है ;

(ख) क्या हिन्दी विधि आयोग की संकलित कृतियों को सभा-पटल पर रखा गया है ; और

(ग) आयोग के दक्ष कार्य चालन में सुधार करने तथा शीघ्रता लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :

(क) राजभाषा (विधायी) आयोग ने 91 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी पाठ तैयार किए हैं, जिनमें से 54 अधिनियमों के हिन्दी पाठ अधिप्रमाणीकृत कर दिए गए हैं । आयोग का विचार है कि शेष केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद अगले पांच वर्षों में एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर लिया जाए । आयोग ने ऐसे नियमों का हिन्दी अनुवाद करना भी प्रारम्भ कर दिया है जो उन अधिनियमों के अधीन बने हैं जिनके प्रामाणिक हिन्दी पाठ प्रकाशित किए जा चुके हैं ।

(ख) जी नहीं । विधि के अधीन यह अपेक्षित नहीं है कि राष्ट्रपति के अधिकार के अधीन प्रकाशित केन्द्रीय अधिनियमों आदि के हिन्दी पाठ सदन-पटल पर रखे जाने चाहिए। फिर भी, सदस्यों के निर्देश के लिए केन्द्रीय अधिनियमों के प्रामाणिक हिन्दी पाठों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय को प्रदाय की जाती हैं।

(ग) चूंकि आयोग ने विधि शब्दावली का अधिकांश तैयार कर लिया है अतः अब आयोग का काम अधिक शीघ्रता के साथ होने की आशा है।

अखिल भारतीय कृषि श्रमिक संबन्धि गोष्ठी

484. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि श्रमिकों की दशा के सम्बन्ध में 1965 में हुई, अखिल भारतीय गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और

(ख) उन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) अखिल भारतीय कृषि श्रमिक संबंधि गोष्ठी जो 1965 में हुई, पर एक मुख्य सिफारिशों का विवरण सदन में रखा जाता है जिसमें इन सिफारिशों पर कार्यवाही किया जाना बताया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 65/68]

केरल में दूरसंचार के लिये केबलों की सप्लाई

485. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री प० गोपालन : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सर्किल में दूरसंचार के लिये अपेक्षित केबलों के अलाटमेंट के लिये डाक और तार के केरल सर्किल से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केबलों की सप्लाई मंजूर हो गई है ;

(ग) क्या केबलों की सप्लाई हो गई है और काम प्रारम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु०गुजराल) (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) 135 कि० मी० लम्बे भूमिगत केबल की मांग थी जबकि अलाटमेंट 103·5 कि० मी० का किया गया है। इसमें से केरल सर्किल द्वारा 75 कि० मी० पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल सर्किल में दूरसंचार व्यवस्था का विस्तार

486. श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि:
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल डाक तथा तार सर्किल में दूरसंचार व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में कौन-कौन से काम आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) केरल सर्किल में दूरसंचार व्यवस्था के विस्तार के लिये नियतन सम्बन्धी स्थिति क्या है ;

(ग) उन काम में वास्तविक प्रगति कितनी हुई है तथा कितना धन खर्च हो चुका है ; और

(घ) इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) केरल सर्किल के लिए प्रस्तावित कार्य का, वर्षों के अनुसार एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 66-68]

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान केरल सर्किल के लिए नियत की गई राशियाँ इस प्रकार थीं—

1966—67	100 लाख रुपये
1967—68	86 लाख रुपये
1968—69	104 लाख रुपये (प्रस्तावित)

(ग) वर्षों के अनुसार कार्यों में हुई प्रगति नीचे दिखाई गई है :—

कार्य का नाम	1966-67	1967-68 (31-12-67 तक)
1. टेलीफोन केन्द्र (अतिरिक्त)	8	4
2. टेलीफोन सेट	2726	2279
3. टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि	3560	1840
4. दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफोन घर	9	11
5. तारघर	25	37

1966-67 तथा 1967-68 के दौरान नियत की गई राशियों का केरल सर्किल ने उसे सौंपे गए कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग कर लिया है।

(घ) प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में लगने वाला समय, समय पर सामान का प्राप्त हो जाना

और उसका उपलब्ध रहना, उपस्करों का निर्माण तथा उनकी वितरण अवधि आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। इन सभी को दृष्टि में रख कर यदि देखा जाए तो सभी प्रस्ताव उचित समय के भीतर ही क्रियान्वित हो रहे हैं।

चीनी का मूल्य

487 **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री नायनार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी पर से नियन्त्रण हटाये जाने के बाद खुले बाजार में चीनी का प्रचलित मूल्य बहुत अधिक होने के कारण जनता को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ न स हिब शिंदे):

(क) नई नीति के चालू होने से भारत सरकार निश्चित मूल्य पर राज्य सरकारों को एक लाख टन चीनी प्रत्येक मास दे रही है ताकि वे अपने उपभोक्ताओं को नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त खुले बाजार में बेचने के लिये चीनी दी जाती है। खुले बाजार में उस मूल्य की तुलना में भाव कम हो गये हैं जो आंशिक विनियन्त्रण के लागू होने से एक दम पहले थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंजीनियरी उद्योग तथा पत्तनों एवं गोदियों के लिये मजूरी बोर्ड

488. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) इंजीनियरी उद्योग और (दो) पत्तन तथा गोदियों सम्बन्धी मजूरी बोर्डों के अध्यक्षों ने अपनी-अपनी सिफारिशें सरकार को देने में विलम्ब होने के कारण सरकार को बता दिये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दोनों मजूरी बोर्डों में सर्वमान्य निर्णय करने में गतिरोध उत्पन्न हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) दो मजूरी बोर्डों के अध्यक्ष से कार्य प्रगति दर्शाने वाली मासिक रिपोर्टें प्राप्त की जा रही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय दोनों बोर्ड अपने कार्य में प्रयासी अवस्था पर पहुंच गये हैं। तो भी इस समय यह कहना कठिन है कि ठीक किस समय उनकी अन्तिम रिपोर्टें भेजी जायेंगी।

सीमेंट उद्योग सम्बन्धी द्विपीय मजूरी बोर्ड

489. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में सम्बन्धित नियोजकों और कर्मचारियों के बीच समझौता कराने के लिये और कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) और (ख) बोर्ड की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय की घोषणा करने वाले संकल्प की प्रतियां सभा की मेज पर रखी जाती हैं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 67/68]

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के दाम बढ़ाये जाना

490. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अनिरुद्धन :
श्री प० राममूर्ति :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री चंगलराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि दिल्ली दुग्ध योजना ने दिसम्बर, 1967 के अन्तिम सप्ताह में दूध के दाम एक दम 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो शरद् ऋतु में दूध के दामों में यह वृद्धि करने के क्या कारण हैं जबकि शरद् ऋतु में दूध की सप्लाई की स्थिति कुछ अच्छी होती है ;

(ग) दिल्ली में दूध के दामों में की गई इस वृद्धि के परिमाणस्वरूप दूध से बनी चीजों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है और 25 दिसम्बर, 1967 से पहले प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु के मूल्य इस समय विद्यमान मूल्यों की तुलना में कितने कम या अधिक थे ; और

(घ) दूध के मूल्य में हुई इस वृद्धि के कारण निर्वाह व्यय सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना ने 26-12-1967 से निम्न प्रकार से विभिन्न किस्म के दूध का बिक्री मूल्य बढ़ाया :—

दूध की किस्म	पूर्व-मूल्य (प्रति लिटर)	संशोधित मूल्य (प्रति लिटर)
मानकीकृत	84 पैसे	1.04 रुपये
गाय	84 ,,	1.04 ,,
टोन्ड	54 ,,	74 पैसे
डब्बल टोन्ड	40 ,,	50 ,,

(ख) निम्न कारणों से दूध के मूल्यों को बढ़ाना आवश्यक हो गया था :—

(1) दूध के खरीद मूल्य में पर्याप्त वृद्धि होना।

(2) स्टोरों के खर्च में जिसमें स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण शामिल है वृद्धि होना ।

(3) मजदूरी, वेतन, मंहगाई भत्ता आदि के कारण खर्च का बढ़ना।

वर्ष में औसत उपलब्धि के आधार पर मूल्य निश्चित किए जाते हैं और शरद् ऋतु तथा अन्य मौसमों में अपरिवर्तित रहते हैं ।

(ग) ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये नए कैम्प

491. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये 9 नये कैम्प स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय ऐसे कैम्पों में कितने पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थी रह रहे हैं और उन्हें स्थायी रूप से बसाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) शिविरों में 22, 588 प्रव्रजक परिवार हैं । इनमें कृषक, गैर-कृषक तथा स्थायी दायित्व श्रेणी के परिवार भी सम्मिलित हैं। सभी कृषि परिवारों को भूमि पर बसाने के लिये योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और इनमें से अधिकांश को 1968 के खरीफ के मौसम में पुनर्वास स्थलों पर भेजने का प्रस्ताव है । गैर-कृषक परिवारों के लिये कुछ अन्य प्रकार की योजनाएं जैसे छोटे-मोटे कार्य के लिये ऋण, प्रशिक्षण तथा रोजगार, मंजूर की गई है। जहाँ तक स्थायी दायित्व क्षेणी के परिवारों का सम्बन्ध है उन्हें गृहों में भेज दिया जायेगा जहां उनका संस्था-द्वारा ध्यान रखा जायेगा और प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्राप्त होंगी । चूंकि वर्गमान गृहों में रिक्त स्थान अत्यन्त सीमित हैं इसलिये नये-गृह स्थापित करने के बारे में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

सुपर बाजारों के कार्यकरण सम्बन्धी लोक-नाथन समिति

492. श्री अब्राहम :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री भगवान दास :
श्री नम्बियार :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजारों के कार्य-संचालन की जांच करने के लिये नियुक्त लोकनाथन समिति को अब तक कितनी सफलता मिली है ;

(ख) उस समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सरकार ने सुपर बाजारों के कार्य संचालक की जांच करने के लिये लोकनाथन की अध्यक्षता में समिति नियुक्त नहीं की थी । तथापि, को-आपरेटिव स्टोर लि०, दिल्ली के प्रबन्ध-मण्डल ने दिल्ली के सुपर बाजार के प्रबन्धाधिकरण तथा कार्यकरण का अध्ययन करने और उसके कार्य-संचालन में सुधार सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की जानी है, बल्कि को-आपरेटिव स्टोर लि० के प्रबन्धाधिकरण को दी जानी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों का पुनर्वास

493. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बर्मा से कुल कितने लोग स्वदेश लौटे हैं;

(ख) अब तक कितने लोगों को बसाया जा चुका है ;

(ग) इन लोगों को कितनी सहायता दी गई है ; और

(घ) इन लोगों के लिये क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं तथा वे योजनाएं कितनी उपयोगी रही हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : 27-1-1968 तक लगभग 1,59,664 व्यक्ति बर्मा से भारत आये हैं और 50,144 व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 68/68]

समुद्रपार संचार सेवा द्वारा कागज की खरीद

494. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1962 में संचार विभाग (समुद्रपार संचार सेवा) ने एक लाख 53 हजार रुपये का कागज खरीदा था जो कि उसकी दस वर्ष की आवश्यकता से अधिक था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1966 में समुद्रपार संचार सेवा द्वारा 98,775 रुपये के मूल्य का कागज डाक व तार विभाग को दे दिया गया था और यह कागज बहुत खराब था और इसके अतिरिक्त उनके पास 35,000 रुपये का कागज और पड़ा हुआ था जो कि अब बेकार हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि इस फालतू कागज की खरीदारी और इसके फलस्वरूप हुई हानि के लिए कौन जिम्मेदार है कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस खरीदारी के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी नहीं । 1962 में 1,06,370.69 रुपये मूल्य का कागज खरीदा गया था । पिछले वर्षों के बचे हुए कागज समेत, 1962/63 में विदेश संचार सेवा के पास कुल 1.53 लाख रुपये का कागज था । यह केवल दो वर्ष की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त था ।

(ख) कुल 1,08,035.93 रुपये मूल्य का कागज डाक और तार विभाग को अंतरित किया गया था । बाकी बचे हुए कागज में से कुछ रेलवे आदि को अन्तरित कर देने के बाद विदेश संचार सेवा के पास लगभग 4,000 रुपये का कागज अपने विभागीय उपयोग के लिए बच रहा । कागज अच्छी हालत में था और कोई छीजन नहीं गयी ।

(ग) विदेश संचार सेवा ने अमानकित (नान-स्टैंडर्ड) फार्म स्थानीय रूप से छापने के लिये केवल अपेक्षित मात्रा में ही कागज खरीदा था । अनेक वर्ष तक इस प्रकार का काम छापने की क्षमता सरकारी प्रेसों में नहीं थी । जिन सरकारी प्रेसों ने अपनी क्षमता बढ़ा ली वे 1963 तक यह काम स्वीकारने में तो सक्षम हो गये किन्तु वे अपना ही कागज इस्तेमाल करना पसन्द करते थे । अतः विदेश संचार सेवा को कागज का अपना भण्डार बेच देना पड़ा । यह कागज अन्य उपयोक्ता विभागों को वही-मूल्य पर ही अन्तरित किया गया और सरकार को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीका से अनाज

495. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जुगल मंडल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1968 में 70 लाख टन अनाज की हमारी आवश्यकता के विरुद्ध अमरीका ने 35 लाख टन से अधिक अनाज देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अनाज की शेष मात्रा किस प्रकार प्राप्त करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) : 1968 में आयात के सब स्रोतों से मांग का प्रारम्भिक अनुमान 75 लाख टन है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन सारी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जायेगा। अमरीकी सरकार से एक समझौते पर पहले ही 30 दिसम्बर 1967 को हस्ताक्षर हो चुके हैं जिसके अनुसार 1968 के पहले 6 महिनों में वह 30 लाख टन गेहूँ तथा 5 लाख टन लाल जुआर देंगे। 1968 के बाकी 6 महीनों में खाद्यान्न सप्लाई करने के बारे में शीघ्र ही बातचीत आरम्भ की जायेंगी।

पश्चिम बंगाल में घेराव

496. **श्री सीताराम केसरी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पश्चिम बंगाल में घेराव होने के कारण कितने कर्मचारियों को रोजगार से हटाया गया तथा कितने कारखाने बन्द हुए; और

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को फिर से रोजगार देने तथा कारखानों को पुनः चालू करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) प्रश्न से सम्बन्धित विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और इससे सम्बन्धित जानकारी भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार जहां आवश्यक हो भारत सरकार की सहायता से, आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

वन सम्पत्ति में कमी

497. **श्री सीताराम केसरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगमी वर्ष में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये वन सम्पत्ति की कमी पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां ऐसी आशंका है।

(ख) राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों ने उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वनों की रक्षा करने के लिये निम्नलिखित मुख्य कदम उठाये हैं :—

(1) कागज तथा लुगदी की कच्ची सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के

लिये शीघ्र उगने वाली किस्मों के वृक्ष लगाने की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को तीसरी योजना में शामिल किया गया था। तीसरी योजना की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत 84,000 हेक्टेअर भूमि में वृक्ष लगाये गये हैं। 1966-67 तथा 1967-68 के लिये प्रत्याशित उपलब्धियां 1,20,000 हैक्टेअर हैं। यह स्कीम 1968-69 में भी चालू रहेगी।

(2) आर्थिक महत्व के वृक्ष लगाने की एक अन्य स्कीम के अन्तर्गत जो तीसरी योजना की अवधि में चलती रही तथा उसके पश्चात् भी चल रही है, उद्योगों में उपयोग होने वाली किस्म की लकड़ी (माचिस व प्लाईवुड आदि) के वृक्ष लगाये गये हैं।

(3) इस समय देश के बहुत से वनों में वृक्षों की संख्या कम है और वहां पुनः वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। इन वनों को संघन करने के लिये दूसरी तथा तीसरी योजना की अवधि में उजड़े वनों को पुनः ठीक-ठाक करने की एक योजना को कार्यरूप दिया गया है और इस समय भी दिया जा रहा है।

(4) परम्परागत ढंग से लकड़ी के लट्ठे बनाने में व्यर्थ जाने वाली लकड़ी की मात्रा को कम करने के लिये भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से लट्ठे बनाने के कार्य में प्रशिक्षण देने की एक योजना को चला रही है जिसके अन्तर्गत लट्ठे बनाने की नवीनतम विधि तथा लकड़ी उपलब्धि के विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

खाद्य जोनों को समाप्त करना

498. श्री सीताराम केसरी : श्री दामानी :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी : श्री न० स्व० शर्मा :
श्री कंवर लाल गुप्त : श्री शारदा नन्द :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जोन से दूसरे जोन में खाद्यान्न ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों से देश के विभिन्न भागों में अनाज के मूल्यों में अन्तर हो गया है; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चालू वर्ष में खाद्य की उपज अच्छी हो गई है सरकार का विचार एक जोन से दूसरे जोन में खाद्यान्न ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने और सारे देश को ही एक जोन मानने का है ताकि सारे देश में अनाज के एक जैसे ही मूल्य निर्धारित किये जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं । जब खाद्यान्न के लाने ले जाने पर क्षेत्रीय पाबन्दियां भी नहीं थीं तब भी फालतू अन्न तथा कम अन्न वाले राज्यों के भावों में अन्तर था ।

(ख) जी नहीं ।

Milk Token-Holders in Delhi

499. **Shri Ram Gopal Shalwale : Dr. Surya Prakash Puri ;**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of token-Holders getting milk from the Delhi Milk Scheme at present ;

(b) the approximate number of those who are Government employees ;

(c) the total quantity of milk purchased by the Government employees daily ; and

(d) the total increase in the income of the Delhi Milk Scheme from Government employees as a result of the recent increase of 20 paise per liter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) :

(a) ,99,540 Milk Tokens have been issued by the Delhi Milk Scheme up-to-date.

(b) to (d) : This information is not available with the Government or D. M. S. as no separate registers or accounts are maintained for Government employees.

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

500. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में 1968 में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं ;

(ख) क्या दिल्ली तथा भोपाल के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) ठीक-ठीक कोई अनुमान लगाना संभव नही चूंकि दिये जाने वाले नये कनेक्शनों की संख्या विभिन्न बातों अर्थात् विभिन्न किस्म के उपस्करों व सामान के उत्पादन और सप्लाई पर निर्भर करती है । फिर भी, यदि सामान की सप्लाई की स्थिति संतोषप्रद रही तो 1968 के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में लगभग 3500 नये कनेक्शन दिये जाने की आशा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) लगभग पांच वर्ष में ।

इंजीनियरों में बेरोजगारी

501. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री मोहसिन :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :
श्री हेम राज :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री प० न० सोलंकी :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्यतः समस्त भारत में और विशेषकर दिल्ली में बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1967 के अन्त तक समस्त भारत में और विशेषकर दिल्ली में रोजगार दफ्तरों में कितने इंजीनियर स्नताकों और डिप्लोमाप्राप्त इंजीनियरों के नाम पंजीकृत किये गये और इस वर्ष में कितने इंजीनियरों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) इन तकनीकी व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)

(क) यथा तथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी भारत में और दिल्ली में भी, स्थित नियोजन कार्यालयों की सहायता से नियुक्ति अवसर खोजने वाले इंजीनियरी-स्नताकों की संख्या काफी बढ़ गई है।

(ख) एक विवरण नीचे दिया जाता है।

(ग) वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रम द्वारा, बेरोजगार लोगों को जिनमें इंजीनियरिंग के ग्रेजुएटस् और डिप्लोमाधारी भी शामिल है, उत्तरोत्तर बढ़े हुए रोजगार अवसर मिलेंगे।

विवरण

प्रकरण	दिसम्बर 1967 के अंत तक नियोजन कार्यालयों के रजिस्टरों में दर्ज नाम		सन 1967 में नियुक्ति सहायता पाने वाले	
	अखिल भारतीय	दिल्ली	अखिल भारतीय	दिल्ली
1	2	3	4	5
1. इंजीनियरिंग ग्रेजुएट	6,951	652	1,103	58
2. इंजीनियरिंग का डिप्लोमाधारी	28,290	2,084	*	*

*जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती।

निर्वाचन अर्जियाँ

502. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री हेमराज :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या विधि मंत्री 28 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच कितनी निर्वाचन अर्जियां दर्ज की गई हैं; और

(ख) कितनी अर्जियां निबटाई जा चुकी है ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) कोई भी नहीं ।

(ख) 31 जनवरी, 1968 तक 204 अर्जियां निबटाई जा चुकी हैं ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सम्मान में डाक-टिकट

503. श्री समर गुह : क्या संचार मंत्री 19 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 4831 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सम्मान में जारी डाक टिकट की "सम्भावनीय मांग" नहीं होगी और इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी तथा श्री जवाहर लाल नेहरू की स्मृति में जारी किये गये दो अन्य डाक-टिकटों की तुलना में कम डाक टिकटें जारी की गई थीं; और

(ख) क्या सरकार का विचार नेताजी के सम्मान में और डाक टिकटें जारी करने का है जिससे जनता की इस बारे में भेदभाव की धारणा न बने ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) 23 जनवरी, 1964 को 15 तथा 55 पैसे के मूल्यवर्गों में दो स्मारक डाक-टिकट निकाले गए थे, जिनकी कुल संख्या चालीस लाख थी जबकि हरेक नये डाक-टिकट की सामान्य मांग बीस लाख की होती है। छः महीने बाद इन टिकटों में से लगभग 2 लाख टिकट बिना बिके रह गए थे ।

(ख) स्मारक डाक-टिकट फिर से नहीं छापे जाते ।

विशेष स्मृति टिकट जारी करना

504. श्री समर गुह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी शताब्दी समारोह तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आज़ाद हिन्द सरकार की रजत जयन्ती को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इन अवसरों पर विशेष गाँधी टिकट, नेताजी टिकट तथा आज़ाद हिन्द टिकट छापने तथा जारी करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इन टिकटों का डिज़ाइन क्या होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं :

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) 2 अक्तूबर, 1969 को महात्मा गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर स्मारक डाक-टिकटों का एक सेट जारी करने का प्रश्न विचाराधीन है। नेताजी सुभाष चन्द् बोस की आजाद हिन्द सरकार के रजत जयन्ती समारोह के सम्बन्ध में डाक-टिकट जारी करने का कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग)—डिज़ाइन अभी तैयार किये जाने हैं।

Production of Foodgrains

505. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) the method by which the figures regarding production of foodgrains were calculated in 1967 :

(b) whether those figures are reliable ;

(c) if so, the quantity of rice in maunds harvested in Agrahayana, 1967 and the quantity of wheat in maunds harvested in Vaishakh 1967 accordingly ; and

(d) the shortage of foodgrains in maunds estimated in 1967 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture. Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The Final Estimates of foodgrains production for the agricultural year 1966 67 were framed according to the usual method of area enumeration and crop-cutting surveys for estimation of yields.

(b) Yes Sir. However, the Final Estimates for 1966-67 are subject to revision according to usual procedure when more complete information in respect of area and yields based on crop-cutting surveys become available at the time of issue of the Final Estimates of foodgrain production for the following year.

(c) The figures of production of rice and wheat during 1966-67 are as under :—

Final Estimates 1966-67

	Million tonnes	Million maunds
Rice :		
Autumn	13·3	357·4
Winter	I5.4	411. 5
Summer	1.7	46.7
Wheat: (rabi)	11.5	308.8

The figures of production for 1967-68 will be available when Final Eastimates for these crops are framed.

(d) In the absence of any scientific and comprehensive survey on consumption and in view of the fact that the requirements of foodgrains are also elastic to some extent depending on the availability of foodgrains and other substitute food stuffs, their comparative prices, levels of income, popultation growth and extent of urbanisation etc., it is not possible to indicate any precise quantitative estimates of foodgrains requirements or shortfall in any given

year. However a quantity of 9. 4 million tonnes (251. 3 million maunds) of foodgrains was imported during 1967.

Sugar Mills in Bihar

506. **Shri Ramavatar Shastri**: will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state

(a) the total number of sugar mills in Bihar at present;

(b) the number of mills running and the number of those which have been closed down;

(c) the minimum and maximum price of sugarcane per maund being paid to the farmers by the mills where crushsing of sugarcane is going on;

(d) the quantity of sugar likely to be produced during the current season and the quantity of sugar produced last year;

(e) whether the quantity of sugarcane crushed during the current year is less or more as compared to that of last year; and

(f) whether Government propose to give some incentive to the farmers for producing more sugarcane and if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co.operation (Shri Annasaheb Shinde):

(a) 29.

(b) 26 sugar mills worked during the current year out of which 9 have closed down.

(c) The price of sugarcane being paid at present by sugar mills in Bihar ranges between Rs.4.00 and Rs. 5.00 per maund.

(d) Sugar production in Bihar during 1967-68 season is estimated at 1.45 lakh tonnes as against 2.11 lakh tonnes produced last year.

(e) The quantity of sugarcane crushed during the current year is less as compared to last year.

(f) The policy of partial control of sugar which enables the sugar mills to pay prices for sugarcane higher than the minimum fixed by Government, provides an incentive to farmers to produce more sugarcane.

Food Supply to Bihar

507. **Shri Ramavatar Shastri**: will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the joint Emergency Committee constituted by the Central Government and the Government of Bihar for drought and famine relief works met in Patna on the 15th January, 1968;

(b) whether the representatives of Bihar Government demanded the increased supply of foodgrains to Bihar in February, 1968,

(c) if so, the quantity demanded; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb. Shinde):

(a) Yes, Sir:

(b) and (c) The Bihar Government wanted that the minimum allotment of foodgrains for Bihar should be 90,000 tonnes per month.

(d) It was explained that the Central Government would continue to allot the maximum possible quantities of foodgrains to Bihar subject to the overall availability and the needs of other States.

चीनी का आंशिक विनियंत्रण

508. श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री काशीनाथ पांडे :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री द० ब० राजू :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी पर आंशिक विनियंत्रण नीति का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह नीति उपभोक्ताओं के लिये लाभदायक रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इसमें रूपभेद करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) : जी हाँ, चीनी पर से आंशिक विनियन्त्रण की नीति ने चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई बढ़ाने तथा गत वर्ष के स्तर पर चीनी के उपात्दन को कायम रखने में सहायता की है । इसके कारण निश्चित मूल्यों पर चीनी की देशीय उपभोक्ताओं की काफी मांग को पूरा किया जा सकेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी का निर्यात

509. श्री बे० कु० दास चौधरी : श्री काशी नाथ पाण्डे :

क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में निर्यात के लिये कितनी चीनी रखी गई है; और

(ख) अब तक कितनी चीनी का निर्यात किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 95,000 टन ।

(ख) कुछ नहीं ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

510. डा० रानेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अखिल भारतीय विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में पता लगाया है कि पश्चिमी बंगाल में अब तक लागू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना गलत थी और पश्चिमी बंगाल के कर्मचारियों को करोड़ों रुपये का धोखा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कर्मचारियों को नियोजकों से बकाया राशि दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) भारत सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह से विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्ति की थी । इस समिति की नियुक्ति अन्य बातों के अतिरिक्त कलकत्ता के लिए 1944 की पश्चिम बंगाल राज्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की पुरानी श्रृंखला को निश्चित करने वाले अयवदों में कलकत्ता के ही लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रम ब्यूरो 1960 वाला नवीन श्रृंखला को ध्यान में रखकर आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए की गयी थी । समिति की रिपोर्ट पर, जो अक्टूबर 1967 में प्राप्त हुई थी विचार किया जा रहा है । इस रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश नहीं है जिसके आधीन मजदूरों को अपर्याप्त मजदूरी अथवा प्रतिपूर्ति देने की व्यवस्था हो ।

लोक सभा के स्थानों के लिए उपचुनाव

511. **श्री यशपाल सिंह :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के बहुत से स्थान खाली पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये स्थान कब से खाली पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन स्थानों के कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क), (ख) और (ग)—एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 69/68]

पक्ष-त्याग को रोकने के लिये विधान

512. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री कशी नाथ पाण्डेय :**

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा विधान पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, कि विधान सभा या लोक-सभा के निर्वाचित सदस्य के निर्वाचन को, जो एक पक्ष को त्याग कर दूसरे में शामिल होता है, शून्य घोषित कर दिया जाए ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा विधान कब पुरःस्थापित होने की सम्भावना है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख)—लोक सभा में 8 दिसम्बर, 1967 को अंगीकार किए गए प्राइवेट सदस्य के एक संकल्प के अनुसरण में सरकार द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संवैधानिक विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है जो विधायकों द्वारा दलों के प्रति अपनी निष्ठा बदलने और अक्सर सदन में दूसरे पक्ष में जा मिलने की समस्या पर हर पहलू से विचार करेगी और इस मामले में अपनी सिफारिशें करेगी । विधान के पुरःस्थापन का प्रश्न समिति की सिफारिशों के ज्ञात हो जाने के पश्चात् ही उठेगा ।

1967–68 में चीनी के उत्पादन में कमी

513. श्री यशपाल सिंह : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री द० ब० राजू :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967–68 में देश में चीनी के उत्पादन में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में चीनी का कितना उत्पादन कम हुआ ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) देश में चीनी की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं। 1967–68 में 7 फरवरी 1968 तक चानी का उत्पादन उसी तारीख तक गत वर्ष के 14.10 लाख टन के विरुद्ध 14.22 लाख टन था ।

(ख) से (घ) गत वर्ष की भांति 1967–68 में भी चीनी की सप्लाई कम रहेगी । सरकार द्वारा आंशिक विनियन्त्रण की नीति लागू करने का उद्देश्य गन्ने के मूल्य को बढ़ाना है और इस प्रकार उसके तथा चीनी के उत्पादन को बढ़ाना है ।

दिल्ली में गेहूं का राशन

514. श्री यशपाल सिंह : श्री शारदा नन्द :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी : श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने राजधानी में गेहूँ का राशन समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषद् ने सुझाव दिया है कि केवल देशी गेहूँ का ही राशन समाप्त किया जाये ।

(ख) इस पर विचार तब ही किया जा सकता है जब खुले बाजार में देशी गेहूँ उपलब्ध होगा ।

Sugarcane Price

515. **Shri Inder J. Malhotra:** **Shri Prakash Vir Shastri**
Shri Ram Sewak Yadav: **Shri Ramji Ram:**
Shri Maharaj Singh Bharati: **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Dr. Surya Prakash Puri:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farmers are reluctant to increase the acreage of sugarcane due to the low floor price fixed by Government ; and

(b) if so, whether Government purpose to announce an increase in the floor price of sugarcane ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir. Under the policy of partial control of sugar the farmers are generally getting a much higher price than the floor price fixed by Government for sugarcane.

(b) Does not arise. Government has decided to maintain the minimum price of sugarcane for 1968-69 at the same level as in 1967-68.

Spraying of Fertilizers

516. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent to which the experiment of spraying the solutions of chemical fertilizers on plants has been successful ;

(b) whether it is a fact that less quantity of fertilizer is required for spraying on plants as compared to the quantity required for mixing with soil ;

(c) if so, the action taken to popularise the method of spraying the solution of fertilizers in view of the shortage of fertilizers ; and

(d) whether the experiments of Phosphorous and Potash in addition to the experiments of Nitrogen have also proved effective ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib P. Shinde) :

(a) Experiments on fertilization of crops like rice, wheat, etc. by foliar spraying of urea, which is a nitrogenous fertilizer. have been conducted at various Research Stations in the country. The results obtained have indicated that some saving of the fertilizer can be done by using part of the dose of nitrogen as spray fertilizer in combination with soil application. It also increases the efficiency of the fertilizer. Further studies on foliar fertilization using other liquid nitrogenous fertilizers are being made.

(b) Foliar application of urea if properly executed as per recommendations will need less of fertilizer as compared to its soil application.

(c) State Govt. have already been addressed by the Extension Directorate, Ministry of Food and Agriculture, Community Development and Co-operation, Department of Agriculture for foliar application of urea.

(d) Only a few experiments on foliar application of phosphatic and potassic fertilizers have so far been taken up. The results are still inconclusive.

Modernised Rice Mills

517. **Shri Maharj Singh Bharati ;** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of modernized rice mills which started working last year ;

(b) the number of rice mills which have started working this year ;

(c) the agency to which the work of procuring paddy in accordance with the capacity of these mills has been assigned; and

(d) the probable number and capacity of such rice mills by 1970-71 and where these mills would be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) Seven.

(b) Nil.

(c) The co-operative and the public sector agencies responsible for the working of the mills procure paddy for these mills.

(d) Apart from the seven rice mills already established , 24 modern rice mills of 4 tonne/hour capacity will be set up by the Food Corporation of India. Tho locations of these mills are being selected. The programme of establishment of modern rice mills and modernizing existing rice mills by the introduction of improved equipment is under consideration of the Government. Most of the new mills will come up in paddy-growing areas with substantial marketable surpluses.

Purdah System

518. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether Government propose to ban purdah system among Indian women ;

(b) if so, when and in what manner ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The abolition of the purdah system (which is essentially a part of social custom) can be achieved only by educating the people about its disadvantages and inculcating in them the need for a change. It is fast becoming a relic of the past.

International Farm Youth Exchange Programme

519 **Shri Shashi Bhushan Bajpai**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of farmers sent to U. S. A. so far under the International Farm Youth Exchange Programme ;

(b) the criteria prescribed by Government for the selection of those persons ;

(c) the countries other than U. S. A. where farmers are sent under this programme ; and

(d) how the exchange programme for foreign farmers visiting India is formulated ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde):

(a) to (d) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. 70/68]**

Unemployment among Educated Persons

520. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of educated and skilled unemployed students in the country at present ;

(b) the percentage of annual increase in the number of such students ;

(c) whether the attention of Government has been drawn to the formation of an Educated Unemployment Youth Association ; and

(d) the field in which efforts are being made by Government to reduce unemployment ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) and (b) ; Students do not form a part of economically active population and are not included in the labour force of the country. The question of their being unemployed, therefore, does not arise.

(c) No.

(d) Various development programme envisaged in the annual plans are expected to provide additional employment opportunities in the coming years.

Migration of Buddhist and Christian Refugees from East Bengal

521. **Shri Shashi Bhusan Bajpai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Buddhist and Christian refugees who have come to India from East Pakistan so far, and

(b) the places where they have been settled ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) :

(a) About 47,900 Christians and 20,000 Buddhists migrated from East Pakistan till 1-6-64.

Thereafter religion-wise statistics of influx are not available. The Ministry of External Affairs have, however, recently issued a circular to the concerned State Governments requesting them to maitain religion-wise statistics of migrants coming to their States.

(b) Most of the Christians migrating from East Pakistan have been settled in Assam while most of the Buddhists have been sent to NEFA.

पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने वाले शरणार्थी

522. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में चिलका के निकट भुसंडपुर क्षेत्र में बसे हुए पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों की कठिनाइयों का ज्ञान है ;

(ख) क्या सरकार इस राज्य में बसाये गये शरणार्थियों के लिये राज्य सरकार को कोई धन दे रही है ;

(ग) जिन क्षेत्रों में शरणार्थियों को बसाया गया है उनमें, शरणार्थियों को रोजगार देने के उद्देश्य से उद्योगों के विकास के प्रयोजनार्थ स्थापित किये गये पुनर्वास उद्योग निगम ने उस क्षेत्र में कोई कार्य किया है ; और

(घ) क्या सरकार उस क्षेत्र में कुछ उद्योगों का विकास करने का विचार करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) बहुत वर्ष हुये पूर्वी पाकिस्तान के कुछ परिवारों को उड़ीसा में भुसंडपुर बस्ती में बसाया गया था । इन व्यक्तियों से किसी कठिनाई के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) जी, नहीं ।

उर्वरकों का आयात

523 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1968 में उर्वरकों के आयात के लिये अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है ;

(ख) क्या उर्वरकों के आयात के लिये सरकार ने सितम्बर, 1967 में जनवरी 1968 तक की अवधि में अन्य देशों के फर्मों के साथ कोई करार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) अक्तूबर, 67 से सितम्बर, 68 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन के आधार पर जिन मात्राओं के लिये करार हुए हैं वह संलग्न विवरण में हैं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 71/68]

उन्नत बीजों की बिक्री

524. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री मयावन :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या खाद्यतथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विकसित अनाज के बीजों की किस्मों, विशेषकर ऐसी किस्मों, जो सरकारी तौर पर नहीं दी गई हैं; की बिक्री में हो रहे कदाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या कुछ किसानों द्वारा प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिये उगाये गये नये बीजों के बहुत अधिक मूल्य दिये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए विधान बनाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और कितना समय लगाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और उसके अधीन संस्थान उन्नत किस्मों के न्यूक्लियस बीजों के सम्भरण के सम्बन्ध में प्री-रिलीज अवस्था में संवर्धन के लिए राष्ट्रीय बीज निगम को मुख्य प्राथमिकता देगें । राज्यों के कृषि विभागों एवं कृषि विश्वविद्यालयों को समझाने के लिए ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं कि इस

प्रकार के बीज पहले राष्ट्रीय बीज निगम को प्रदान करें। इस कार्य के लिए केन्द्रीय राजकीय फार्मों पर उपलब्ध सुविधाओं का भी उपयोग किया जायेगा। प्री-रिलीज अवस्था में उन्नत किस्मों के क्षेत्र-परीक्षण में किसानों का सहयोग आवश्यक हुआ तो वहां यह अत्यधिक सीमित मात्रा में होगा और संस्थानों एवं सम्बन्धित कृषकों में पारस्परिक समझौता होगा, जिसके द्वारा परीक्षण के दौरान कृषकों द्वारा उत्पादित बीज उनके द्वारा बीज रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा, बल्कि सम्बन्धित अनुसंधान संस्थान को उचित मूल्य पर वापिस कर दिया जायेगा। यदि ये हिदायतें भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ रहीं, तो अधिनियम बनाने और अन्य कोई साधन अपनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

525. **श्री मयावन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 दिसम्बर, 1967 को राज्य के मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों के सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन होना था, किन्तु वह स्थगित कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) अब यह सम्मेलन कब और कहां पर होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी)

(क) जी हां।

(ख) उक्त सम्मेलन की चर्चा में बहुत से मुख्य मंत्रियों द्वारा भाग न ले सकने के कारण स्थगित करना पड़ा।

(ग) सम्मेलन के नये स्थान तथा तारीख का अभी फैसला नहीं हुआ।

दिल्ली में राशन की मात्रा

526. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि देश में खाद्य स्थिति में हुए सुधार को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली में अनाज का राशन $1\frac{3}{4}$ किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर पहले की तरह 2 किलोग्राम कर दिया जाये;

(ख) क्या सरकार को उन कठिनाइयों का पता है जो आम आदमी को अनाज सम्बन्धी अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के मामले में उठानी पड़ रही हैं ; और

(ग) राशन में की गई कटौती को समाप्त करने की घोषणा कब तक किये जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे):

(क) इस समय इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) जन वितरण-पद्धति के अन्तर्गत मांग को पूरा करने के लिये जब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार होंगे ।

दिल्ली दुग्ध योजना

527. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों ने 16 जनवरी, 1968 को विरोध दिवस मनाया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ कर्मचारियों ने 16 जनवरी, 1968 को विरोध-दिवस मनाया था ।

(ख) इस विरोध-प्रदर्शन का आयोजन केन्द्रीय डेरी के मजदूर संघ ने किया था, जो कि दिल्ली दुग्ध योजना में एक गैर-मंजूर शुदा संघ है, क्योंकि दोनों संघों के आपस में विलय होने और आम चुनाव पर उनकी आपसी बात-चीत असफल हो गई थी ।

(ग) प्रबन्ध ने गैर-मंजूरशुदा संघ की मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की ।

दूध के कार्डों के लिए आवेदनपत्र

528. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिल्ली की जनता की आवश्यकताओं को कब तक पूरी तरह पूरा किये जाने की सम्भावना है;

(ख) दूध के कार्डों अथवा टोकन जारी करने के लिए कितने आवेदनपत्रों पर अभी निर्णय किया जाना शेष है,

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही की जांच के बावजूद ऐसे बहुत से टोकनों का प्रयोग किया जा रहा है जिनके वास्तविक स्वामी दिल्ली छोड़कर जा चुके हैं ; और

(घ) क्या इसके बारे में किसी ठोस जांच का प्रबन्ध किया गया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :

(क) यह अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली के नगर-क्षेत्र में प्रतिदिन 5 लाख लिटर दूध की खपत होती है । लगभग 2.2 लाख लिटर दूध प्रतिदिन वितरित करने के चालू स्तर को बनाये रखने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना को पर्याप्त दूध प्राप्त करने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें देखते हुए अभी यह अनुमान लगाना कठिन है कि दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली जनता की पूरी आवश्यकताओं को कब तक पूरा कर सकेगी ।

(ख) दूध के नए टोकन जारी करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के पास 20-1-68 को 54,429 आवेदन पत्र शेष थे।

(द) जी हां।

(घ) पूर्ण जांच किया जाना वास्तविकता में असम्भव है, किन्तु जांच को और अधिक प्रभावशाली करने के लिए निम्नलिखित बातों में से किसी एक के आधार पर टोकनों के वास्तविक स्वामियों की जांच की जा रही है :—

1—राशन कार्ड

2—सरकारी कर्मचारियों के मामले में परिचय कार्ड

3—पानी/बिजली के बिल के द्वारा यदि वह टोकन के स्वामी के नाम में हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना

529. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना को वाणिज्यक आधार पर चलाने तथा इसके एक स्वायत्तशासी संगठन बनाने का है जिससे इसके काम में होने वाले विलम्ब को हटाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) दिल्ली दुग्ध योजना को एक स्वायत्तशासी निगम बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) ऐसा करना कब सम्भव होगा यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

Old Lajpat Rai Market, Delhi

530. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bal Raj Madhok : Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the construction of old Lajpat Rai Market, Delhi has been suspended for the last 12 years on account of non-payment of funds by the Central Government to the Delhi Municipal Corporation ; and

(b) if so, the reasons therefore?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) :

(a) No, Sir. The construction of the market was started through the **C. P. W. D.** and half of it was already completed by 1958. The other half could not be constructed because of heavy squatting. In May, 1962, the Delhi Municipal Corporation offered to construct the second sector of the Market and administrative approval to an expenditure of Rs. 12.37 lakhs was issued in October, 1962. A sum of Rs. 1 lakh was paid to the Municipal Corparation in 1961-62 and the entire sum of Rs. 12.37 lakhs was paid by the year 1965-66. In November, 1965, the Corporation revised the original estimates and consequently a further sum of Rs. 3.72 lakhs was paid in May 1967. In July, 1967 the Corporation asked for some funds for improvement of roads etc. and a sum of Rs. 60,000 has been sanctioned in December, 1967.

(b) Does not arise. Funds have been made available to the Municipal Corporation according as the work has progressed.

Shops For Displaced Persons in Delhi

531. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the shops constructed so far by the Government in Delhi for the displaced persons have been sold to the allottee on hire-purchase basis or on lease;

(b) whether it is a fact that the shops on old Lajpat Rai Market are not being sold to the allottees on the said basis inspite of a demand by them to this effect; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan):

(a) The shops which have been constructed on land which belongs to the Department of rehabilitation have been sold to the displaced persons. Where the land does not belong to the Department of Rehabilitation, the shops have been allotted on rent.

(b) and (c) The shops constructed in the Lajpat Rai Market are not being sold to the allottees as the land on which they have been built does not belong to the Department of Rehabilitation.

Release of Sugar to States

533. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have asked the sugar mill owners to release 1 lakh tonnes of sugar for the State Governments and 66 thousand tonnes of sugar for sale in the open market within 30 days with effect from the 23rd December, 1967.

(b) if so, the result thereof; and

(c) the quantity of sugar supplied to the various States, separately?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde):

(a) Yes, Sir. sugar mills were directed to sell one lakh tonnes of sugar to various State Governments or their nominees from the 23rd of December, 1967. They were also permitted to sell 66,000 tonnes of sugar in the free market from the same date. In the case of sugar to be sold to the State Governments the delivery period was 45 days and in the case of sugar to be sold in the open market the delivery period was 30 days.

(b) The sugar released to State Governments became available for distribution mainly to domestic consumers at fixed prices. The free sale sugar became available in the free market.

(c) Only levy sugar is supplied on a State-wise basis. The quotas of individual States are given in the attached statement. (**Placed in Library. See No. LT-72/68**)

Production of Mexican Variety of Wheat in Rajasthan

534. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an enormous quantity of Mexican wheat has been produced in Rajasthan this year;

(b) if so, the acreage of land on which Mexican wheat was grown;

(c) the acreage of land likely to be under the cultivation of Mexican wheat next year; and

(d) the maximum yield of Mexican wheat obtained per acre?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib P. Shinde) :

(a) In view of the favourable season it is expected that production of Mexican wheat in Rajasthan during this year is likely to be higher.

(b) During Rabi, 1966-67, the Mexican varieties of wheat were grown over an area of 23,801 acres. For Rabi, 1967-68, a tentative target of 3.00 lakh acres has been fixed. The information regarding actual coverage is, however, still awaited from the State Government

(c) The target for Rabi, 1668-69 is still to be finalised.

(d) The maximum yield of Mexican wheat obtained in Rajasthan during Rabi, 1966-67 was 8,200 pounds per acre. Similar information in respect of Rabi, 1967-68 is expected to become available after the harvest of the rabi crops.

श्रीलंका से वापस आये हुए भारतीय

535. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 के भारत श्रीलंका करार के अन्तर्गत श्रीलंका से भारतीयों का नियमित रूप से स्वदेश लौटाना आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीयों के पहिले जत्थे को श्रीलंका से भारत पहुँचने की कब तक सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) जी, नहीं ।

(ख) भारतीयों के पहले जत्थे की श्रीलंका से भारत पहुँचने की निश्चित तिथि बताना इस समय संभव नहीं है ।

चावल का निर्यात

536. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया :** **श्री लोलाधर कटकी :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री बेणीशंकर शर्मा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में अन्य देशों को चावल का निर्यात प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 में देश में चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ और उत्पादन की तुलना में इसकी मांग कितनी थी ;

(ग) इसी अवधि में अन्य देशों से चावल का कुल कितना आयात किया गया; और

(घ) चावल का निर्यात करने का क्या कारण है, जब कि देश में चावल की कमी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) वर्ष 1962 से अच्छी किस्म का बासमती चावल निर्यात किया जा रहा है। अब तक वार्षिक निर्यात 2,000 से 5,000 टन के बीच है ।

(ख) वर्ष 1967-68 में हुए चावल के उत्पादन का ठीक अनुमान केवल अप्रैल 1968 में ही लग सकता है । परन्तु इस समय तक जो अनुमान है इसके अनुसार वर्तमान चावल की फसल गत वर्ष की तुलना में अच्छी होगी ।

किसी भी खाद्यान्न की देश में आवश्यकता का होना ठीक नहीं है तथा बहुत सी बातों पर आधारित है जैसे किसी विशेष अन्न की उपलब्धि, वैकल्पिक खाद्यों का मिलन तथा विभिन्न खाद्यान्नों के तुलनात्मक भाव । वैज्ञानिक उपभोग सर्वेक्षण की अनुपस्थिति के कारण किसी विशेष अन्न के बारे में कहना तो अलग रहा, देश की खाद्यान्न की सामान्य रूप से मांग की मात्रा के बारे में भी कहना संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त जितना अन्न देश में उत्पन्न होता है वह सारा उपभोग नहीं होता क्योंकि उसमें से कुछ भाग बीज के लिये और खाने के लिये रखा जाता है तथा उत्पादकों और व्यापारियों के भंडारों के लिये रखा जाता है। इस लिये देश में चावल के उत्पादन तथा मांग के बारे में जो तुलना प्रश्न में पूछी है वह संभव नहीं है ।

(ग) वर्ष 1967-68 में (अप्रैल से जनवरी 1968 तक) चावल का कुल आयात 3,96,600 मेट्रिक टन था ।

(घ) बढ़िया किस्म के बासमती चावल के थोड़ी मात्रा में निर्यात करने का देश की सप्लाई स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता । फिर भी बहुत मात्रा में घटिया चावल को बढ़िया बासमति चावल के तुलनात्मक रूप से बहुत कम मूल्यों पर आयात किया जाता है जिसका उपभोग यहां बहुत है ।

राजस्थान को खाद्यान्न की संभरण

537. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य में गंभीर खाद्य स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि राज्य सरकार के इस अनुरोध को पूरा नहीं किया गया है कि राज्य का खाद्यान्न का कोटा बढ़ा दिया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गेहूँ का मासिक कोटा बढ़ाकर 20,000 टन तथा चीनी का 4,800 टन करने का अनुरोध किया है ;

(ग) क्या जनवरी-जून, 1967 में 24,400 टन गेहूँ की सप्लाई बकाया रह गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाद्यान्न की सप्लाई के कोटे के बढ़ाने के राज्य

के अनुरोध पर विचार किया है और क्या राज्य सरकार को जो गेहूँ सप्लाई होना था वह दे दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) राजस्थान सरकार ने अपने गेहूँ के मासिक कोटा को 20,000 टन बढ़ाने को कहा है तथा उद्ग्रहण चीनी 4,300 टन के लिये ।

(ग) जी नहीं । जो गेहूँ स्पलाई होना था वह 17,000 टन है ।

(घ) राजस्थान की खाद्य सप्लाई स्थिति ऐसी है कि इस समय उसके कोटा बढ़ाने अथवा जो गेहूँ स्पलाई करना था उसे स्पलाई करने की आवश्यकता नहीं है ।

संकर बीजों का उत्पादन

538. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री क० मि० मधुकर :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने देश में संकर बीजों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये कोई राज्यवार योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968–69 के लिये क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) राजस्थान राज्य के लिये बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि उत्पादन में तीव्रता से सफलता प्राप्त करने के लिए नई पद्धति के अन्तर्गत सन् 1966–67 से अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया गया । इस कार्यक्रम में गेहूँ तथा धान की अधिक उपज देने वाली किस्में और ज्वार, मक्का तथा बाजरा की संकर किस्में भी शामिल हैं । सन् 1970–71 के लिए 32.5 मिलियन एकड़ भूमि का लक्ष्य है जिसमें से 12 मिलियन एकड़ भूमि मक्का, ज्वार तथा बाजरा की बुवाई के लिए है। सम्बन्धित वस्तुओं अर्थात् बीजों, उर्वरकों के लिए प्रबन्ध करते हेतु प्रति वर्ष के लिए लक्ष्य पहले ही बना लिए जाते हैं । अनुमोदित कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बीज उत्पादन के लिए राज्य सरकारें स्वयं जिम्मेदार हैं ।

राष्ट्रीय बीज निगम मूल बीज सप्लाई करता है । राष्ट्रीय बीज निगम लिमि० के माध्यम से विशेष बीज उत्पादन कार्यक्रमों को आयोजित करने या फालतू बीज रखने वाले राज्यों से लेकर, यदि कोई कमी हो तो उसे पूरा किया जाता है।

सन् 1968–69 के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 7.5 मिलियन एकड़ भूमि में विभिन्न संकर किस्मों के उगाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन लक्ष्यों के लिए बीज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबन्ध कर लिए गए हैं ।

(ग) सन् 1968–69 के दौरान संकर किस्मों की फसलों को उगाने के लक्ष्य और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य में आवश्यक बीजों की मात्रा निम्न प्रकार है :—

	सन् 1968-69 के दौरान बोने के लक्ष्य	आवश्यक, बीजों की मात्रा
हाईब्रीड मक्का	85,000 एकड़	510 00
हाईब्रीड सोरघम	25,000 एकड़	100.00
हाईब्रीड बाजरा	5,00,000 एकड़	625.00

व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्नों का उत्पादन

539. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापारिक तथा खाद्य फसलों के उगाने में मुनाफे के अन्तर में कमी हो जाने के कारण अब व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्य फसलों को उगाने की प्रवृति हो गई है ;

(ख) पटसन, कपास, मूंगफली तथा तम्बाकू की फसलों के मामले में यह प्रवृत्ति किस सीमा तक प्रकट हुई है ; और

(ग) उक्त फसलों के मामले में ऐसा परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) ऐसा प्रथक दित्ता उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि कितने क्षेत्र में खाद्यान्नों के स्थान पर व्यापारिक फसलें उगाई जा रही हैं या इससे उल्टा किया जा रहा है। 1964-65 से 1966-67 के 3 वर्षों की अवधि में खाद्यान्नों तथा चुनिन्दा व्यापारिक फसलों के क्षेत्र के अनुमान निम्न प्रकार हैं :—

1964-65 से 1966-67 की अवधि में खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों का अखिल भारतीय क्षेत्र

(हजार हैक्टेअरों में)

फसल	1964–65 (पी)	1965–66 (पी)	1966–67 (एफ)
कुल खाद्यान्न	117.533	113,174	116,465
फसल	1964–65 (पी)	1965–66 (पी)	1966-67 (एफ)
व्यापारिक फसलें :			
जूट	839	757	798
कपास	8,271	7,942	7,834

मूंगफली	7,216	7,428	7,251
तम्बाकू	394	372	398
अन्य व्यापारिक फसलें	12,352	12,111	11,747
कुल व्यापारिक फसलें	29,072	28,610	28,028

पी—आंशिक संशोधित अनुमान

एफ—अन्तिम अनुमान

+ —अरण्डी के बीज, तिल, सरसों, राई, अलसी, मेंस्ता, सनई, आलू, गन्ना, काली मिर्च, सूखी मिर्च सूखा अदरक तथा तारामीरा शामिल हैं ।

उपरोक्त आंकड़ों से प्रदर्शित होता है कि 1966–67 की अवधि में खाद्य तथा समस्त व्यापारिक दोनों प्रकार की फसलों का कुल क्षेत्र 1964–65 के सम्बन्धित स्तरों से कम था। किसी भी वर्ष की अवधि में विभिन्न फसलों के क्षेत्र में मौसम तथा मूल्यों के विषय में कृषकों की आशा आदि जैसी अनेक बातों के कारण कमी बेशी होती रहती हैं । खाद्यान्नों तथा व्यापारिक फसलों के उत्पादन व्यय के बारे में ऐसा वृहत दित्ता उपलब्ध नहीं है जिससे उनकी संबंधित लाभकारिता प्रदर्शित हो सके।

चीनी और गेहूँ के मूल्य

540. श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धोरेन्द्र नाथ देव :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों में गेहूँ और चीनी के मूल्य बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं। दिसम्बर, 1967 के महीने में चावल के बाजार के भाव में काफी कमी हुई। जनवरी, 1968 के महीने में पहले तीन सप्ताहों में मूल्य बढ़े परन्तु उसके पश्चात् भावों में कमी हो रही है ।

नवम्बर, 1967 में आंशिक विनियन्त्रण लागू करने से चीनी के उद्ग्रहण भावो में परिवर्तन नहीं हुआ है। चीनी के खुले बाजार के भावों में जब आंशिक विनियन्त्रण हुआ था उसकी तुलना में काफी कमी हुई है।

(ख) अक्तूबर, 1967 के बाद से राज्यों में गेहूँ के उत्पादन के महत्वपूर्ण केन्द्रों के बाजार में सप्ताह के अन्त में भावों के बारे में एक विवरण अनुबन्ध 1 के रूप में साथ लगाया हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। जनवरी में भावों के बढ़ने का कारण बाजार में मूल्यों के कम अधिक होना, मौसम में कमी का होना तथा खाद्यान्न के राशन उचित मूल्य की दूकानों आदि के द्वारा वितरण भावों का बढ़ना है।

अभावग्रस्त क्षेत्र

541. श्री य० अ० प्रसाद : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने गत खरीफ फसल अच्छी न होने के कारण अपने राज्य में क्षेत्रों को अभावग्रस्त घोषित किया है; और

(ख) इन क्षेत्रों के लिये केन्द्र द्वारा क्या सहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)।

(क) गत खरीफ फसल के न होने के फलस्वरूप सब राज्यों से कहा था कि वह अपने उन क्षेत्रों की सूचना दें जो कमी वाले क्षेत्र घोषित कर दिये हैं। आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल तथा गुजरात की सरकारों ने उत्तर दिया है कि उन्होंने किसी भी क्षेत्र को कमी वाला क्षेत्र घोषित नहीं किया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा मैसूर ने कहा है कि वर्षा न होने के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उड़ीसा की सरकार ने कहा है कि कुछ जिलों में धान की फसल आंशिक रूप से कम हुई है परन्तु फिर भी किसी भी क्षेत्र को कमी का क्षेत्र घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के दो जिलों पर बाढ़ तथा सूखा का प्रभाव पड़ा है। बिहार के एक जिले के कुछ भागों में भी सूखा के प्रभाव का पता चला है। मद्रास, नागालैंड तथा जम्मू और काश्मीर से अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही वह प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ख) जब प्राकृतिक घटनायें आवश्यक बना दें, राज्य सरकार सहायता का कार्य आरंभ कर देती है तथा जब वह व्यय चौथे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई सीमा से अधिक हो जाता है तो केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिश द्वारा जो नमूना दिया है उसके अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है। दलों की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार अन्य सहायता पर भी विचार करती है। राज्य सरकारों की प्रार्थना पर शीघ्र ही केन्द्रीय दल आन्ध्र प्रदेश की यात्रा करेगा।

चीनी का उत्पादन

542. **श्री जार्ज फरनेंडीज** :—क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू सीजन तथा आगामी सीजन में देश में कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) चीनी के आंशिक विनियंत्रण के कारण चीनी उद्योग को कितना अतिरिक्त लाभ होगा; और

(ग) क्या सरकार ने नियंत्रित तथा विनियंत्रित चीनी के मूल्य निर्धारित करने तथा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सरकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) चालू मौसम में 21.5 लाख टन चीनी के उत्पादन की सम्भावना है परन्तु यह सब चीनी मिलों को मिलने वाले गन्ना पर आधारित है । अगले वर्ष में होने वाले उत्पादन के बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है ।

चालू मौसम में गन्ने के दाम अधिक होने से अधिक गन्ना बोने की आशा है तथा अच्छा मौसम होने पर अगले वर्ष यह अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा ।

(ख) चीनी उद्योग में अतिरिक्त लाभ कारखानों द्वारा गन्ने के दाम अधिक देने तथा अपने सारे कोटा को किस मूल्य पर बेचते हैं उस पर आधारित है और यह वर्ष के अन्त तक ही इसका पता चल सकेगा ।

(ग) उद्ग्रहण चीनी के मान सरकार द्वारा गन्ने का न्यूनतम मूल्य निश्चित करने पर है यद्यपि चीनी मिल गन्ने के मूल्य अधिक दे रहे हैं । जो चीनी बेचने को छोड़ी है उसके मूल्य निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । खुले बाजार में चीनी के भाव अधिक हैं क्योंकि वह सरकार द्वारा निश्चित किये भाव से गन्ने का अधिक मूल्य देते हैं ।

वर्ष 1968-69 में खाद्य उत्पादन

543. श्री जार्ज फारनेंडीज : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 में खाद्यान्नों के अनुमानित उत्पादन का हिसाब लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) ये आंकड़े किस आधार पर संकलित किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) पूर्व निश्चित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 1968-69 के कार्यक्रमों का उद्देश्य 1070 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन का है । किन्तु यह अभी कोई अनुमान व लक्ष्य नहीं है । उत्पादन क्षमता का अनुमान 1968-69 के लिए राज्य बजटों में कृषि कार्यक्रमों को प्रदत्त वास्तविक धन-राशि के आधार पर और विचार-विमर्श के आधार पर किया जायेगा, जोकि राज्यवार कार्यकारी दलों द्वारा नवम्बर-दिसम्बर 1967 में किया गया है ।

(ग) उत्पादन क्षमता का लक्ष्य अधिक अन्न उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम, बहुपद फसल कार्यक्रम और लघु सिंचाई कार्यक्रम, भूमि विकास, भूमि संरक्षण आदि कार्यक्रमों से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर तैयार किया जाता है ।

सड़क परिवहन उद्योग संबन्धी मजूरी बोर्ड

544. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सहायता के बारे में बहुमत से की गई सिफारिशें क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अन्तरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिशें पहले सर्वसम्मति से मान ली गई थीं और उन पर सर्वसम्मति से हस्ताक्षर होने के बाद ही "इण्टक" और ए० आई० टी० यू० सी० के प्रतिनिधियों ने विमति टिप्पणि लिखी हैं ; और

(ग) अन्तरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिशों से कितने कर्मचारियों को लाभ होगा;

(घ) इस मजूरी बोर्ड द्वारा कब तक अन्तिम प्रतिवेदन दिये जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कर्मकारों के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये विमति कार्यवाहियों सहित सभा के पटल पर रख दी गई हैं। सरकार को कोई सूचना नहीं है कि बोर्ड की अनेक अवस्थाओं में विचार-विनिमय के समय बोर्ड के किसी एक सदस्य ने क्या विचार व्यक्त किया ।

(ग) सिफारिशें उन संस्थापनों पर लागू होती हैं जिन में पांच या अधिक कर्मकार काम करते हों । जब कार्यान्विति की प्रक्रिया समाप्त हो जायगी तो कुल कर्मकारों की संख्या का पता चलेगा जिन्हें लाभ हुआ है।

(घ) मजूरी बोर्ड अपने कार्य को जल्दी समाप्त करने की कोशिश कर रहा है । फिर भी, इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि अन्तिम रिपोर्ट कब भेजी जायगी ।

पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा मक्का की खरीद

546. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालंधर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में हजारों क्विंटल मक्का पड़ी है तथा सड़ रही है क्योंकि भारत का खाद्य निगम उसे खरीदने के लिये तैयार नहीं है यद्यपि उसने पहले आश्वासन दिया था कि वह सारी फसल खरीद लेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निगम के एकाधिकार के कारण मक्का के इस स्टाक को किसी अन्य तरीके से नहीं बेचा जा सकता जिसके परिणामस्वरूप 54 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनमत स्वीकृत दामों से कीमतें काफी नीचे गिर गयी हैं ;

(ग) क्या इस दृष्टिकोण के कारण किसानों ने अब के अगले सैशन में कम भूमि में मक्का की खेती की है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) : जी नहीं । जालंधर की विभिन्न मंडियों में पहले अक्टूबर, 1967 से जनवरी, 1968 तक कुल 42.5 हजार टन मक्का आने के विरुद्ध भारत के खाद्य निगम ने 36.2 हजार टन मक्का खरीदी जो कि कुल आने वाले अन्न का 85% है। शेष 15% को

व्यापारियों ने स्थानीय उपयोग के लिये खरीदा। निगम ने इस मक्का के लिये औसत मूल्य 55.50 रु. से 56.40 रु. प्रति क्विंटल दिया।

(ग) यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि काश्तकार अगले मौसम में मक्का की खेती कम एकड़ भूमि में करेंगे।

(घ) प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के बारे में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए, उपचारात्मक उपाय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी का उत्पादन

547. **श्री रवि राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि यदि देश का चीनी उद्योग केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संस्था के निदेशक प्रो० बोपारडीकार द्वारा आविष्कृत गन्ना प्रोसेस् करने की नई तकनीक को प्रयोग करने लगें तो चीनी का उत्पादन छः प्रतिशत बढ़ सकता है;

(ख) क्या इस नई तकनीक को अपनाने से कच्चे माल से पोटाश के तत्व प्रथक् किये जा सकेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो प्रो० बोपारडीकार की तकनीक को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है क्योंकि वह तकनीक एक महत्वपूर्ण "आयात प्रतिस्थापन परियोजन" बन सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां।

(ख) जी हाँ।

(ग) राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में आयन-एक्सचेंज प्रणाली पर आधारित (प्रोफेसर बोपारडिकार द्वारा निकाली गई प्रणाली जिसमें आयन-एक्सचेंज-आयन-एक्सक्लूशन भी शामिल हैं) प्रायोगिक परीक्षण किये गये हैं। इन प्रयोगों के परिणामों पर नज़र रखी जा रही है।

पी० एल० 480 के अधीन खाद्यन्न का आयात

548. **श्री रवि राय :** **श्री बसवन्त :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 में जिस नये पी० एल० 480 करार पर हस्ताक्षर किये गये थे उसके अधीन भारत ने अब तक कितना गेहूँ खरीदा है ;

(ख) क्या यह सच कि इस करार के अधीन, जिस में इस वर्ष जून के अन्त तक कुल

अनाज की सप्लाई के लिये उपलब्ध था, अमरीकी कृषि विभाग ने इसकी खरीद के लिये अभी भी प्राधिकार देना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विलम्ब भारत में खाद्य स्थिति पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) 30 दिसम्बर, 1967 में पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये गये करार के अनुसार अमरीकी वर्ष की समाप्ति–30 जून, 1968 तक 30 लाख टन गेहूँ और 5 लाख टन माइलो के सप्लाई किये जाने की व्यस्था की गई है । अब तक प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार अमरीका सरकार ने 18 लाख टन गेहूँ और 3.1 लाख टन माइलो की क्रय का अधिकार दे दिया है । 1 फरवरी, 1968 तक लगभग 17 लाख टन गेहूँ तथा 2 लाख टन माइलो की खरीद की जा चुकी थी । चूंकि 1968 के जून के अन्त तक सप्लाई की जानी है अतः बकाया मात्रा के क्रय अधिकार जारी किये जाने के लिये अभी समय है । इस सम्बन्ध में कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

550. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ;

(ख) देश की आवश्यकता के मुकाबले उत्पादन कितना कम होने का अनुमान है ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वास्तविक क्षेत्र–गणना तथा फसल कटाई सम्बन्धी सर्वेक्षणों पर आधारित चालू वर्ष के उत्पादन के पक्के अनुमान राज्य सरकारों से कृषि वर्ष के अन्त तक अर्थात् जून–जुलाई, 1968 के दौरान उपलब्ध होने की सम्भावना है। फिर भी अस्थायी संकेतों के अनुसार चालू वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 950 लाख मीटरी टन होने की आशा है अर्थात् गत वर्ष के खाद्यान्नों के उत्पादन से लगभग 200 लाख मीटरी टन अधिक होगा ।

(ख) और (ग) खपत सम्बन्धी किसी वैज्ञानिक तथा वृहत् सर्वेक्षण की अनुपलब्धि की स्थिति में और इस तथ्य की मौजूदगी में कि खाद्यान्नों और अन्य सहायक खाद–पदार्थों की उपलब्धि, उनके तुलनात्मक मूल्यों-आय-स्तरों, जनसंख्या में वृद्धि व नागरीकरण के कारण आदि के आधार पर भी कुछ सीमा तक खाद्यान्नों की आवश्यकताओं में कमी-बेशी हो सकती है, किसी विशेष वर्ष में खाद्यान्नों की आवश्यकताओं या उसकी कमी की मात्रा के विषय में ठीक रूप से अनुमान लगाना नहीं है । फिर भी, समीकरण भण्डारण बनाने

तथा किसी अन्य सम्भावित कमियों को पूरा करने के लिए सरकार को सन् 1968 में लगभग 75 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात करने की आशा है ।

विधि आयोग

551. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग की सिफारिशों की अन्तिम किस्त प्राप्त हो चुकी है तथा उसकी मुख्य सिफारिशें किस प्रकार की हैं ; और

(ख) उक्त सिफारिशें किस सीमा तक कार्यान्वित की गई हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :

(क) विधि आयोग की सिफारिशों की अन्तिम किस्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धाराओं 497, 498 और 499–सशर्त जमानत का अनुदान–(छत्तीसवीं रिपोर्ट)–पर एक रिपोर्ट है जो सरकार को 9 जनवरी, 1968 को निवेदित की गई थी ।
रिपोर्ट को छपाने और उसे ससद् के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए इन्तजाम किए जा रहे हैं ।

(ख) उक्त रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

कमी वाले राज्यों के लिये खाद्याओं का आवंटन

552. **श्री श्रीधरन** : **श्री क० लकप्पा** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 के लिये कमी वाले राज्यों के लिये सरकार ने खाद्यान्नों का अस्थायी रूप से आवंटन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये खाद्यान्नों की कितनी मात्रा नियत की है ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि वहां 1967 में खाद्यान्नों की सप्लाई बहुत ही अपर्याप्त थी और वर्ष 1968 में अधिक उदारता से खाद्यान्न दिया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कुछ राज्यों ने यह शिकायत की है कि 1967 के दौरान खाद्यान्नों की सप्लाई अपर्याप्त थी और कुछ राज्यों ने अनुरोध किया है कि 1968 में उन्हें और अधिक खाद्यान्न दिया जाना चाहिये ।

(घ) केन्द्र के पास सीमित मात्रा में खाद्यान्नों की उपलब्धता के कारण सब राज्यों

की पूरी मांगों को पूरा करना सम्भव नहीं। उपलब्ध खाद्यान्नों को केन्द्र द्वारा कमी वाले राज्यों में यथासम्भव समानता के आधार पर वितरित किया जाता है ।

सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार

553. **श्री श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अनेक सहकारी समितियों के कार्य-संचालन में गबन तथा भ्रष्टाचार जैसी बहुत-सी अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) व (ख) : सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि देश के अनेक सहकारी भण्डारों के कार्य संचालन में बहुत सी अनियमितताएं हैं । तथापि, जब विशिष्ट दृष्टांत सरकार की जानकारी में आते हैं तो उचित कार्यवाही की जाती है ।

Acquisition of Fertile Land in Delhi

555. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any representations have been received by Government for the suspension of acquisition of fertile land near Delhi by the Delhi Administration ;

(b) whether it is also a fact that a delegation of farmers has approached the Government in this regard recently ; and

(c) if so, whether some appropriate decision has been taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) The matter is under consideration.

समुद्री घास से खाद्य पदार्थ

556. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री घास से रोटियां तथा मिठाइयां बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाने का है जैसा कि जापान में वाणिज्यिक आधार पर किया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार इस मामले में जापान के विशेषज्ञों का सहयोग लेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) समुद्री घास से खाद्यान्न बनाने का प्रश्न केवल प्रयोगात्मक स्थिति में है । इस समय इससे रोटियां और मिठाई बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यदि आवश्यक समझा गया तो मामले पर विचार किया जायेगा ।

विवरण

(1) देश को मुर्गियों के सम्बन्ध में आत्म निर्भर करने के अभिप्राय से केन्द्रीय और राज्य मुर्गीपालन फार्मों के प्रजनन के कार्य को वैज्ञानिक ढंग से चलाया जा रहा है ताकि अच्छी किस्म के अंडे पैदा किये जा सकें । भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद् से यह अनुरोध किया गया है कि वह अंडों के उत्पादन और प्रजनन सम्बन्धी अनुसंधान कार्यक्रम को प्राथमिकता दें ।

(2) उत्पदकों को उचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से और उपभोक्ताओं के लिये अच्छे किस्म के अंडे और मांस को उचित मूल्यों पर प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक सरकार से यह अनुरोध किया जाना चाहिये कि वह राज्य स्तर का मार्किटिंग संगठन स्थापित करे । जहां तक व्यवहार्य होगा यह संगठन सहकारी क्षेत्र में होगा ।

(3) उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए अंडे की किस्म और मांस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से मांस नियंत्रण आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही करनी चाहिये ।

(4) मुर्गीपालन कार्य के लिये उदार दरों पर पर्याप्त धन राशि की पेशगी ऋण को प्राप्त करने के लिये ज्वाइन्ट स्टाक बैंक, कृषि पुनर्वित निगम और दूसरी सहकारी संस्थाओं को पहुंच करनी चाहिये।

उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई

557. श्री धीरेन्द्र देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हाल में प्रार्थना की है कि उन्हें चालू वर्ष में अधिक उर्वरक दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने भी ऐसी मांग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी मात्रा मांगी थी तथा उनके लिये कितना-कितना उर्वरक मंजूर किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत, रबी के बढ़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, उत्तर प्रदेश को उसकी उर्वरकों की पूर्ण मांग का नियतन कर दिया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) निम्नलिखित अन्य राज्यों ने अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत रबी कार्यक्रम के लिए उर्वरकों की अधिक मात्रा दिये जाने की प्रार्थना की है । नाईट्रोजन के रूप में बढ़ी हुई मांग को निम्नलिखित सीमा तक पूरा किया गया है :—

राज्य का नाम	नाइट्रोजन के रूप में मांगी गई और अलाट की गई अतिरिक्त मात्रा
पंजाब	18,150
मद्रास	5,813
जम्मू तथा काश्मीर	2,900
राजस्थान	6,348

केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास सलाहकार परिषद् की बैठक

558. **श्री चेंगलराय नायडू :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास सलाहकार परिषद् की 23 दिसम्बर, 1967 को एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ नये खाद्य पदार्थों को लोकप्रिय बनाने के लिये कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में सरकार को कुछ अन्य सिफारिशें भी की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास सलाहकार परिषद् की बैठकें 21 और 22 दिसम्बर, 1967 को हुई और तदर्थ समिति बनाई गई जो नये खाद्य पदार्थों को लोकप्रिय बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करेगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) (1) परिषद् ने यह भी सिफारिश की है कि (क) मुर्गी-चारा की किस्म को नियंत्रित किया जाना चाहिए (ख) मुर्गी-चारा उद्योग को प्राथमिक उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिये (ग) मुर्गी-चारे को राज्यों द्वारा बिकी-कर से मुक्त किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त परिषद् की निम्न सिफारिशों का विवरण नीचे दिया जाता है । इन सिफारिशों पर मन्त्रालय में विचार किया जा रहा है और सम्बन्धित अधिकारियों के सामने रखी जाएंगी ।

विवरण

1. देश को चूजों के मामलों में आत्म-निर्भर बनाने की दृष्टि से केन्द्र तथा राज्यों के पोल्ट्री फार्मों में आनुवंशिक दृष्टि से उत्तम कोटि के अण्डे तैयार करने के लिए वैज्ञानिक

आधार पर प्रजनन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को भुने हुए मांस और अण्डों के अधिक उत्पादन के लिए उसकी संकर किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी चाहिये ।

2. उत्पादक को उचित वित्तीय प्रतिलाभ उपलब्ध कराने के लिए और उपभोक्ता को उचित दरों पर अच्छी किस्म के अण्डे तथा मुर्गियों का मांस उपलब्ध कराने के हेतु, प्रत्येक राज्यों से एक समुचित राज्य स्तरीय विपणन संगठन स्थापित करने के लिए निवेदन की जाय । जहां तक हो सके, यह संगठन सहकारी क्षेत्र में होना चहिए ।

3. मांस नियंत्रण आदेश के आधार पर अण्डों और मुर्गियों के मांस की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए जिससे उपभोक्ताओं की रुचि की रक्षा भी हो सके ।

4. संयुक्त स्टाक बैंकों, कृषि पुनर्वित्त निगम तथा अन्य सरकारी संस्थाओं से यह अनुरोध किया जाना चाहिये कि वे कुक्कट पालन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के लिए उदार शर्तों पर ऋण दें ।

आलू की फसल

559. श्री राने : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर भारत में इस सीजन में आलू की बहुत अच्छी फसल हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आलू के मूल्यों में 15 रुपये से 20 रुपये प्रति क्विंटल की कमी हो गई है ; और

(ग) मूल्यों के गिरने से उत्पादकों को होने वाली कठिनाई से उनको बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) मूल्य आर्थिक स्तर से नीचे चले गए हैं । मूल्यों को सुदृढ़ करने से आलुओं को उत्पादक क्षेत्रों से खपत के क्षेत्रों तक शीघ्र पहुँचाने के लिए काफी मात्रा में वैगन उपलब्ध हो सकेंगे । आलुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-लेजाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

महाराष्ट्र को गेहूं का संभरण

560. श्री राने : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1967 से जनवरी, 1968 के महीनों में महाराष्ट्र राज्य को वस्तुतः कितना गेहूँ दिया गया ;

(ख) इसमें से कितना गेहूँ राशन वाले क्षेत्र के लिये था और कितना बिना राशन वाले क्षेत्र के लिये था ; और

(ग) क्या उचित मूल्य की दूकानों से बिना राशन वाले क्षेत्र में वितरित करने के लिये महाराष्ट्र को गेहूँ का कोटा बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 224.7 हजार टन।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को बड़ी मात्रा में कोटा सप्लाई करती है। राशन और बिना राशन वाले क्षेत्रों के लिये अलग से सप्लाई नहीं की जाती। अतः महाराष्ट्र क्षेत्र के बिना राशन वाले क्षेत्र के लिये केन्द्रीय सरकार के द्वारा कोटा बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों का पुनर्वास

561. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से उड़ीसा में आने वाले लोगों को बसाने के लिये 1966-67 और 1967-68 में सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की थी ;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) इस कार्य के लिये उड़ीसा सरकार को अब तक कुल कितना धन दिया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) :

	ऋण	अनुदान+
1966-67	6,48,000 रुपये	32,805.49 रुपये
1967-68	11,18,440 रुपये	——
जोड़	17,66,440 रुपये	32,805.49 रुपये+

(ग)	ऋण	18,6,6440 रुपये
	सहायता अनुदान	1,27,392.19 रुपये+
	जोड़	19,93,832.19 रुपये

+सहायता उपायों पर किया गया खर्च भी इसमें शामिल है।

पुरी के डाक तार मुख्यालय की डाक तथा तार कर्मचारियों की बस्ती

562. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पुरी के डाक तथा तार मुख्यालय की डाक तथा तार

कर्मचारियों की बस्ती में विभागीय तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टरों के दो एककों को एक विभागीय अधिकारी के निरीक्षण बंगले के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक की हिदायतें हैं कि रिहायशी क्वार्टरों को किसी भी हालत में शयनशाला अथवा निरीक्षण बंगले में परिवर्तित न किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो यह परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) कर्मचारियों के इन क्वार्टरों को निरीक्षण बंगले में परिवर्तित किये जाने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी नहीं। केवल एक क्वार्टर को, जिसमें पहले टेलीफोन एक्सचेंज था, निरीक्षण क्वार्टर में बदलने की अनुमति दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) दौरे पर जाने वाले अधिकारियों के लिए पुरी में एक निरीक्षण क्वार्टर की भारी मांग के कारण।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी का मूल्य

563. श्री शिवचन्द्र झा : श्री मोहसिन :
डा० रानेन सेन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 40 प्रतिशत चीनी के विनियंत्रण से बाजार में चीनी के मूल्य कुछ कम हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय बाजार में विनियंत्रित चीनी का औसत मूल्य क्या है और कितने प्रत्याशित मूल्य पर इसमें स्थायित्व आयेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : चीनी के आंशिक विनियन्त्रण की नीति चीनी के उत्पादन बढ़ाने और गन्ने के स्थान पर अन्य फसलों के उगाये जाने को रोकने के लिये अपनायी गई थी। इस नीति के अन्तर्गत उत्पादन की 60 प्रतिशत चीनी का मूल्य सरकार द्वारा गन्ने के नियत मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है। चीनी मिलें गन्ने के लिये बहुत अधिक मूल्य का भुगतान कर रही हैं। चीनी मिलों को इस कारण खुले में बेचने वाली चीनी ऊंचे दरों पर बेचनी पड़ती है। 23 नवम्बर, 1967 को, जब चीनी आंशिक रूप से विनियंत्रित की गई थी उस समय के मूल्यों की अपेक्षा अब चीनी के मूल्य में 140 रुपये प्रति क्विन्टल की कमी हो

गई है । इस समय मिल-द्वार प्रति क्विन्टल मूल्य 350 रुपये से 390 रुपये के बीच है । चीनी के मूल्य का एक स्तर पर स्थिर होना इसके उत्पादन और इसकी मांग पर निर्भर करता है ।

बिहार के लिये खाद्यान्नों का आवंटन

564. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 से केन्द्रीय सरकार बिहार के लिये खाद्यान्नों का आवंटन कम कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो जनवरी, 1968 से बिहार के लिये कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया है और वस्तुतः कितनी सप्लाई की जायेगी तथा बिहार सरकार ने कितना खाद्यान्न दिये जाने की मांग की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य में ही देसी गेहूँ का अधिक उपलब्ध होना, विदेशों से कम अनाज का आयात और राज्य में देसी गेहूँ का अधिक मात्रा में स्टाक होना ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी फार्म

565. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रूस की सहायता से सरकारी फार्म स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वार्षिक योजना की अवधि में राज्यवार कितने ऐसे सरकारी फार्म स्थापित किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) रूस की सहायता से 15 सरकारी फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है । रूसी सरकार 5 फार्मों की स्थापना के लिये प्रत्येक फार्म हेतु 31 लाख रुपये का साज-सामान उपहार रूप में देगा । अन्य 10 फार्मों के लिये रूसी सरकार ने साज-सामान को आस्थगित भुगतान के आधार पर देने का प्रस्ताव किया है । उन 5 फार्मों में से जिनके लिये रूसी सरकार ने मुफ्त साज-सामान देने का प्रस्ताव किया है, एक फार्म उड़ीसा के हिराकुड क्षेत्र में, फरवरी, 1967 में स्थापित कर दिया गया था । 1968-69 के प्रारम्भ से एक फार्म हिसार (हरियाना) और दूसरा सतलज तल क्षेत्र में चालू हो जाने की सम्भावना है ; चौथे फार्म के लिये मैसूर जिले के रायचूर क्षेत्र में एक स्थान का चुनाव कर लिया गया है और राज्य सरकार को इसके लिये भूमि अर्जित करने के लिये कहा गया है । बिहार में भी फार्म स्थापना के हेतु जगह का चुनाव हो गया है । एक केन्द्रीय दल ने केरल का हाल ही

में दौरा किया था और सम्भव है कि सन् 1968-69 में एक फार्म केरल में स्थापित हो जाये। देश के अन्य भागों में सरकारी फार्म स्थापित करने की सम्भावनाओं के बारे में जांच की जा रही है।

रेडियो-टेलीफोन संचार

566. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के साथ भारत की रेडियो-टेलीफोन संचार व्यवस्था है और उसकी दरें क्या हैं;

(ख) क्या ये सुविधायें असैनिक लोगों को उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन केन्द्रों से असैनिक लोग इस संचार व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जिन देशों से भारत की रेडियो-टेलीफोन संचार व्यवस्था मौजूद है, और उसके जो प्रभार हैं उनकी सूची सभा-पटल पर रखी जा रही है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 73/68]

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन-काल भारत में स्थित किसी भी ऐसे टेलीफोन से की जा सकती है जो देश की आन्तरिक सार्वजनिक टेलीफोन ट्रंक-प्रणाली से जुड़ा हुआ हो।

दक्षिण भारत में संसद् का सत्र

567. **श्री मि० सू० मूर्ति** : **श्रीमती सुशीला रोहतगी** :

क्या ससंद्-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में संसद् का सत्र आयोजित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) दक्षिण भारत में संसद् का सत्र आयोजित करने के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस अयोजना के वित्तीय आशय अभी विचाराधीन हैं।

Publication of Central Acts in various Languages

568. **Shri Tulsidas Jadhav** : **Shri Valmiki Choudhary** :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the British regime, Central Acts and Bills were published also in various Indian languages ;

(b) the reasons for not doing so by Government after the Independence ; and

(c) whether this work has now been taken in hand and if so, when translated versions of Bills. etc. would be available to the public ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) :

(a) Acts passed by the Imperial Lagislative Council were required to be translated in Bengali, Gujarati, Marathi, Telugu, Kannada, Tamil and Malayalam through the local Governments concerned.

(b) and (c) The language policy of the Government was under consideration ever since the Constitution came into force and it was only after the Presidential Order contained in the Ministry of Home Affairs Notification no. 2/8/60-OL dated the 27th April, 1960, was issued that action was taken to set up an Official Language (Legislative) Commission. The Commission was constituted with effect from the 8th June, 1961. It is responsible for the preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President and for arranging for the translation of Acts, Ordinances and Regulations promulgated by the President in the respective official languages of the States. The Commission has so far prepared authoritative texts in Hindi of 91 Central Acts. The Commission is also actively engaged in the preparation of translation of the Acts in regional languages in close collaboration with the State ageneies.

Telephone Link between Bhind and Etawah

*569. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Communications** be pleased to statc when the work to instal telephone lines between Bhind City of Madhya Pradesh and Etawah City of Uttar Pradesh is likely to be taken up?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : The work has not so far been sanctioned as it has not been considered feasible.

Election to Labour Unions

570. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have sent to the Central Government for approval a draft para for making provision regarding the election to the Union of Labour representatives in the existing labour law; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) No.

(b) Does not arise.

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

571. **श्री जे० मुहम्मद इमाम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1968 से आयातित गेहूँ, आटे, सूजी, मैदा, चीनी और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जनवरी, 1968 से सरकार ने आयातित गेहूँ, माइलो और चावल के निर्गम मूल्यों में वृद्धि कर दी है। आटा, मैदा और सूजी जो कि गेहूँ से बनते हैं के मूल्य में वृद्धि आयातित गेहूँ के मूल्य में वृद्धि के कारण है।

(ख) खाद्यान्नों के वितरण पर राजसहायता के राजकोष पर बोझ को कम करने के लिये निर्गम मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी थी और वस्तुओं के सरकारी मूल्यों और खुले बाजार मूल्य के अन्तर को भी कम करना था।

वनस्पति उद्योग के लिए रंग का निर्धारित नमूना

572. श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री मुत्तुस्वामी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रक द्वारा वनस्पति उद्योग के लिये रंग का नया विशिष्ट नमूना निर्धारित किए जाने से बिनौले से तेल निकालने के उद्योग के लिये संकट पैदा हो गया है ; और

(ख) बिनौलों से तेल निकालने के उद्योग द्वारा वनस्पति निर्माताओं को बिनौलों के तेल में से कितने प्रतिशत तेल सप्लाई किया जाता है; और

(ग) रंग के नये विशिष्ट नमूने के बारे में वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक के निर्णय की क्रियान्विति के क्या प्रतिकूल प्रभाव होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) वनस्पति के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में बिनौले के तेल जो कि विहित रंग सीमा के अनुरूप है, के प्रयोग में कथित औद्योगिकी कठिनाइयों सम्बन्धी संकल्प के निपटारे तक हाल ही में वनस्पति के लिये अधिसूचित अधिकतम रंग सीमा वापिस ले ली गयी है।

(ख) 1967 में लगभग 90 प्रतिशत।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में मक्का का जमा हो जाना

573. श्री जे० मुहम्मद इमाम : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जनवरी, 1968 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया मक्के का भारी स्टॉक पंजाब की मंडियों में जमा पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश स्टॉक गोदामों की कमी तथा माल डिब्बों की कमी के कारण खुले स्थानों पर पड़ा हुआ है और खराब हो गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों की व्यवस्था न की जाने तथा इस माल को कमी वाले क्षेत्रों में न ले जा सकने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

संकर बीजों का उत्पादन

574. **श्री मुहम्मद इमाम : श्री क० मि० मयुकर :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी फार्मों में कितनी मात्रा में संकर बीजों का उत्पादन किया गया ; और

(ख) पिछले दो वर्षों में देश में संकर बीजों की मांग का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई टेलीफोन निर्देशिका

575. **श्री मुहम्मद इमाम : श्री चं० चुं० देसाई :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इकानोमिक टाइम्स में 13 जनवरी, 1968 को प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि काश्मीर को बम्बई टेलीफोन निर्देशिका में विदेशी क्षेत्र दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हाँ ।

(ख) बम्बई में काश्मीर राज्य के व्यापार एजेंट का पदनाम ट्रेड एजेंट है और वह चाहते थे कि उसका नाम 'ट्रेड कमिश्नर्स' वर्ग-शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाय । अतः उसे 'ट्रेड कमिश्नर्स' के अन्तर्गत रखा गया । निर्देशिका में प्रविष्टियां जिनमें वर्ग-शीर्षक भी शामिल है, जनता की सुविधा की दृष्टि से की जाती है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी

576. **श्री सिद्धय्या** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 12 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3885 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1963-64 से दिसम्बर, 1967 के अन्त तक अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में बसाये गये पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

577. **श्री सिद्धय्या :** **श्री लोबो प्रभु :**

श्री रा० बरुआ :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला उद्योग मजूरी बोर्ड

579. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लारपुर, शास्ती और घुगुस की कोयला खानों में कोयला उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें क्रियान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या कोयला खानों द्वारा उनकी क्रियान्वित में विलम्ब किये जाने के फलस्वरूप श्रमिकों को कोई प्रतिकर दिया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) इन कोयला खानों में उक्त सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गई हैं।

(ख) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रबन्धकों को राजी करने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) हरजाने का सवाल नहीं उठेगा क्योंकि उक्त सिफारिशें सलाह के रूप में हैं।

प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

580. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने की योजना समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी कितने उपक्रमों में इस योजना को लागू किया गया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं । इस योजना का नाम बदल कर "संयुक्त प्रबन्ध परिषद की योजना" रख दिया गया है । इस योजना का उद्देश्य, परामर्श और आपसी विचार-विमर्श द्वारा श्रमिकों और प्रबन्धकों में सहयोग बढ़ाना है । इसमें प्रबन्धकों और श्रमिकों के समान प्रतिनिधि होंगे। इस योजना की मुख्य बातें हैं (1) प्रतिष्ठान के दैनिक कार्य-कलाप से सम्बन्धित कुछ पहलुओं पर परामर्श की सुविधा (2) निर्दिष्ट मामलों पर परिषद् के सदस्यों को जानकारी देना (3) कल्याण-कार्य, सुरक्षा आदि से सम्बन्धित कतिपय प्रशासकीय जिम्मेवारियों का दिया जाना ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में 46 और निजी क्षेत्र के 84 उपक्रम ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

शिमला में सचेतक सम्मेलन

581. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री कंवरलाल गुप्त :**

क्या संसद्-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने शिमला में हुये सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों को इस बीच क्रियान्वित कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) छटे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों को समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों/अधिष्ठाताओं के पास क्रियान्विति के लिये भेज दिया गया है । उनसे इन सिफारिशों पर अर्धवार्षिकी क्रियान्विति रिपोर्ट भेजने के लिये भी अनुरोध किया गया है । केन्द्रीय सरकार द्वारा भी इन सिफारिशों के शीघ्र क्रियान्विति के लिये इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी संयुक्त खेती समितियां

582. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) संयुक्त खेती समितियों का रूप और कार्य क्या है ;

(ख) सरकारी संयुक्त खेती समितियों को सहायता देने की पुनरीक्षित योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की है कि देश में कार्य कर रही सभी संयुक्त खेती समितियों को पुनरीक्षित शर्तों पर सहायता दी जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) एक सहकारी खेती समिति या तो सामूहिक या संयुक्त स्वरूप की हो सकती है । सामूहिक समिति में भूमि का स्वामी समिति ही होती है; जबकि संयुक्त समिति में

सदस्य एक स्वीकृत अवधि के लिए अपनी भूमि पूल करते हैं और उनकी भूमि पर उन्हीं का स्वामित्व रहता है। सहकारी खेती समिति सदस्यों तथा समाज के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सुनियोजित आधार पर भूमि पर संयुक्त खेती तथा डेरी, कुक्कुटादि-पालन आदि जैसे सम्बद्ध कार्यक्रम और लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योग तथा दूसरी गतिविधियां चलाती है।

(ख) संयुक्त सहकारी खेती समिति निम्न सहायता की पात्र है:—

	ऋण	अनुदान	योग
	रु०	रु०	रु०
1. अंश-पूंजी	2,000	–	2,000
2. भूमि-विकास (प्रति एकड़ 100 रुपये की दर से एक समिति के लिए अधिक से अधिक 20,000 रुपये)	20,000	–	20,000
3. गोदाम-एवं-डोरशाला	3,750	1,250	5,000
4. प्रबन्धकीय उपदान	–	1,200	1,200
	25,750	2,450	28,200

(ग) जी हां, प्रति वर्ष पात्र समितियों को इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध राशि की सीमा के भीतर सहायता दी जाती है।

भारतीय सागर में उपग्रह

583. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय सार्थ संघ द्वारा भारतीय सागर में उपग्रह स्थापित करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपग्रह की स्थापना में किये जाने वाले व्यय में भारत का कितना अंश होगा ;

(ग) उपग्रह स्थापित करने में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(घ) उक्त उपग्रह के क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) हिन्द महासागर पर यह उपग्रह भू-माण्डलिक संचार-उपग्रह प्रणाली (ग्लोबल कम्यूनिकेशंस सैटेलाइट सिस्टम) के अधीन स्थापित किया जा रहा है। अनुमान है कि इस भू-माण्डलिक प्रणाली की कुल लागत लगभग 20 करोड़ डालर रहेगी जिसके पूँजी-निवेश में भारत का अंश लगभग 0.5% या 70 लाख रुपये होगा।

(ग) हिन्द महासागर उपग्रह (इंडियन ओशन सेटेलाइट) 1968 के अंत तक स्थापित हो जाने की संभावना है।

(घ) भू-माण्डलिक संचार उपग्रह प्रणाली में सम्मिलित होने से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय तार, टेलीफोन, फोटो टेलीग्राफ तथा टेलेक्स परियात की भारत की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये विश्वसनीय, स्थायी तथा ऊंचे दर्जे की अन्तर्राष्ट्रीय संचार सुविधाओं की उपलब्धि ;

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शन (टेलीविजन) के उपयोग की क्षमता की व्यवस्था।

स्वचालित बेकरियां लगाना

584. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिचार बम्बई में आरे दूध कालोनी में लगाई गई बेकरी के नमूने की आधुनिक ढंग की स्वचालित बेकरियां देश में अन्य स्थानों पर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये बेकरियां किन-किन नगरों में लगाने का विचार है; और

(ग) ये बेकरियां लगाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी हां।

(ख) ये बेकरियां अहमदाबाद, कोचीन, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर और चन्डीगढ़ में भी स्थापित की जा रही हैं।

(ग) बम्बई और मद्रास में ये बेकरियाँ पहले ही उत्पादन कर रही है। अहमदाबाद, कोचीन और दिल्ली की बेकरियों का निर्माण कार्य चल रहा है और अप्रैल, 1968 से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। कलकत्ता की बेकरी वर्ष 1968 के अन्त तक चालू हो जायेगी। शेष 1969 में उत्पादन आरम्भ कर देगी।

राशनिंग पर व्यय

585. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री बलराज मधोक :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में राशनिंग के गत दो वर्षों में सरकार ने कार्ड धारियों से 1.70 करोड़ रुपये वसूल किये हैं जब कि इस अवधि में कुल व्यय 82 लाख रुपये से अधिक नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि या तो शेष 88 लाख रुपये दिल्ली प्रशासन को दिये जायें या इसका प्रयोग राशन की वस्तुएं कम मूल्य पर देने के लिये किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राशन की वस्तुओं के अधिक दाम लेने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी हां।

(ख) यह सुझाव दिया गया है कि अतिरिक्त धन दिल्ली की जनता को वापिस कर दिया जाये।

(ग) सरकार ने इस वर्ष जनवरी से पहले ही राशनिंग के लिये अतिरिक्त लागत को 2 पैसे प्रति किलोग्राम से कम करके 1 पैसा प्रति किलोग्राम कर दिया है। इस प्रकार एकत्र की राशि को अलग से जमा किया गया था परन्तु इस व्यापार खाते में रखा गया था। अतः इसके उपभोक्ताओं को वापिस करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राशन की वस्तुओं पर अधिक दाम नहीं लिये गये हैं। यह निर्णय किया गया था कि राशन की वस्तुओं की बिक्री से राशनिंग के प्रशासन की लागत प्राप्त की जाये। ऐसी लागत अस्थायी रूप से 2 पैसे प्रति किलोग्राम नियत की गई थी। वास्तविक व्यय और लागत प्राप्ति के पुनरीक्षण पर यह निर्णय किया गया था आय और व्यय में सामंजस्य लाने के लिये राशि को घटा दिया जाये।

Hindi Clerk in Community Development and Co-operation Department

586. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no clerk or typist has been appointed for doing Hindi work in his Ministry particularly in the Department of Community Development and Co-operation; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) No.

(b) Does not arise.

Labour Trouble in Modinagar (U. P.)

587. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri T. P. Shah** :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) Whether Government have obtained any information from the Uttar Pradesh Government in connection with the labour trouble in Modinagar resulting in firing;

(b) whether any advice has been given to the State Government with a view to safeguard the interests of labourers there; and

(c) if so, the reaction of State Governmant thereto?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) and (b) No, Sir. The matter falls in the State sphere and it is for the State Government to take such action as they deem necessary.

(c) Does not arise.

Use of Hindi in the Law Ministry

588. **Shri Prakrsh Vir Shastri** : Will the Minister of Law be pleased to state.

(a) the further progress made in regard to the use of Hindi in the sphere of law in his Ministry ;

(b) whether some more programmes have also been chalked out for implementation in future ; and

(c) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M Yunus Saleem) :

(a) Since the conclusion of the last session of the Lok Sabha, the Official Language (Lagislative) Commission has finalised the Hindi texts of 10 more Central Acts, thus bringing the total number of Central Acts whose Hindi texts have been finalised to 91. The Commission has also supplied Hindi translation of 140 Bills introdueed in .Parliament. The Commission has further finalised Hindi texts of 58 Rules made under Central Acts whose Hindi texts have been finalised.

As regards the progress made in the use of Hindi in the Ministry it may be stated that the main functions of the Ministry are tendering of legal advice and drafting of legislations legal advice is usually given on the files of the respective Ministries/Departments of the Government of India which refer them to this Ministry, and there is hardly any scope for the officers and staff to do work in Hindi on such cases. So far as the work of **translation** of Statutes, Ordinances, Regulations, Rules, Orders, etc , into Hindi is concerned, all work (including notings, etc.,) in connection therewith is done in Hindi. All resolutions notifications and administrative reports are being issued by the Ministry of Law in English and Hindi simultaneously. Replies to the letters received in Hindi from the Hindi-speaking States or members of the public are invariably given in Hindi or are accompained by Hindi translation thereof. There is also no restriction on the Hindi-knowing employees to do their routine work in Hindi in sections like Administration Sections wherever possible.

(b) and (c) In pursuance of the recomendations made by the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Law, it is proposed to publish two Law Journals in Hindi containing the reportable judgments of the Supreme Court and of the High Courts respectively and also to prepare and publish standard law texts books for the L.L. B. course of the Universities in the Hindi-speaking States. Necessary steps in this regard are being taken in consultation with the Supreme Court, the High Courts and the concerned Universities.

भारतीय खाद्य निगम

589. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से लेकर अब तक कार्मचारी तथा अन्य कार्यालय सम्बन्धी व्यय प्रति वर्ष कितना हुआ है; और

(ख) इसके कार्यालयों के लिए तथा गोदामों के लिए भवन खरीदने अथवा उनका निर्माण करने पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के बनाये जाने से अर्थात् 1964–65 से 1966–67

वित्तीय वर्ष तक निगम के कर्मचारियों तथा अन्य कार्यालय सम्बन्धी वार्षिक व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(लाख रुपये में आंकड़े)
1964–65	5·01 रुपये
1965–66	173·39 रुपये
1966–67	344·58 रुपये

वर्ष 1966 -67 के आंकड़े अस्थायी है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को दिये गये गोदामों के लिये 31-3-67 तक नये गोदामों के निर्माण पर 1086-17 लाख रुपये व्यय हुए।

कार्यालय के लिये भवन का निर्माण पर खरीदन पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

दिल्ली दुग्ध योजना

590. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री अब्राहम :
श्री गणेश घोष : श्री भगवान दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली दुग्ध योजना को भारी घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितना घटा हुआ है ?

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) वित्तीय वर्ष 1967-68 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः वर्ष के लेखा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जब से योजना शुरू हुई है तब से मार्च, 1967 तक योजना को 194.56 लाख रुपये की कुल हानि हुई है। वर्ष-बार विवरण निम्न प्रकार है :—

	वर्ष	(हानि लाख रुपयों में)
नवम्बर	1959-61	5.02
	1961-62	4.16
	1962-63	10.64
	1963-64	23.10
	1964-65	97.77
	1965-66	39.21
	1966-67	14.66
	कुल :—	194.56

(ग) विशेषज्ञों के दल द्वारा योजना की कार्य-पद्धति की पूर्णतया जांच की जा चुकी है ।

(घ) उपरोक्त (ग) को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं होता । दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा ऊँचे मूल्य पर दूध खरीदे जाने और उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले मूल्य का अन्तर ही इस हानि का मुख्य कारण है ।

आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास में चावल का समाहार मूल्य

591. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में धान के समाहार मूल्य क्या हैं ; और

(ख) कमी वाले राज्यों, केरल और बंगाल को चावल और गेहूँ किस मूल्य पर सप्लाई किये जाते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 में धान का समाहार मूल्य इस प्रकार था :—

	रुपये पैसे
आन्ध्र प्रदेश	
सुपर फाइन	70.00
फाइन	55.00
कोर्स	46.00
मद्रास	
फाइन	48.00
मीडियम	45.00
कोर्स	43.00

(ख) चावल	प्रति क्विन्टल रुपये पैसे
कोर्स	96.00
मीडियम	102.00
फाइन	110.00
सुपर फाइन (ii)	115.00
सुपर फाइन (i)	125.00
सुपीरियर बासमती	135.00
गेहूँ	
आयातित	67.00

जनरल जोरावर सिंह स्मृति टिकट

592. **श्री हेम राज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली शताब्दी में तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सेनापति वजीर जोरावर सिंह थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जोरावर सिंह स्मारक समिति ने उसके सम्मान में स्मृति टिकट जारी करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) यह बात ठीक है कि वजीर जोरावर सिंह ने पिछली शताब्दी में पश्चिमी तिब्बत पर एक सैनिक अभियान किया था, किन्तु इस अभियान को विजय मान लिया जाए, यह इसका अर्थ लगाये जाने का प्रश्न है ।

(ख) और (ग)—डोगरा हिमाचल संस्कृति संगम से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे विचारार्थ डाक-टिकट संकलन सलाहकार समिति के सामने रखा जाएगा ।

Agricultural Air Force

593. **Shri Baswant :** **Shri Deorao Patil :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to organise an agricultural air force for spraying insecticides on crops;

(b) whether any financial assistance has been sought from the World Bank, U.S.A. or any other country;

(c) if so, the details thereof; and

(d) when this scheme will be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No. The aerial spraying facilities are, however, gradually being expanded in the public as well as the private sector.

(b) to (c) A project report seeking a loan from U. S. A. I. D. for acquistion of 50 fixed wing aircraft in the public sector and 49 fixed wing and 2 helicopters in the private sector was prepared and forwarded ; while a project loan may not be available, alternative sources of finance are under the consideration of Government.

सामुदायिक विकास खण्डों तथा पंचायत समितियों के लिये कर्मचारी

594. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड अथवा पंचायत समिति को किस रूप में तथा कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार दी गई सहायता का लगभग 50 प्रतिशत भाग खण्ड अथवा समिति के कर्मचारियों के वेतनों पर खर्च हो जाता है ;

(ग) क्या पर्याप्त धन न होने के कारण इन अधिकांश अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन अधिकारियों के लिये पूरे काम की व्यवस्था करने का है अथवा उन्हें उन विभागों को वापस भेज देने का है, जहां से वे आये थे ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन पंचायत समितियों अथवा खण्डों को समाप्त करने का है, क्योंकि इस योजना का काम सन्तोषजनक नहीं हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुपदस्वामी): (क) 12 लाख रुपये और 5 लाख रुपये की व्यवस्था जिसे सामुदायिक विकास योजना बजट कहते हैं स्थिति एक और स्थिति दो चरणों के लिये की गई है । एक स्थिति पांच वर्षों के लिये होगी । यह व्यवस्था एक सामुदायिक विकास खण्ड के लिये है । यह योजना बजट, जो कि कार्य क्रम के धन उपलब्ध करेगा, उस क्षेत्र के विकास के कार्य में लगाया जायेगा और जहां पर पंचायत-समितियां हैं वहां यह इन समितियों को सौंप दिया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य विभागीय संसाधनों और योजनाओं को भी खण्ड अभिकरणों और पंचायत समितियों द्वारा कार्यान्वित कराया जाता है । संसाधनों की कमी के कारण खण्डों को योजना की आवश्यकता के अनुसार धन उपलब्ध नहीं किया जा सका । तीसरी योजना में कुल आवश्यकता के 80 प्रतिशत के लिये व्यवस्था की गई थी । 1966-67 और 1967-68 में आवश्यकता से कमी क्रमशः 48 प्रतिशत और 58 प्रतिशत रही ।

(ख) सामुदायिक विकास के लिये योजना निधि का स्थिति एक में चौथा भाग और स्थिति दो में छटा भाग खण्ड मुख्यालय में खर्च किया जाना है । योजना के लिये निधि में कमी हो जाने पर 1966–67 के लिये खण्ड कर्मचारियों पर खर्चा 47 प्रतिशत बढ़ गया है ।

(ग) और (घ) खण्ड विस्तार टीम न केवल सामुदायिक योजनाओं की कार्यान्वित ही करती है बल्कि राज्य सरकारों के अन्य विभागीय कार्यों को भी करती है । राज्य सरकारें उपलब्ध संसाधनों, काम और कर्मचारियों की संख्या आदि पर ध्यान देती रहती हैं ।

(ङ) सामुदायिक विकास खण्ड और पंचायत समितियां अपने सीमित संसाधनों और बातों के होते हुए अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है ।

Teak wood Forests

595. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the area under teak wood forests in India is decreasing ;

(b) whether any scheme in regard to teak forestation is under consideration ; and

(c) if so; the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) There has been no significant change in the area under Teak-wood in India.

(b) Teak plantations have been raised under the scheme of Economic Plantations in the Second and Third Five Year Plans. Plantations of teak have also been raised during the years 1966-67 and 1967-68 also

(c) An area of 38,200 hectares was planted up with teak during the Second Five Year Plan and about 86,000 hectares during the Third Plan. Since 1966-67, an average of 10,000 hectares are being planted up every year with teak. The States Govetnments are being provided 20% grant and 30% loan for these schemes included in the Forestry Sector from 1967-68.

खाद्य उत्पादन प्रतियोगिता

596. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धान के उत्पादन के लिए देश के किसानों के बीच 1965-66 में कोई खाद्य उत्पादन प्रतियोगिता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई पुरस्कार दिये गये थे ; और

(ग) प्रथम पुरस्कार किसे मिला और उसने प्रति एकड़ कितना उत्पादन किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) खरीफ 1965-66 के मौसम में धान की फसल के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर, एक अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था । राज्य सरकारों ने राज्य, जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तरों पर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था।

(ख) जी हां । अखिल भारतीय आधार पर निम्नलिखित 3 पुरस्कार दिये गये थे :-

प्रथम पुरस्कार :	"एस्कार्टस-37 ट्रैक्टर के रूप में मुहम्मनियम पुरस्कार" तथा "कृषि पण्डित" की उपाधि ।
दूसरा पुरस्कार :	3,000 रुपये
तीसरा पुरस्कार :	2,000 रुपये

(ग) पहला पुरस्कार आन्ध्र प्रदेश के जिले कुरनूल के डा० यम्मिनगनूर के श्री एम० गंगान्ना (एम० जी० ब्रादर्स) को दिया गया था । उन्होंने 3834.87 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रपज प्राप्त की थी ।

संकटग्रस्त चीनी मिलों की व्यवस्था में सुधार करना

597. **श्री म० सुदर्शनम :** **श्री मि० सू० मूर्ति :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त चीनी मिलों की व्यवस्था में सुधार करने संबंधी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन तथा नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फेक्ट्रीज के द्वारा चीनी मिलों की अपेक्षित सहायता का ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है।

दिल्ली में नये टेलीफोन कनेक्शन

598. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नये टेलीफोन कनेक्शन में से 70 प्रतिशत कनेक्शन उन आवेदकों के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं जो 3,000 रुपये पेशगी देंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हां; और

(ख) दिल्ली में नये कनेक्शन में से अपना टेलीफोन योजना के आवेदकों के लिए 70 प्रतिशत कनेक्शन आरक्षित रखने की व्यवस्था 1950 से मौजूद है। इतने प्रतिशत कनेक्शन आरक्षित रखने का मुख्य कारण है दूरसंचार विकास के लिए लागत पूंजी के खर्च की पूर्ति के लिए फंड इकट्ठा करना।

Wheat and sugar supply to Madhya Pradesh, U. P. and Himachal Pradesh

599. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 1165 on the 21st November, 1967 and state :

(a) the quota of wheat and sugar asked for by Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh during the last three months ;

(b) whether the quota of sugar which had been allocated by Government to these States has since been supplied to them ; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

Madhya Pradesh had not specifically asked for any wheat quota during the last 3 months. Uttar Pradesh had generally asked for a quota of 1,05,000 tonnes per month and Himachal Pradesh had asked for a quota of imported wheat of 9,000 tonnes during November and December and 14,500 tonnes in January. With regard to sugar, the States in question had not specifically asked for any monthly quota but when partial decontrol was introduced and the monthly quotas fixed, Madhya Pradesh had represented that the quota given to them was inadequate and should be increased to 7,430 tonnes per month and Himachal Pradesh has represented that their quota should be increasod to 1,200 tonnes per month.

(b) and (c) The monthly quotas fixed out of levy sugar to these States are allotted to them every month regularly and lifting of allotted quotas from the factories is arranged by the State Governments concerned.

Supply of Foodgrains for States

600. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat, rice, maize, jawar, sugar and pulses demanded from the Central Government by the various States Statewise during the peried from November, 1967 to date ;

(b) the quantity of above articles sanctioned by the Central Government for these States for the above period ;

(c) the quantity of food articles sanctioned by the Central Government to the States Governments out of their sauctioned quota ; and

(d) the reasons for not supplying the sanctioned quota in full ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) Demands of foodgrains are not received from all the States on a regular basis. It is therefore, not possible to specify definite quantities as demands of the different States during the period for the foodgrains mentioned. For sugar also, the State Governments have not asked monthwise allotment of specific quantities as such during the last three months. A statement showing whatever demands had been received for monthly supply of sugar is attached (**Statement I**). (**Placed in Library. See No. LT-74/68**).

(b) A statement showing quantities of wheat, rice, maize, jawar and gram allotted to each State during the period November; 1967 to January, 1968 is attached (**Statement II**). (**Placed in Library. See No. LT-74/68**). From November, 1967, the policy of partial decontrol of sugar has been introduced. Under this policy, only about 60% of production of sugar factories during 1967-68 is being procured for controlled distribution. The balance of about 40% of the production is released for sale in the open market. A statement showing the monthly quota of levy sugar sanctioned and allotted for each State during the last three months is attached (**Statement III**). (**Placed in Library. See No. LT-74/68**).

(c) A statement showing supplies of wheat, rice, maiza, jawar and gram to each State during the period November, 1967 to January, 1968 is attached (**Statement IV**). (**Placed in Library. See No. LT-74/68**). As regards sugar, lifting of allotted quotas from the factories is arranged by the concerned State Government.

(d) Supplies during a period consist partly of supplies against allotments of earlier periods and partly against allotments during the period. As such there will always be a difference between the figures of foodgrains allotted during a period and those of supplies during the same period.

Smuggling in Foodgrains in the Capital

601. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1163 on the 21st November 1967 and state :

(a) whether enquiries into the cases against the persons concerned have since been completed;

(b) if so, details thereof;

(c) whether the requisite information has since been received from the Delhi Administration; and

(d) if not, when the same is likely to be received ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (d) The information is being collected from the Delhi Administration and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

दुग्ध और खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

602. **श्री राम गोपाल शालवाले** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के मूल्यों तथा राशन में दिये जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप दिल्ली में प्रत्येक परिवार के व्यय में वृद्धि के बारे में सरकार ने मोटे तौर पर कोई अनुमान लगाये हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक परिवार की आय में इसके अनुकूल वृद्धि नहीं हुई है ;

(ग) क्या मूल्य में इस वृद्धि के विरुद्ध सरकार को दिल्ली प्रशासन अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बढ़ाये गए मूल्यों तथा राशन में दिये जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि प्रदर्शित करने वाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है ।[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 75/68] प्रत्येक परिवार के व्यय में वृद्धि के बारे में ठीक दिशा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) दित्ता उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । दूध की मूल्य वृद्धि के विरुद्ध गैर-सरकारी लोगों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) 1. वैरीवाली बाय वैलफेयर असोसिएशन, दिल्ली
2. एस० जी० वासवानी, दिल्ली
3. मौलाना आइश्क सम्भाली, दिल्ली
4. श्री केदारनाथ साहनी, दिल्ली
5. श्री ईश्वर दास, दिल्ली
6. साऊथ दिल्ली वैलफेयर असोसिएशन, नई दिल्ली
7. नेताजी नगर गवर्नमेंट एम्पलाइज वैलफेयर एसोसियेशन
8. दिल्ली हिन्दुस्तानी मरचैन्ट्स, असोसियेशन, दिल्ली ।

सहकारी क्षेत्र में चावल की मिलें

603. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सहकारी आधार पर चावल मिलों की स्थापना के लिये भारत के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1964 से अब तक विभिन्न सरकारी समितियों को, उनके नाम सहित कितनी धन राशि दी है और इन मिलों की क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि धन की कमी के कारण अनेक मिलें अपनी पूरी क्षमता से कम नहीं कर रहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन मिलों के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया और भारत का खाद्य निगम किसी योजना पर विचार कर रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने किसी भी सहकारी समिति को सीधे कोई राशि नहीं दी थी। तथापि, निगम ने 1964 से अनुबन्ध में दी गई 524 सहकारी चावल मिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 1001.38 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 76/68] सहकारी क्षेत्र के लिए स्वीकृत प्रत्येक चावल मिल की क्षमता औसत 1 टन धान प्रति घंटा की है।

(ख) राज्य अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार सहकारी चावल मिलें दो राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में धन की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहीं है ।

(ग) भारत के रिजर्व बैंक के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, भारत के खाद्य निगम ने कुछेक शर्तों पर मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चावल मिलों को कार्यकर-पूंजी के लिए धन उपलब्ध करने का प्रस्ताव किया है ।

आधुनिक चावल मिलें

604. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से लेकर अब तक केन्द्रीय सरकार, भारत के खाद्य निगम और सहकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्रों में चावल की कितनी आधुनिक मिलों का आयात किया गया है तथा कितनी मिलें लगाई गई हैं ;

(ख) क्या मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगीकीय अनुसन्धान संस्था ने इन मिलों के कार्य की जांच की है और कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सात आधुनिक मिलों का आयात किया गया है और उनके परीक्षण और मूल्यांकन के लिये उन्हें स्थापित किया गया है ।

(क) और (ग) सरकार की मूल्यांकन टीम ने जिस में मैसूर की केन्द्रीय खाद्य अनुसंधान संस्था भी है, मिल मशीनरी के कार्य के बारे में प्रारम्भिक अध्ययन किया है । पूरी मिलों और उनसे सम्बन्धित बातों का ब्यौरेवार अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है ।

दिल्ली में अपना टेलीफोन योजना

605. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपना टेलीफोन योजना की दरें दिल्ली में 2,000 रुपये से बढ़ा कर 3,000 रुपये कर दी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था के लिये पृथक मीटर लगाने के प्रस्ताव की कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी हां, 1-1-68 से ।

(ख) उपस्करों की व्यवस्था करने की लागत में हुई वृद्धि और विकास पूंजी की व्यवस्था करने की आवश्यकता के कारण यह वृद्धि की गई है । प्रारम्भिक अदायगी को दृष्टिगत रखते हुए किराये में जो छूट दी जाती है इससे उसमें भी अनुपाततः वृद्धि कर दी गई है ।

(ग) चार्ज इंडीकेटर के नमूने तैयार किये जा चुके हैं और मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा शीघ्र ही उनका निर्माण किया जाना है । क्षेत्र-परीक्षणों के संतोषप्रद रूप से पूरा हो जाने के बाद, इन मीटरों को समय-समय पर निर्धारित अतिरिक्त किराये की अदायगी होने पर, उपभोक्ताओं की प्रार्थना पर टेलीफोन केन्द्रों में लगा दिया जाएगा ।

बिहार में सूखे को रोकथाम

606. **श्री लीलाधर कटकी : श्री बेणी शंकर शर्मा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में सूखे की स्थिति दोबारा उत्पन्न न होने देने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यय सहित ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) बिहार में सूखे की आवृति न होने के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा भूमिगत जल के स्रोतों के विकास, खुले कुओं व नल-कूपों के निर्माण और जहां तक संभव है, उनमें बिजली लगवाने से की जा सकती है । यद्यपि भारत सरकार ने भविष्य में सूखे का सामना करने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं बनाई है फिर भी भारत सरकार ने गत दो वर्षों में राज्य के भूमिगत जल संसाधनों के विकास में प्रत्येक संभव तरीके से सहायता की है और भविष्य में भी ऐसा करती रहना चाहती है । निम्न तालिका गत दो वर्षों में लघु सिंचाई योजनाओं की प्रगति में जो अतिशय वृद्धि हुई है उसको प्रदर्शित करती है । इस गति को भविष्य में और भी तेज करने का विचार है :—

क्रम संख्या	योजना का नाम	तृतीय योजना प्रगति में	1966-67 में वास्तविक उपलब्धि	1967-68 में प्रत्याशित उपलब्धि	1968-69 के लिए लक्ष्य
1	खुले कुवें	4,316	6,840	10,000	10,000
2	खुले कुओं का वेधन	6,961	3,753	10,000	12,000
3	डीजल पम्पसेट	4,291	7,800	6,800	8,000
4	बिजली के पम्पसैट	7,300	14,012	15,000	30,000
5	गैर-सरकारी नलकूप	1,860	1,107	3,500	8,000
6	राजकीय नलकूप	76	68	100	175

Milk Supply by D. M. S.

607. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of toned, buffalo and cow milk separately distributed by the Delhi Milk Scheme daily;

(b) the ratio of fat and S. N. F. contents in the buffalo milk ;

(c) whether the procurment price of the milk purchased from the peasants is fixed on the basis of the fat and S. N. F. contents of the milk; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) Toned and cow milk distributed by Delhi Milk Scheme as on 7-2-1968 was as follows :—

	Litres
Standard milk	150653
Toned Milk	42,680
Cow milk	5,511

(b) The standard fixed for buffalo milk according to Prevention of Food Adulteration Act is that fat shonld not be less than 6 percent and S. N. F. not less than 9 percent which works out to a ratio of 1 :1.5 for fat to S. N. F.

(c) Yes, Sir.

(d) The purchase price of buffallow milk is fixed for milk containing 6.5% fat and 9.00% S. N. F. If the fat content is less or more than 6.5%, the price is proportionately decreased or increased. In case of S. N. F., the minimum standard for acceptance of milk is 9.00%. The price is proportionately reduced, if the S. N. F. content is below 9.00% but not less than 8.5%.

मध्य प्रदेश में नलकूपों का लगाया जाना

609. **श्री नाथू राम अहिरवार श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में उन क्षेत्रों में जहां अधिक उपज वाली फसलें उगाई जाने लगी हैं सिंचाई कार्यों के लिए आगामी दो वर्षों में

7,000 नलकूप लगाने के कार्यक्रम को पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य ,कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

आगामी 3 वर्षों की अवधि में मध्य प्रदेश सरकार सिंचाई के लिए 7,000 नलकूप लगाने के विषय में विचार कर रही है । राज्य सरकार का प्रस्ताव इस स्कीम को उन क्षेत्रों में शुरू करने का है जहां भूमिगत सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट हो गया है कि वहां और सघन विकास की गुंजाइश है । सर्वेक्षण की एक स्कीम की रूपरेखा को अन्तिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकार को यह भी परामर्श दिया गया है कि ऐसे ठोस क्षेत्रों में नलकूपों का निर्माण शुरू किया जा सकता है जहां भूमिगत जल की उपलब्धि के बारे में कोई सन्देह न हो और यह कि ये स्कीमें एग्रीकल्चरल रिफाईनान्स कार्पोरेशन को सौंपी जा सकती हैं। इस मन्त्रालय ने भूमिगत जल विकास की सम्भावनाओं का तुरन्त सर्वेक्षण करने के लिए एक दल को भेजा था । एग्रीकल्चरल रिफाईनान्स कार्पोरेशन द्वारा अनेक ऐसी स्कीमो के लिए धन उपलब्ध होने से और भूमिगत जल के उचित संगठन की स्थापना होने से राज्य में सघन जल विकास के लिए आधार तैयार हो सकेगा ।

मध्य प्रदेश में मशीनों से खेती

610. श्री श० ना० शुक्ल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मशीनों से खेती किये जाने के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों के सन्दर्भ में रुपये में भुगतान के आधार पर विभिन्न किस्मों के ट्रैक्टर उदारतापूर्वक आयात करने के लिये सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान कौंसिल ने अपनी "मध्य प्रदेश की फसलों के प्रतिरूप" नामक रिपोर्ट में श्रमशक्ति की कमी का जिक्र किया है और अधिक यंत्रीकरण कार्यक्रम का सुझाव दिया है। इसमें एक कृषि यन्त्रीकरण निगम स्थापित करने का सुझाव दिया है जो किसानों को आस्थागित भुगतान के आधार पर आवश्यक यन्त्रों को उपलब्ध कर सके । यह कृषि-उद्योग निगम की संकल्पना है और भारत सरकार ने राज्य सरकार को निगम की शीघ्र स्थापना करने का सुझाव दिया है । भारत सरकार ने इस निगम की ईक्विटी पूंजी में भी भाग लेना स्वीकार कर लिया है।

निःसंदेह ट्रैक्टरों की कमी है, जिसकी पूर्ति देशी उत्पादन में वृद्धि द्वारा तथा आयात करके की जा रही है। इस समय रूस तथा चैकोस्लेविकिया से रुपये में अदायगी करके ट्रैक्टरों का आयात किया जा रहा है।

आसाम के शिविरों में विस्थापित परिवार

611. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य के शिविरों में जिलावार अभी भी कितने विस्थापित परिवार हैं ; और

(ख) उन्हें आसाम अथवा आसाम के बाहर फिर से बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान):

(क) 3-2-1968 तक की सूचना के अनुसार आसाम के शिविरों की जिलेवार जनसंख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०77/68]

(ख) आसाम सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रव्रजकों के कुल 12,000 परिवारों को आसाम में बसाने की अनुमति दे दी है। स्थायी पुनर्वास हेतु 3,000 परिवारों को चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व पुनर्वास स्थानों पर भेजने की आशा है। इससे आसाम सरकार के वचन की पूर्ति हो जायेगी। शेष परिवारों के पुनर्वास के प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है।

चीनी का आयात

612. **श्री क० लकप्पा :**
श्री रवि राय :
श्री अनिरुद्धन :
श्री भगवान दास :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण:
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1968 में 3 करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधनों पर जो कम होते जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मैसूर में मत्स्यपालन

614. **श्री क० लकप्पा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने चालू वर्ष में राज्य में, मत्स्यपालन उद्योग का विकास करने के लिए धन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) वार्षिक योजना 1967-68 के सम्बन्ध में मैसूर सरकार ने अन्तर्देशीय मत्स्य क्षेत्र विकास सम्बन्धी चार योजनाओं के लिए 20.5 लाख रुपए के खर्च का प्रस्ताव किया था।

(ख) सरकार ने इन प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे दी है। मत्स्य क्षेत्र विकास के लिए, जिसमें मैसूर सरकार द्वारा आरम्भ में प्रस्तावित अन्तर्देशीय मत्स्य क्षेत्र विकास भी शामिल है, कुल खर्च 84 लाखरुपए का था। 80 लाख रुपए का कुल खर्च अनुमोदित किया गया। केन्द्रीय सरकार व्यय का 20 प्रतिशत तक का अनुदान देकर और 30 प्रतिशत तक का ऋण देकर राज्य की मत्स्य क्षेत्र योजनाओं की सहायता करती है।

Committee Re. Agricultural Resources

615. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a Committee regarding Agricultural resources has been appointed; and

(b) if so, what are the terms of the references and personnel of the Committee?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) No Committee on Agricultural Resources has been appointed. A Central Advisory Committee for Agricultural Production has, however, been set up under the Chairmanship of the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation which will represent various shades of political opinion as well as various interests intimately connceted with agricultural development including leading progressive agriculturists, non-official agricultural institutions and farmers agricultural labour associations, as well as agricultural administrators, economists and scientists and will advise on measures for mobilisation of public support and participation and efficient implementation of the agricultural programme.

अलाभप्रद मवेशियों के लिए लूप

616. श्री देवराव पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने अलाभप्रद मवेशियों के लिए लूप योजना पेश की है जो केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगा गया 10,000 रुपए का अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है।

बेरोजगारी तथा कम रोजगार

617. **श्री लोबो प्रभु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने बेरोजगारी तथा कम रोजगार के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था को होने वाली वित्तीय हानि के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार लोगों के इस वर्ग को रोजगार देने तथा घाटे का अर्थ व्यवस्था के कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करने के लिये इमारतें बनाने तथा निर्माण कार्य आरम्भ करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगार लोगों को उत्तरोत्तर बढ़े हुए नियोजन अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त योजना में ग्रामीण जनशक्ति से सम्बंधित कार्यक्रम, इस तरह तय किए गए हैं जिससे खेतिहर मजदूरों को, खेती-बाड़ी के काम-काज में मंदी के दिनों में काम मिल सके । उत्पादन बढ़ाने के लिए तय ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्यों को चलाया जायेगा जिसमें जनशक्ति की आवश्यकता अधिक हो ।

मालपे में मछली पकड़ने का पत्तन

618. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालपे में मछली पकड़ने का पत्तन बनाने के लिये सरकार को विदेशी सहायता की पेशकश कब प्राप्त हुई थी :

(ख) क्या सरकार ने मछली पकड़ने के इस पत्तन के निर्माण के लिये प्राक्कलन तैयार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) मालपे परियोजना के हेतु, जिनमें फिशिंग हार्बर शामिल नहीं था, केनिंग, फिश मील, शीत भंडारण प्लान्ट आदि के लिए जुलाई 1965 में मेसर्ज इन्वेस्ट इम्पोर्ट आफ यगोस्लाविया से 27 लाख रुपये के ऋण देने का एक औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । यगोस्लाविया के विशेषज्ञों के दल द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार किये जाने के बाद ही बन्दरगाह के लिए अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जाना था। यद्यपि विशेषज्ञों के यात्रा व्यय की स्वीकृति जनवरी, 1966 में भेज दी गई थी, तथापि सन् 1966 के मध्य तक दल भारत नहीं आ सका ।

(ख) प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट विशेषज्ञों के दल द्वारा जुलाई, 1968 में मैसूर सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी और मैसूर सरकार उस पर विचार कर रही है । मालपे

एक छोटा बन्दरगाह है, अतः मैसूर सरकार द्वारा इसके अनुमान तैयार किये जायेंगे और वे विचार करने के लिये भारत सरकार के पास भेजे जायेंगे।

(ग) सरकार की ओर से कोई देर नहीं हुई है, क्योंकि सरकार को अन्तिम अनुमान तैयार करने और इसके बाद मैसूर राज्य सरकार के द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने के लिए, विशेषज्ञ दल की परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर करना पड़ा था।

ग्राम सेवक

619. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम सेवकों को सारे दिन के लिये काम देने की दृष्टि से उनके कर्तव्यों का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) क्या सामुदायिक विकास खण्डों पर, उनके दूसरे और तीसरे चरण पर पहुँच जाने के कारण, व्यय कम हो गया है और फलस्वरूप इन ग्राम सेवकों का काम कम हो गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ग्राम-सेवकों को ग्रामवासियों की शिकायतें प्राप्त करने और उनके बारे में सूचना देने का काम सौंपने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) खण्डों के स्थिति एक से स्थिति दो और स्थिति दो के बाद के चरण में हो जाने से सामुदायिक विकास खण्डों की योजना निधि कम हो जाती है। परन्तु राज्य सरकारें सम्बन्धित विकास विभागों के कार्यक्रम तैयार करती है। ग्राम सेवकों के काम पर ध्यान रखा जाता है और ध्यान रखा जाता है कि उनके पास पर्याप्त काम हो। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ग्राम सेवकों को कृषि उत्पादन पर ध्यान देना होता है। साधन खेती कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में तो ग्राम सेवकों की संख्या बढ़ानी है।

(ग) जी नहीं।

चकबन्दी

620. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को हाल में चकबन्दी सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ऐसी पहल किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं। क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में लिखित छोटी-छोटी जोतों की चकबंदी

से सम्बन्धित आधारभूत नीति में हाल ही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लगभग समस्त राज्यों ने चकबन्दी के लिए आवश्यक विधान बना दिए हैं। यद्यपि हरियाना, पंजाब और उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम लगभग पूरा हो गया है, तथापि अन्य राज्यों में इसकी कार्यान्विति की विभिन्न स्थिति है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बेकार पड़ी भूमि का वितरण

621. **श्री क० हाल्दर**: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्न संकट को हल करने के लिए बेकार पड़ी हुई बहुत सारी भूमि को भूमिहीन किसानों में वितरण करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) हाँ।

(ख) भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की हुई योजना की कार्यान्विति के अधीन बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से भूमि सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है ताकि ऐसी भूमि पर भूमिहीन-खेतीहर मजदूर बसाए जा सकें। अभी तक लगभग 44 लाख एकड़ भूमि ऐसी पायी गयी है जिसे खेती योग्य बनाया जा सकता है, इसी योजना से सम्बद्ध केन्द्र द्वारा चालू की गयी एक अन्य योजना भी है जिसके अधीन सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप उपलब्ध बंजर भूमि पर भूमिहीन खेतीहर मजदूर व्यक्तिगत रूप से या कालोनियों में बसाएं जा सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों का अधिक एवं सामाजिक दशा सुधारना तथा उनकी वे कठिनाईयां दूर करना है जिनका उन्होंने पहले अनुभव किया था।

उपरोक्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त राज्य-सरकारें अपनी राजकीय योजनाओं के अधीन भी भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को भूमि देती हैं। भूदान में प्राप्त भूमि भी मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के भूमिहीन मजदूरों को दी जा रही है। अब तक 1.04 लाख परिवार उपजाऊ बनायी गयी 4.6 लाख एकड़ भूमि पर बसाए जा चुके हैं और वित्तीय सहायता के अनुमोदित आधार के अनुसार राज्य सरकारों को 295 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है।

वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 के लिए इस योजना पर खर्च हेतु क्रमशः 90 लाख रुपये और 137 लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

दिल्ली में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन

622. **श्री सु० कु० तापड़िया**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से अधिक समय से कितने अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन लगे हुए हैं;

(ख) इन अस्थायी कनेक्शनों को स्थायी न बनाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों से अधिक समय से इन कनेक्शनों के अस्थायी बने रहने के कारण, टेलीफोन मालिकों ने यह शिकायत की है कि टेलीफोन प्राधिकारी उन्हें बराबर परेशान करते रहते है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) 184

(ख) अस्थायी टेलीफोन आवेदकों की आपाती मांगों की पूर्ति के लिए मंजूर किये जाते हैं और निर्दिष्ट अवधि के लिए मंजूर किये जाते हैं । नियमित कनेक्शनों के लिए मांगें अलग से दर्ज की जाती है और उन्हें प्रतीक्षा-सूची पर रखा जाता है और कनेक्शन इन सूचियों में उनकी स्थिति के आधार पर दिये जाते हैं ।

(ग) अस्थायी कनेक्शन दो वर्ष या उससे भी अधिक समय से चालू है, इसी बात से यह पता चलता है कि विभाग ने इनके उपभोक्ताओं का हर तरह से ख्याल रखा है और उन्हें परेशान करने का प्रश्न ही नहीं उठता ; तथा

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान से हिन्दुओं का भारत आना

623. **श्री गु० सिं० ढिल्लों** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दू तथा सिख परिवार अब भी पाकिस्तान से हुसेनीवाला सीमा मार्ग से भारत आ रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पहले आठ महीनों में लगभग एक हजार हिन्दू तथा सिख परिवारों को आपातकालीन प्रव्रजन प्रमाण पत्र देकर कराची तथा जकोबाबाद से इस सीमा के मार्ग से जबरदस्ती भारत भेजा गया और गडसिहवाला सीमा पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनकी बहुमूल्य वस्तुएं छीन लीं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन परिवारों को फिर से बसाने तथा भविष्य में पाकिस्तान से लोगों के सामूहिक आगमन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) और (ख) : जी, हाँ। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार मई से दिसम्बर, 1967 के अन्तर्गत 1351 व्यक्ति पश्चिम पाकिस्तान से आये हैं। वे सभी हिन्दू हैं तथा साधारणतया सक्खर, कराची तथा जैक्बाबाद जिलों से आये हैं । प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1966-67 के वर्ष के अन्तर्गत सिखों को प्रव्रजन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं ।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रव्रजकों की बहुमूल्य वस्तुएं छीनने के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) चूंकि प्रव्रजकों के भारत में निकट सम्बंधी हैं, इसलिये उन्हें सरकार से पुनर्वास सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी ।

भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को वहां के अल्पसंख्यकों की दशा के बारे में बार-बार अभ्यावेदन भेजे हैं और नेहरू लियाकत 'पैक्ट' जिसके अन्तर्गत उनके अल्पसंख्यकों को सुरक्षा पूर्ण स्वतंत्रता तथा समान अधिकार देने का दायित्व है, के बारे में भी स्मरण-पत्र भेजे हैं। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान सरकार ने प्रव्रजकों की स्थिति को सुधारने की बजाय, इस ओर बहुत कम ध्यान दिया है।

मजूरी निर्धारण व्यवस्था

624. **श्री गु० सि० ढल्लों** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मजूरी निर्धारण के लिये मजूरी बोर्ड के बजाय किसी अन्य व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है;

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग को इस बारे में हाल में भारतीय श्रम सम्मेलन समिति से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा संगठित एक समिति ने हाल ही में वेतन बोर्ड की कार्य-प्रणाली का परिवेक्षण किया है । इस समिति की रिपोर्ट 12 फरवरी, 1968 को आयोग को दे दी गई है । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें प्राप्त करने के उपरान्त ही सरकार मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन करने के सवाल पर विचार करेगी ।

तुर के निर्यात पर प्रतिबन्ध

625. **श्री देवराव पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य को तुर दाल अथवा तुर के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार तुर अथवा तुर दाल खरीद नहीं रही है और अच्छी फसल होने के कारण उसके समाहार मूल्य गिर गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) दालों जिनमें तुर भी है के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर पाबन्दी नहीं है । हां, बिहार में सूखे की स्थिति के कारण इसके राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध है ।

(ग) सरकार तुर या तुर की दाल नहीं खरीद रही है । इसलिये समाहार की कीमतें नियत नहीं की गई हैं ।

भविष्य निधि की राशि का विनियोजन

626. श्री काशीनाथ पाण्डय : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि की राशि के विनियोजन के तरीके को उदार बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम से मुक्त प्रतिष्ठानों को हाल ही में यह छूट दी गई है कि वे भविष्य निधि के रूप में एकत्र निधि का निधि 20 प्रतिशत भाग केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए ऋण-पत्रों में लगाने/अधिनियम के अधीन आने वाले सभी प्रतिष्ठानों द्वारा भविष्य निधि की एकत्र निधि के निवेश के ढंग में और अधिक उदार बनाने का प्रश्न और कोयला खान भविष्य निधि के लिये निवेश का यही ढंग तय करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

श्रम कल्याण उपकार

627. श्री अगाड़ी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के बेलारी जिले में तथा देश के अन्य भागों में लौह अयस्क पर श्रम कल्याण उपकर लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा जिलावार तथा राज्यवार अब तक कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ग) क्या ली गई धनराशि का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा अब तक व्यय की गई राशि का, विशेषतया मैसूर राज्य में बेलारी जिले के संदर्भ में ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां ।

(ख) संघीय क्षेत्र गोआ, दमन और दीऊ को छोड़, उपकर लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम के अन्तर्गत वसूल किया जाता है। यह 1-10-1963 से लागू हुआ। गोआ दमन और दीऊ में यह 1-10-1964 से लागू हुआ ।

31-3-1967 तक प्रति क्षेत्र में कुल वसूल किये गये उपकर की राशि निम्नलिखित है :—

आंध्र प्रदेश और मैसूर	12·49 लाख रु०
बिहार	42.77 लाख रु०
गोआ	38.11 लाख रु०

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	29·47 लाख रु०
उड़ीसा	50·38 लाख रु०
विविध (भारत मंडल)	00·11 लाख रु०

प्रति जिला उपकर की वसूली के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ) वसूल किया गया उपकर अलग-अलग क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानों कर्मकारों के लिये उनकी चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, पानी की सप्लाई, आवास और अन्य कल्याण की अधिक सुविधाएं देने में लगाया जाता है ।

31-3-1967 तक व्यय की गई राशि इस प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश और मैसूर	4·24 लाख रु०
बिहार	4·50 लाख रु०
गोआ	0·82 लाख रु०
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	5·20 लाख रु०
उड़ीसा	6·73 लाख रु०
विविध (भारत मंडल)	0·22 लाख रु०

शाहगंज और बखतारा में उप-डाक तथा तारघर

628, **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि शाहगंज और बखतारा (बूंदी तहसील, मध्य प्रदेश) के निवासी उन दोनों स्थानों में उप डाक तथा तारघर की स्थापना की लगातार मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) शाहगंज में उप डाकघर के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । बखतारा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे उप-डाकघर बनाने का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । इनमें से किसी भी स्थान पर तारघर खोलने की मांग प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) तथा (ग) शाहगंज और बखतारा में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप डाकघर बनाने के प्रश्न की जांच की गई थी, और चूंकि विभागीय मानक पूरे नहीं हुए, अतः उसे समाप्त कर दिया गया ।

Wheat Seed 'Jawahar Jyoti'

629. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Indian Council of Agricultural Research have discovered a wheat seed known as "Jawahar Joyti"; and

(b) if so, where it has been distributed and the scheme formulated for its distribution?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

Telephone Connections in Moradabad Region

630. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in Moradabad region, telephone connections are not sanctioned on the basis of priority or taking into consideration the importance of the application but are sanctioned on certain extraneous conditions ;

(b) whether Government propose to institute an enquiry in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K Gujral) : (a) No. The report of the Postmaster General, U. P., is that telephones are being provided at Moradabad in accordance with the Departmental rules. Demands are registered under 'general' or 'priority' categories as provided for in the rules, and are dealt with in accordanee with Govt. instructions issued from time to time.

(b) and (c) An enquiry can be made if any specific instances are brought to notice by Hon. Members.

Co-operative Farming

631. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have advised the State Governments to amend their rules regarding consolidation of holdings in order to encourage co-operative farming; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy):

(a) Yes, Sir.

(b) They were advised, as follows, in a letter dated 1. 11. 1966, issued by the Planning Commission ;

> "The accepted policy of the Government of India which has been endorsed by the Committee of Direction on Co-operative Farming, is that the Consolidation of holdings should precede or accompany the organisation of co-operative farming societies. In consolidation operations, the societies should be recognosed as a single unit and consolidation laws should be modified, wherever necessary, to achieve this. Where consolidation laws are not in operation or where consolidation has not reached the area, it should be ensured that lands pooled in the farm consist of compact blocks on which cultivation can prove viable."

Co-operative Farms

632. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State ;

(a) the number of co-operrtive Farms in the country ;

(b) the amount given to them by Government in the form of loans and assistance during the year 1967 ; and

(c) the amount of loan which was due for repayment from the co-operative farms by the end of December, 1967 but which has not been paid so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली में होटल कर्मचारियों की हड़ताल

633. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के दिन होटल कर्मचारियों ने राजधानी में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्यों को कोई असुविधा न हो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) कलैरिज होटल के 317 कर्मकारों में से लगभग 150 कर्मकार 10 जनवरी, 1968 से 2 फरवरी, 1968 तक हड़ताल पर थे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के पहले दिन अन्य किसी होटल में हड़ताल नहीं थी ।

(ख) कलैरिज होटल में हड़ताल होने का कारण यह था कि प्रबन्ध ने एक कर्मकार को सेवा से अलग कर दिया।

(ग) हड़ताल के बावजूद होटल का कार्य सामान्य रूप से चलता रहा और प्रतिनिधि-मण्डलों के किसी सदस्य को कोई असुविधा नहीं हुई ।

पी० एल० 480 के अधीन अनाज का आयात

634. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व धारणा के प्रतिकूल भारत को 1967 की तुलना में 1968 में पी० एल० 480 के अधीन अधिक अनाज का आयात करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका राज्यों की समाहार योजनाओं तथा 1968 में 20–30 लाख मीट्रिक टन का समीकरण भंडार बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार के लक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक बिकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक तथा तार विभाग के वित्तीय संसाधन

635. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने के लिये एक प्रशुल्क समिति कार्य कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभाग के प्रशासनिक पहलुओं की जांच करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा एक और उच्च शक्तिप्राप्त समिति नियुक्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस विभाग की क्रियान्विति की जांच करने के लिये कितनी समितियां/निकाय नियुक्त किये गये हैं; और

(घ) इन समितियों के प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो जायेंगे?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी हां।

(ख) जी हां। जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अपेक्षाकृत अधिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, साथ ही जिससे खर्च में बचत भी हो, डाक-तार विभाग के प्रशासनिक ढांचे और कार्य-पद्धतियों की जांच करने और उनमें सुधारों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए प्रशासन सुधार आयोग ने डाक-तार विभाग से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल बनाया है।

(ग) कोई और समिति/निकाय स्थापित नहीं किया गया।

(घ) (i) प्रशुल्क जांच समिति का अंतरिम प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है। इस समिति की अवधि 4 मई, 1968 तक और बढ़ा दी गई है।

(ii) डाक-तार सम्बन्धी प्रशासन सुधार आयोग के कार्यकारी दल द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन मार्च, 1968 के मध्य तक पेश कर दिये जाने की आशा है।

खाद्य विभाग के कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि

636. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य विभाग के कुछ कर्मचारियों को उनकी असाधारण सेवाओं को मान्यता देने के लिये हाल ही में अतिरिक्त वार्षिक वृद्धियां दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वृद्धियां किन बातों को दृष्टि में रख कर दी गईं ;

(ग) क्या यह सच है कि अन्य बहुत से कर्मचारियों की सेवाओं का रिकार्ड उनके समान या उनसे अधिक अच्छा है परन्तु उन्हें अतिरिक्त वृद्धियां नहीं दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उनके सेवा रिकार्ड के बहुत अच्छा होने पर।

(ग) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर में भू-राजस्व की बकाया राशि

637. **श्री मेघचन्द्र:** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने 31 जनवरी, 1968 तक भू-राजस्व की कितनी बकाया राशि इकट्ठी कर ली थी ;

(ख) 1966 और 1967 की भू-राजस्व की कितनी बकाया राशि अभी वसूल करनी शेष है ; और

(ग) भू-राजस्व की बकाया राशि रहने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मनीपुर प्रशासन से जानकारी प्राप्त की जा रही है और मिलते ही सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में अनाज की वसूली

638. **श्री मेघचन्द्र:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1968 तक मनीपुर सरकार द्वारा कितने अनाज की वसूली की गयी ;

(ख) 31 जनवरी, 1967 को समाप्त होने वाली तत्सम्बन्धी अवधि में सरकार द्वारा कितने अनाज की वसूली की गयी थी ; और

(ग) वर्ष 1968 के लिये अनाज वसूली का अपना लक्ष्य पूरा करने के लिये मनीपुर सरकार ने क्या तरीके अपनाये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 1,520 टन धान (1-11-67 से 31.1.1967 तक)

(ख) 704 टन धान (1-11-66 से 31.1.67 तक)

(ग) नवम्बर, 1967 में मनीपुर सरकार ने मनीपुर के सब उद्योगपति संस्थाओं में अपने वसूली ऐजन्ट नियुक्त किया था । इसके अतिरिक्त उन्होंने 18 जनवरी, 1968 से सीधे वसूली का कार्य आरम्भ कर दिया ।

बाह्य मनीपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का चुनाव

639. **श्री मेघचन्द्र :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के ज्युडीशियल कमिश्नर के न्यायालय द्वारा हाल में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिसमें बाह्य मनीपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के विजयी उम्मीदवार के निर्वाचन को रद्द किया गया है, निर्वाचन आयोग मनीपुर के प्रभावित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचन अवैध घोषित करने और बारह मतदान केन्द्रों में पुनः मतदान कराने की घोषणा करने वाला है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)

(क) जी नहीं।

(ख) यद्यपि वाह्य मनीपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित श्री पाओकाई हाओकिप का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है तथापि श्री हाओकिप ने इस विषय में उच्चतम न्यायालय में एक अपील की है और इम्फाल में स्थित मनीपुर के न्यायिक आयुक्त, के न्यायालय के निर्णय और आदेश के प्रवर्तन का स्थगन 6-2-68 को अभिप्राप्त कर लिया है। न्यायिक आयुक्त के निर्णय में निर्दिष्ट 12 मतदान केन्द्र पूर्वी माओ, पश्चिमी माओ, टेंगनोपाल और फुंग्यार फैसत सभा निर्वाचन क्षेत्रों से भी निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र थे। टेंगनोपाल और फुंग्यार फैसत सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई निर्वाचन अर्जी नहीं थी। किन्तु अन्य दो सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन अभ्यर्थियों के निर्वाचनों पर आक्षेप करने वाली, निर्वाचन अर्जियां फाइल की गई हैं। पश्चिमी माओ सभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अर्जी 18-5-67 को खारिज कर दी गई थी। पूर्वी माओ के बारे में अन्य अर्जी न्यायालय में अब भी लम्बित है।

चूंकि निर्वाचन अभ्यार्थी के निर्वाचन पर आक्षेप, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के अधीन दी गई किसी निर्वाचन अर्जी द्वारा ही किया जा सकता है (संविधान के अनुच्छेद 329 का खण्ड (ख) देखिए) अतः निर्वाचन आयोग चार सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित अभ्यर्थियों के निर्वाचन को बातिल और शून्य घोषित नहीं कर सकता।

मनीपुर में कृषि योग्य भूमि

640. श्री मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने वर्ष 1968 के लिये मनीपुर में लेमफलपट में 756 एकड़ कृषि योग्य भूमि के बारे में अपनी नीति निश्चित कर ली है ;

(ख) क्या लेमफलपट के आसपास के गांवों के कृषकों ने, भूमि मनीपुर के प्रशासक और केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें खेती करने के लिए उक्त भूमि पट्टे पर दी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) लेमफलपट भूमि में अधिकांश भूमि दलदल-युक्त है जिसका क्षेत्र 2241 एकड़ है और वह अधिकतर साधारण खेती के लिए अनुपयुक्त है। इम्फल टाऊन के प्रायोजित विकास के लिए रखी गई इस भूमि के लगभग 750 एकड़ के भाग पर कुछ कृषकों ने अनुचिताधिकार जमा लिया है। मास्टर प्लान की कार्यान्विति को सरल बनाने के लिए सन् 1966 के दौरान इन अनुचित अधिकार जमाने वालों को हटाने के लिए कदम उठाये गए। प्रायोजित विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मनीपुर सरकार ने अब निर्णय किया है कि वह इस भूमि को खेती के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों को नहीं देगी।

(ख) और (ग) किसानों के आवेदनों को मनीपुर सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यदि एक बार भूमि अस्थायी प्रयोग के लिए दे दी गई तो आवश्यकता पड़ने पर उसे फिर प्राप्त करना कठिन होगा । फिर भी, जब तक सरकारी भवन बनाने के लिए भूमि की वास्तविक आवश्यकता नहीं है तब तक के लिए, यह प्रस्ताव है, कि इस भूमि के कृषि योग्य क्षेत्रों को विभागीय एजैन्सी द्वारा कृषि उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाये ।

शहरों में कानूनी राशन व्यवस्था

641 **श्री रा० बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कुछ शहरों में अनाज की राशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन शहरों में तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में कुछ और शहरों में राशन व्यवस्था समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी, हां

(ख) पश्चिमी बंगाल के सिलीगुरी राज्य तथा उत्तर प्रदेश के कानपुर राज्य में राशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है । पश्चिमी बंगाल सरकार ने सिलीगुरी में राशन समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई कारण नहीं बताये हैं। जहां तक कानपुर का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह विचार प्रकट किये है कि गेहूँ और चावल के मूल्य कम हो गये हैं और खरीफ की फसल से खाद्यानों की उपलब्धता के अवसर बहुत अच्छे हो गये हैं ।

(ग) अभी किसी और क्षेत्र में राशन व्यवस्था समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण जनशक्ति का मूल्यांकन

642. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गये ग्रामीण जनशक्ति परियोजनाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्ति किया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रों का चयन, बेरोजगारी तथा पूरे समय काम न मिलने की स्थिति के नियमित सर्वेक्षण के आधार पर होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के प्रकाश में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) जी हां ।

(ख) घर-घर की जन-गणना की भारी संगठनात्मक तथा वित्तीय उलझनों, जो कि इस कार्य के लिए बहुत ही जरूरी हैं, के कारण ग्रामीण जन-शक्ति कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिए क्षेत्रों का चुनाव करने से पहले बेरोजगारी तथा आंशिक-रोजगारी का कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया जाता है । तथापि, क्षेत्रों का चुनाव करने के लिए राज्य सरकार क्षेत्र में

विद्यमान बेरोजगारी तथा आंशिक-रोजगारी की स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछके मुख्य आर्थिक सूचकों-जैसे आबादी की अत्यधिक गहनता अपेक्षाकृत कम कृषि उत्पादिता, कृषि मजदूरों के लिए अपेक्षाकृत कम मजदूरी का होना, कुल बोए क्षेत्र में दोहरी फसल तथा सिंचित क्षेत्रों का कम भाग होना और सुव्यवस्थित उद्योगों तथा अन्य विकास प्रायोजनाओं में रोजगारी की सम्भाव्यता-के संदर्भ में संगत आर्थिक आंकड़ों की जांच-पड़ताल करती हैं और उनका परस्पर संबंध बैठाती हैं ।

केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

643. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मजूरी बोर्डों की किन सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है और किन-किन सिफारिशों को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) उक्त मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने/आंशिक रूप से क्रियान्वित करने के मुख्य कारण और कठिनाइयाँ क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा मंजूर की गई मजूरी बोर्डों की सिफारिशें को क्रियान्विति को कानून द्वारा अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) क्रियान्वित न करने/आंशिक रूप से क्रियान्वित करने के मामले, अधिकतर लौह अयस्क खान इंजीनियरी उद्योगों, लाइमस्टोन और डोलोमाइट खानों, कोयला खानों, श्रमिक पत्रकारों और जो पत्रकार नहीं हैं, के मजूरी बोर्डों की सिफारिशों से सम्बन्ध रखते हैं ।

(ख) कुछ नियोजकों ने वित्तीय कठिनाइयां व्यक्त की हैं जब कि कुछ अन्य ने तर्क दिया है कि उन पर सिफारिशें कानूनी तौर पर बंधनकारी नहीं हैं ।

(ग) और (घ) मामले के इस पहलू पर स्थायी श्रमिक समिति द्वारा बनाई गई द्विदलीय समिति की अन्तिम बैठक में विचार किया जा रहा है। समिति की सिफारिशों की अभी तक प्रतीक्षा है ।

दिल्ली सहकारी विभाग

644. **श्री अ० सि० सहगल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रसाशन ने पिछले पांच वर्षों से सहकारी गृह-निर्माण समितियों के बैंक लेखों का संचालन बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन के आदेश के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) कुछेक सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं तथा कुप्रबन्धों के बारे में मिली सूचनाओं के आधार पर दिल्ली प्रशासन ने सम्बन्धित बैंकों को यह सलाह दी कि वे तब तक के लिए ऐसी समितियों के लेखों का संचालन बंद कर दें जब तक कि वे त्रुटियां दूर नहीं कर दी जाती हैं।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	समिति का नाम	बैंकों को लेखों का संचालन बंद करने की सलाह देने की तारीख	बैंकों के नाम	कैफियत
1	2	3	4	5
1.	रफ्यूजी को-आपरेटिव हाउसिंग् सोसायटी लि०	3.12.64	1. पंजाब नेशनल बैंक लि०, नजफगढ़ रोड, दिल्ली। 2. सेन्ट्रल बैंक आफ, इंडिया, नजफगढ़ रोड, दिल्ली 3. दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बेक, दरियागंज, दिल्ली । 4. इलाहाबाद बैंक लि०, नई दिल्ली । 5. यूनियन बैंक आफ इंडिया लि०, करोलबाग, दिल्ली ।	त्रुटियों का समाधन किए जाने के पश्चात 22.2.65 को बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे लेखों के संचालन की अनुमति दे दें।
2.	दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०	26.5.67	1. यूनियन बैंक आफ इंडिया, चावड़ी बाजार, दिल्ली। 2. पंजाब नेशनल बैंक, गान्धी नगर।	आवश्यक जाँच के बाद 6.7.67 को बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे लेखों के संचालन की अनुमति दे दें।
3.	दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०	18.9.67	1. दिल्ली स्टेट को-आपरेटिव बैंक, दरियागंज, दिल्ली	बैंक को केवल तब तक के लिए समिति के लेखे का संचालन बंद करने की सलाह दी गई है जब तक

			कि समिति अपने बकाया निर्धारित लेखा-परीक्षा शुल्क को अदा नहीं करती है।
4. फ्रेंड्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०	7.9.67	1. नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लि०, एच ब्लाक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली।	बैंक ने दिल्ली प्रशासन की सलाह को कार्यान्वित करने से इकार कर दिया और उसके स्थान पर इसकी पुष्टि में न्यायालय का आदेश मांगा। न्यायालय के आदेशों के अभाव में आगे और कोई कार्यवाही न की जा सकी।

(ग) इस मामले में दिल्ली प्रशासन द्वारा जो कार्यवाही को गई थी, उसके विरुद्ध एक समिति ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।

(घ) दी फ्रेंड्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज को-आपरेटिव हाइस बिल्डिंग सोसायटी ने 28.11.1967 को दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली प्रशासन द्वारा बैंक को दी गई सलाह पर आपत्ति उठाई गई थी और 29.11.1967 को एक याचिका पेश की थी जिसमें उक्त सलाह को लागू न करने के आदेश जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी। चूंकि दिल्ली प्रशासन ने बैंक को जो सलाह दी थी वह आदेश के रूप में नहीं थी, अतः प्रशासन ने इस आधार पर याचिका का विरोध करना आवश्यक नहीं समझा। बैंक ने बैंक लेखे का संचालन भी वास्तव में बन्द नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने 21.12.67 को मुकदमें की सुनवाई की। न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिका दाता बैंक लेखे का संचालन कर सकता है। 6.1.68 को सहायक निबन्धक (शहरी), सहकारी समितियां, दिल्ली ने पुनः सम्बन्धित बैंक को लिखा कि चूंकि प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, अतः और अधिक उलझनों से बचने के लिए समिति के चुनाव होने तक के लिए वर्तमान पदाधिकारियों को बैंक से रुपया निकालने न दिया जाए। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सम्बन्धित सहायक निबन्धक के विरुद्ध न्यायालय अवमान की कार्यवाही चल पड़ी, जिसमें उच्च न्यायालय ने यह चेतावनी देते हुए नियम की तामील की कि अवमान करने वाले को भविष्य में अधिक सतर्क रहना चाहिए। याचिका में उठाए गए अन्य मामले अभी उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं।

Working of Looms in Madhya Pradesh

645. **Shri G. C Dixit** :Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a labourer has to operate four looms at a time in several mills in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the number of such mills ;

(c) whether this system is considered suitable in the interests of the health of labourers ; and

(d) if not, the action taken by Government to check tbis system?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (d) : The matter falls in the State sphere.

मध्य प्रदेश में भूमिहीन श्रमिकों को बसाना

646. **श्री ग० च० दीक्षित** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के कार्यक्रम पर होने वाले प्रारम्भिक व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सहायक अनुदान और ऋणों के रूप में अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) इस सहायता से अब तक कितने परिवार को बसाया गया है ;

(ग) क्या उन स्वर्णकारों को जिन्हें जमीनें अलाट की गई हैं इस योजना के प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश के भूमिहीन श्रमिकों में सम्मिलित किया गया है और उन्हें भी ऐसी वित्तीय सहायता भी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत स्वर्णकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) मध्य प्रदेश में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने अनुदान तथा ऋण के रूप में अब तक जो कुल वित्तीय सहायता दी है उसमें अनुदान 47,47,750 रुपए और ऋण 17,99,250 रुपए है।

(ख) 1966–67 के अन्त तत, 9909 परिवारों को बसाया गया था और 1967–68 के दौरान में 1,333 परिवारों को फिर से बसाये जाने की सम्भावना है।

(ग) से (ङ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का सम्बन्ध केवल भूमिहीन कृषि श्रमिकों से है। फिर भी, वित्त मन्त्रालय की विस्थापित स्वर्णकारों की पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत 170 स्वर्णकारों को मध्य प्रदेश में भूमि प्रदान की गई है। स्वर्णकारों को कितनी वित्तय सहायता दी गई है, इस विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Relay Cropping in Madhya Pradesh

647. **Shri G. C. Dixit** :Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of areas in Madhya Pradesh where experiment of "Relay Cropping" has been carried out ; and

(b) the result of the experiment so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) Information is being collecetd from Madhya Pradesh and will be laid on the table of the Sabha as soon as received.

Irregularities in Industrial Establishments in Madhya Pradesh

648. **Shri G. C. Dixit** : Will the Miuister of **Labour** and **Rehabiliation** be pleased to state :

(a) wheather it is a fact that in many industrial establishments in Madhya Pradesh the employers are committing irregularities in regard to the prescribed bonus and other facilities to be provided to their employees ;

(b) whether it is also a fact that there are a large number of such employees as have been continuously working in the establishments for the last 8 to 10 years but have not been confirmed so far ; and

(c) if so, what is their number ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) to (c) : The matter falls in the State sphere and the Government of India have no information on the subject.

मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र

648-क. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बुदनी स्थित ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों ने जंगल-भत्ता दिये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इंजीनियरी स्नातकों के लिए पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : श्रीमान, मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"इंजीनियरी स्नातकों के लिए पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता जिसके कारण व्यापक आन्दोलन हुआ और उसके पश्चात् 12 फरवरी, 1968 को दिल्ली में गिरफ्तारियाँ हुई।"

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : श्रीमान, इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों की बेकारी की समस्या अब गत वर्ष से उद्योग में चली आ रही मन्दी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के स्थगित हो जाने और अन्य कारणों से, जो हमारी

तकनीकी संस्थाओं के नियंत्रण से बाहर है, बहुत विकट बन गई है । यह समस्या कुछ वर्ष पूर्व बिलकुल नहीं थी । नियोजन तथा प्रशिक्षण निदेशालय के चालू रजिस्ट्रों से मालूम होता है कि 31 दिसम्बर, 1967 तक लगभग 7,000 इंजीनियरी स्नातक तथा लगभग 28,300 डिप्लोमा प्राप्त टेक्नीशियन्स बेकार थे । ऐसी परियोजनाओं में, जो पूरी हो चुकी थीं अथवा पूरी होने वाली थीं, काम करने वाले बहुत से इंजीनियरों तथा टेक्नीशियनों की छंटनी द्वारा राज्य सरकारों ने यह स्थिति और भी गम्भीर बना दी है । वे अन्य बहुत से कर्मचारियों की छंटनी करने पर भी विचार कर रही हैं । ऐसी परिस्थितियों के कारण हमारे इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त लोगों में आतंक सा फैल गया है ।

शिक्षा मन्त्रालय ने योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के परामर्श से 1951-52 के बाद तक्नीकी शिक्षा के विस्तार का एक बड़ा कार्यक्रम चालू किया था परन्तु वर्तमान बेकारी की स्थिति और अन्य कारणों से हमने उस विस्तार कार्यक्रम को छोड़ देने का निर्णय किया है । वर्तमान स्थिति में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिये यह बहुत आवश्यक हो गया है कि वे इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों की बेकारी की समस्या का समाधान करें । मैंने यह मामला योजना आयोग के साथ उठाया है तथा सुझाव दिया है कि इस मामले पर विचार करने के लिये सभी सम्बन्धित अधिकारियों का एक सम्मेलन तुरन्त बुलाया जाये । योजना आयोग इस मालले पर विचार कर रहा है और वह शीघ्र ही सरकार को अपनी सिफारिशें भेज देगा ।

श्री पी० राममूर्ति : योजना आयोग तथा अन्य किसी के साथ कोई सम्मेलन करने से कोई लाभ नहीं होगा । यदि आप अपनी परियोजनाओं के लिये योजना विदेशियों से बनवायेंगे तो आप बेकारी की समस्या कैसे हल कर सकेंगे । ऐसी परिस्थितियों में क्या सरकार यह देखना अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझती कि यदि यह लोग बेकार रहें तो इन इंजीनियरों को कम से कम बेकारी का भत्ता दिया जाये ।

मेरे प्रश्न का सम्बन्ध दिल्ली में गिरफ्तारियों से था । क्या सरकार उन्हें तुरन्त रिहा करेगी और उनकी समस्यायें हल करने के लिये उनके साथ बातचीत करेगी ।

डा० त्रिगुण सेन : शिक्षा मन्त्रालय का कार्य इंजीनियरों तथा तक्नीशियों की मांग के अनुसार तक्नीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करना है और इस मंत्रालय ने अपनी यह जिम्मेवारी पूरी कर ली है ।

इसके अतिरिक्त इसी दौरान हमने स्वयं भी स्थिति का सामना करने के लिये कई उपाय किये हैं । हमने उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां देकर लगभग 3,500 से 4,000 स्थानों की व्यवस्था की और हम जब इनकी संख्या बढ़ाने के लिये प्रयास कर रहे हैं ताकि स्नातकों को प्रशिक्षण के लिये उद्योगों में लगाया जा सके । हमने सर्वोत्तम विद्यार्थियों के लिये स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान की भी सुविधायें दी हैं तथा उन्हें और बढ़ाया भी गया है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यदि योजना आयोग मानव शक्ति का हिसाब रखता है तो क्या कारण है कि शिक्षा मंत्रालय ने इतने स्नातक बना कर देश में बेरोजगारी की

समस्या को बढ़ाया है ? क्या इंजीनियरी स्नातकों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया जिसमें कई सुझाव दिये हैं जिनमें से एक सुझाव यह है कि बेकार इंजीनियरों तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों के लिये बेरोजगारी कोष स्थापित किया जाये । यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

डा० त्रिगुण सेन : शिक्षा मन्त्रालय का इंजीनियर स्नातकों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य बेरोजगारी बढ़ाना नहीं है । हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है तथा अन्य सुझावों के साथ इस सुझाव पर भी विचार किया जा रहा है ।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : I would like to know when the Minister of Education or Minister of Planning came to know of this unemployment among the engineers and when such information was conveyed to them. I would also like to know whether unemployment doles or assistance or loan for starting a business will be given to the unemployed engineers.

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagawat Jha Azad): All these questions are being considered. but it is not possible to give any employment allowance etc. just now.

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि वह बेकार इंजीनियरों के प्रतिनिधियों से क्यों नहीं मिलते और उनके साथ बातचीत द्वारा उन लोगों से काम पर लगाने के सम्बन्ध में निश्चय क्यों नहीं करते हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं किसी से मिलने से इन्कार नहीं करता । मैं किसी से भी मिलने से इन्कार नहीं करता हूँ ।

Shri Ram Charan (Khurja) : The age of retirement of engineers has been increased from 55 to 58 and they are given extention upto 60. If the engineers are retired after completing a qualifying service of 25 years, this problem can be solved to a great extent.

श्री त्रिगुण सेन : हम इए सुझाव पर विचार करेंगे ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री उमनाथ (पुदुकोट्टै) : मैं सभा का ध्यान बम्बई के एक करोड़पति, श्री रामकृष्ण बजाज द्वारा इस सभा के एक सदस्य के विशेषाधिकारों के उल्लंघन तथा इस प्रकार सभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन की ओर दिलाना चाहता हूँ । 27 नवम्बर, 1967 को शिव सेना के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि शिव सेना को श्री रामकृष्ण बजाज के माध्यम से सी० आई० ए० से धन प्राप्त हो रहा है। मैंने वह वक्तव्य पूरी जिम्मेदारी की भावना से दिया था और मैं अब भी उस पर दृढ़ हूँ ।

उस वक्तव्य के बाद इस मास की 2 तारीख को श्री रामकृष्ण बजाज ने अध्यक्ष को

एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि श्री उमानाथ कम से कम इस आरोप के मामले में तो झूठे ही हैं । इस पत्र का प्रत्युत्तर प्राप्त करने से पूर्व ही उन्होंने 5 तारीख को सम्पूर्ण पत्र को साइक्लोस्टाइल करके एक अन्य पत्र के साथ उसे डाक से लोक-सभा के सदस्यों और जनता में परिचालित कर दिया । इसलिये, यह स्पष्ट हो गया कि वह उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी को प्रमाणित करने के लिये नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य मेरा निरादर करना, मुझे कलंकित करना तथा सभा में मेरे आचरण पर प्रतिशोध लेना था । उसका उद्देश्य मुझे श्री बजाज की इच्छा के अनुसार काम करने के लिये भयभीत करता तथा भविष्य में किसी विदेशी खुफिया एजेंसी के साथ विशेष रूप से श्री बजाज के सम्बन्धों की जानकारी न देने लिये रहना भी था ।

इससे अध्यक्ष महोदय तथा लोक-सभा सचिवालय का भी अपमान हुआ है क्योंकि उन्होंने लोक-सभा सचिवालय तथा अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा जिसमें अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है कि वह इसे सभा में पढ़कर सुनायें तथा लोक-सभा सचिवालय के अध्यक्ष महोदय की ओर से उस पत्र को अस्वीकार कर ठीक ही किया है ।

मैं इस सभा से निवेदन करता हूँ कि श्री बजाज को इस सभा के सदस्यों के अधिकारों के साथ तथा इस सभा के अधिकारों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने इन्डियन एक्सप्रेस के कर्मचारियों से साथ किया जब कि उन्होंने इनके बारे में एक सम्पादकीय लेख लिखा था।

संसद्-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : इसमें विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है । इसलिये, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे अपने स्थान में खड़े हो जायें । सदस्यों की आवश्यक संख्या खड़ी हो गई है । इसलिये, अनुमति दी जाती है तथा श्री उमानाथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री उमानाथ : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह मामला विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को सौंपा जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : मैंने कार्यालय को निर्देश दिया है कि वह श्री बजाज को पत्र लिखें कि मैं यह पत्र नहीं पढ़ सकता । मैं यह मामला सभा के लिये छोड़ता हूँ ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : श्री उमानाथ ने इस मामले को असाधारण रूप से गम्भीर बनाया है । श्री राम कृष्ण बजाज ने कोई आरोप नहीं लगाये हैं । उन्होंने तो एक वास्तविकता बताई है कि जो श्री उमानाथ ने कहा है, वह असत्य है तथा श्री उमानाथ झूठे हैं । यह तो उन्होंने एक तथ्य कहा है और इसमें किसी प्रकार का आरोप नहीं है ।

श्री उमानाथ के वक्तव्य के तुरन्त पश्चात् श्री राम कृष्ण बजाज ने भी प्रेस में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खण्डन किया । इस सार्वजनिक वक्तव्य के पश्चात् श्री उमानाथ को इस सभा के सामने जाकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये था कि श्री बजाज के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने के लिये विशेषाधिार सम्बन्धी समिति में

कार्यवाही की जानी चाहिये। उन्होंने अब यह मामला बहुत देर के बाद उठाया है। सभा को निर्णय करना चाहिये कि क्या उनका यह तरीका ठीक था, क्या उन्होंने ठीक समय पर कार्यवाही की, जबकि उन्हें या तो इस सभा के पिछले अधिवेशन में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रखना चाहिये था अथवा बाहर एक वक्तव्य देना चाहिये था।

ऐसा कोई तरीका होना चाहिये कि संसद् सदस्य से कहा जा सके कि उसे कम से कम अध्यक्ष के सामने एक प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये और यदि ऐसा साक्ष्य नहीं है तो उसे सभा में खेद व्यक्त करना चाहिये। जब बाहर के लोगों के विरुद्ध गैर-जिम्मेवारी के साथ आरोप लगाये जायें, जिन्हें अपना स्पष्टीकरण करने का कोई अवसर नहीं मिलता तो एक प्रक्रिया सम्बन्धी मामला पैदा हो जाता है। मैं अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि वे लोग अपनी बात कैसे स्पष्ट कर सकेंगे।

श्री रांगे (बुलडाना) : श्रीमान, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मैं आपका ध्यान सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 353 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मानहानिकारक वक्तव्य नहीं दे सकता। यदि श्री उमानाथ की यह शिकायत है कि उनकी मानहानि हुई है, तो वे न्यायालय में जा सकते हैं। वे इस सभा में आकर सहायता नहीं मांग सकते। नियम 224 में कहा गया है कि घटना थोड़े समय पूर्व की होनी चाहिये। श्री बजाज ने 6 दिसम्बर को अध्यक्ष को लिखा जबकि सभा का सत्र हो रहा था। इसलिये, श्री उमानाथ को यह मामला उसी समय उठाना चाहिये था।

श्री सा० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस संसद के एक सदस्य ने कहा है कि शिव सेना को अमरीकी जासूसी विभाग से धन प्राप्त हो रहा है। श्री रामकृष्ण बजाज ने श्री उमानाथ को "झूठा" कहा है। यह शब्द असंसदीय हैं। उन्होंने एक पत्र सब सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रसारित किया है जिसमें श्री उमानाथ को झूठा कहा है।

यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है और विशेषाधिकार समिति के सामने जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूँ कि इस चर्चा में विधि मन्त्री तथा डा० राम सुभग सिंह भी भाग लें। दलों के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वह अपने दलों की ओर से बोलने वाले सदस्यों के नामों की चिट मेरे पास भेज दें। मैं यह भी चाहता हूँ कि जब सदस्य महोदय बोलें तो इस बात पर भी प्रकाश डालें कि मेरे पास कुछ पत्र आये हैं जिनमें कहा गया है कि वे सदन के सदस्य नहीं हैं और जब उन पर सभा में दोषारोपण होता है तो वे अपने आप को कैसे बचायें। मैं चाहता हूँ कि सदस्य महोदय मुझे भी इस मामले में परामर्श दें कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) महोदय, विशेषाधिकार के प्रश्न सभी लोकतांत्रिक देशों में उठते हैं और अब समय आ गया है कि हम उन्हें संहिताबद्ध करें। मैं भी अपने

विशेषाधिकारों की रक्षा करना चाहता हूँ परन्तु जनता और देश के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। हमें किसी पर ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिये जिन्हें हम न्यायालय में सिद्ध नहीं कर सकें।

साथ ही यह मामला हाल की किसी घटना से सम्बन्ध नहीं रखता। इसलिये इसके उठाने का औचित्य नहीं है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : महोदय, श्री राणे ने कहा कि यह मामला हाल की घटना का नहीं है। बात यह है कि श्री बजाज ने जो पत्र लिखा था वह 2 फरवरी को लिखा था और इस कारण यह हाल ही का है। श्री बजाज ने श्री उमानाथ को "झूठा" कहा है। इस कारण यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाये क्योंकि वहां श्री बजाज भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं तथा बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका यहां कहना उचित नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि श्री उमानाथ एक साम्यवादी हैं अथवा नहीं। मूल प्रश्न यह है कि वह संसद् के एक सदस्य हैं और अपने अधिकारों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। श्री बजाज ने श्री उमानाथ के उन बातों का विरोध किया है जो उन्होंने सदन में कही थीं। इस कारण यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाना चाहिये।

हमें इस मामले को दलगत भावना से नही देखना चाहिये।

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई-उत्तर-पश्चिम) : श्री उमानाथ ने आरोप लगाया है कि श्री रामकृष्ण बजाज अमरीकी जासूसी विभाग से धन प्राप्त कर रहे थे। यदि श्री उमानाथ में साहस है तो वह अपना आरोप किसी न्यायालय के समाने सिद्ध करें।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री उमानाथ अपने अधिकार का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि विशेषाधिकार समिति केवल यह पता लगायेगी कि श्री बजाज ने विशेषाधिकार भंग किया है अथवा नहीं। वह यह पता नहीं लगायेगी कि श्री उमानाथ का यह आरोप ठीक है अथवा नहीं कि श्री बजाज ने अमरीकी जासूसी विभाग से धन प्राप्त किया था अथवा नहीं। इन प्रश्नों का समाधान एक न्यायलय में ही हो सकता है। अन्यथा श्री उमानाथ पर आरोप सभा के बाहर लगायें ताकि श्री बजाज इस मामले को न्यायालय के पास ले जा सकें। मैं इस कारण इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, Shri Umanath did not raise this point with ill-will agaist Shri Bajaj.

We have heard for long their C. I. A. funds are going to Shiv Sena through Shri Ram Krishna Bajaj. We wanted the Home Minister also to make a report before this House abaut CIA funds.

Shri Bajaj has lavelled charges against Shri Umanath with illwill and hence the matter should go to the Privileges Committee.

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : मैं श्री मुकर्जी की बात से सहमत हूँ कि हमें इस प्रश्न पर दलबन्दी के विचार से नहीं देखना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि वह स्वयं भी इस प्रश्न को इसी दृष्टि से देखें।

मैं श्री मधोक से सहमत नहीं हूँ कि हमें यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिसे हम न्यायालय में सिद्ध नहीं कर सकें। यदि ऐसा किया गया तो सदन का कार्य ठप्प हो जायेगा। यह बात तो सदस्य तथा अध्यक्ष महोदय के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिये कि वह किस प्रश्न को यहां उठाना चाहते हैं क्योंकि सब सदस्य जनता का कार्य करते हैं।

मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि केवल हाल ही का प्रश्न उठाना चाहिये। यह तो एक टेक्नीकल बात है और उससे प्रश्न को टालना नहीं चाहिये।

परन्तु मैं श्री उमानाथ से एक बात कहना चाहता हूँ कि वह और उनका दल प्रतिदिन कितने ही सदस्यों को झूठा कहते हैं। इस कारण यदि उनके प्रति किसी ने यह बात कह दी है तो इतना बुरा नहीं मनाना चाहिये।

आज देश के सामने बहुत सी समस्याएँ हैं जैसे पश्चिमी बंगाल का संकट, भाषा समस्या आदि, तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पर सभा का अमूल्य समय नष्ट किया जाये ? मैं चाहता हूँ कि श्री उमानाथ स्वयं इस मामले को वापिस ले लें।

श्री नाथपाई (राजापुर) : महोदय, श्री हनुमन्तय्या तथा अन्य सदस्यों ने अनुरोध किया है कि हमें इस प्रश्न पर दलों की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये परन्तु फिर भी प्रत्येक ने इस पर दलों की दृष्टि से विचार प्रकट किये।

यह सच है कि हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिये। परन्तु एक सदस्य को "झूठा" कहा गया है और उस प्रकार से उसके विशेषाधिकार को भंग किया है। हम सब को संयम से काम लेना चाहिये। "झूठे" शब्द को सबने असंसदीय कहा है।

श्री हनुमन्तय्या ने अपील की थी कि श्री उमानाथ इस प्रस्ताव को वापिस ले लें। मैं कांग्रेस वालों से अपील करता हूँ कि वह इस मामले को समाप्त करने के लिये बहुमत का प्रयोग न करें। यह आवश्यक नहीं कि सच्चाई बहुमत में ही हो। गैलिलियो एक था और बहुमत उसके विरुद्ध था परन्तु फिर भी वह सच्चा सिद्ध हुआ। अच्छा है कि यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति के पास जाये जहाँ इस पर ठंडे दिल से विचार किया जा सके।

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : महोदय, श्री नाथपाई ने कहा कि हमें इस विषय पर वस्तुरूपता से देखना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस दल बहुमत का प्रयोग न करे। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त करके क्या पाप किया।

मैं अपने दल के सदस्यों के अधिकार से भी विपक्ष के सदस्यों का अधिक महत्वपूर्ण

मानता हूँ। नियम संख्या 357 के अन्तर्गत श्री उमानाथ को चाहिये था कि इस प्रकार के आरोप लगाने से पूर्व आप को पत्र लिखता। परन्तु मेरे विचार में ऐसा नहीं किया गया। श्री बजाज पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अमरीकी जासूसी विभाग से धन प्राप्त किया है। श्री बजाज का कहना है कि यह झूठ है। स्वयं मुझे यहाँ कई बार झूठा कहा है परन्तु मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया। श्री बजाज के पास यह पत्र लिखने के अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं था। संसद के विशेषाधिकारों के संहिताबध्य करने के मैं स्वयं पक्ष में हूँ। परन्तु इस वर्तमान प्रश्न पर कोई विशेषाधिकार का भंग नहीं हुआ जिसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : महोदय, उप-प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वस्तुरूपता से इस पर बोल रहे हैं परन्तु ऐसा उन्होंने किया नहीं है। श्री दांडेकर ने एक ऐसे व्यक्ति का पक्ष लिया है जिसके बारे में कहा है कि वह यहां प्रस्तुत नहीं है। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाये जाते थे और हम जेल में बन्द थे तब इस बात की की चर्चा क्यों नहीं की।

सीधा-सा प्रश्न यह है कि श्री उमानाथ इस सदन के सदस्य हैं और उस दृष्टि से अपना कर्तव्य निभा रहे थे तथा उसी के बारे में श्री बजाज ने उनको "झूठा" कहा है इसलिये स्पष्ट रूप से उनके विशेषाधिकार का भंग हुआ है। "झूठे" का अर्थ यह है कि जान बूझ कर सच्चाई को दबा रहे हैं। उन्होंने सभी सदस्यों में इस बात का प्रचार किया है। इसका अर्थ श्री उमानाथ को डराने-धमकाने के सिवाय क्या हो सकता है। यह एक सीधा-सा मामला है। उन्हें न्यायालय में जाने के लिये कहना बेकार है। उन्होंने पूरे उत्तरदयित्व की भावना के साथ यह वक्तव्य दिया है। फिर उन्होंने केवल यही कहा है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिये। आज उन्हें 'झूठा' बताया गया है। यह अनुचित बात है।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : मैं इस बात को यहां पर फिर से कहना चाहता हूँ कि शिव सेना को श्री रामकृष्ण बजाज के माध्यम से अमरीकी गुप्तचर एजंसी (सी० आई० ए०) द्वारा धन मिल रहा है। मेरा यह वक्तव्य सही है और इस सम्बन्ध में मेरे पास तथ्य हैं। इस वक्तव्य को विद्वेषपूर्ण झूठ बताया गया है और मुझे भी झूठा कहा गया है।

भविष्य में इस वक्तव्य को जनता के सामने दूँगा। इसमें न्यायालय से बचने की कोई बात नहीं है। इस सभा को इस बात पर विचार करना चाहिये कि जब इस सभा में मैंने जो वक्तव्य दिया है उसे विद्वेषपूर्ण झूठ बताया गया है और मुझे भी झूठा कहा गया है तो क्या सभा को इस बात का निराकरण नहीं करना चाहिये ? मेरे विचार में कांग्रेस तथा अन्य दलों के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किसी सदस्य की निन्दा की जाये तो उसका निराकरण करने के लिये सही मंच यह संसद ही है क्योंकि यह संसद के विशेषाधिकार का मामला है और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये विशेषाधिकार समिति है। अतः मैं अपील करता हूँ कि इस मामले पर शान्तिपूर्ण ढंग से विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

जो सदस्य पक्ष में है वे 'हाँ' कहें और जो पक्ष में नहीं हैं वे 'नहीं' कहें ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was regatived.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तारयंत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): मैं श्री इ० कृ० गुजराल की ओर से निम्नलिखित पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (नवां संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1901 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 37–68]

धान कूटन उद्योग (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधि सूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

मैं धान कूटन उद्योग (विनियमन,) अधिनियम 1958 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर पुनः रखता हूँ :–

(एक) धान कूटन उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) तीसरा संशोधन किया नियम, 1967 जो दिनांक 30 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1465 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2192–67]

(दो) धान कूटन उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) चौथा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1772 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2055–67]

मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पलट पर रखता हूँ :–

(क) भारतीय मक्का (मांडी के निर्माण में अस्थायी प्रयोग) दूसरा आदेश, 1967 जो

दिनांक 18 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1886 में प्रकाशित हुआ था ।

(ख) भारतीय मक्का (मांडी के निर्माण में अस्थायी प्रयोग) तीसरा आदेश, 1967 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1902 में प्रकाशित हुआ था ।

(ग) बेलन मिलें गेहूँ उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1967 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1932 में प्रकाशित हुआ था ।

(घ) दिल्ली बेलन मिलें गेहूँ उत्पाद (मिल पर तथा फुटकर) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1967 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1934 में प्रकाशित हुआ था ।

(ङ) साल्वेंट-एक्सट्रक्टेड आयल, डी-आयल्ड मिल तथा खाद्य आटा (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1967 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1939 में प्रकशित हुआ था ।

(च) जी० एस० आर० 13 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 8 सितम्बर, 1967 की जी० एस० आर० 1380 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(छ) जी० एस० 14 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस में दिनांक 8 सितम्बर, 1967 की जी० एस० आर० 1381 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(ज) जी० एस० आर० 15 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें, दिनांक 8 सितम्बर, 1967 की जी० एस० आर० 1382 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(झ) जी० एस० आर० 16 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 8 सितम्बर, 1967 की जी० एस० आर० 1383 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(ञ) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 89 में प्रकाशित हुआ था ।

(ट) उत्तरी अन्तर्क्षेत्रीय मक्का (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 19 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 148 में प्रकाशित हुआ था ।

(ठ) जी० एस० आर० 239 जो दिनांक 2 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा वहन पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1959 को विखण्डित किया गया।

(ङ) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूँ उत्पाद (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 2 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 240 में प्रकाशित हुआ था।

(ढ) उत्तर अन्तर्क्षेत्रीय चना (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 2 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 241 में प्रकाशित हुआ था।

(4) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12-क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 181 की एक प्रति जो दिनांक 25 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में एक संशोधन किया गया। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 38-68]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (10वाँ संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1795 में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 39-68]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1965-66 के परीक्षित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 40-68]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

भारत के चतुर्थ सामान्य निर्वाचनों सम्बधी प्रतिवेदन, खण्ड I (सामान्य) की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 41-68]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) निर्वाचकों की रजिस्ट्रीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4570 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्वाचकों की रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 25 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 370 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 42-68]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 13 फरवरी, 1968 की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है की मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1965 को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें राज्य सभा के 15 सदस्य अर्थात् :-

श्री आनन्द चन्द, मौलाना अब्दुल शकूर, डा० बी० एन० अंतनी, श्री एम० वी० भद्रम, श्री एम० पी० भार्गव, श्री निरंजन सिंह, श्री महाबीर दास, श्रीनारायण पात्र, श्रीमती ललिता-राजगोपालन, श्री एम० गोविन्द रेड्डी, श्री राम सहाय, श्रीमती सरला भदोरिया, श्री सी०-एल० वर्मा, श्री निरंजन वर्मा, श्री तीरथ राम अमला

और लोक-सभा के 30 सदस्य हों और सिफारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और लोक-सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति के लिये नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को सूचित करे ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 13 फरवरी, 1968 की बैठक में दिल्ली तथा अजमेर किराया नियंत्रण (नसीराबाद छावनी निरसन) विधेयक, 1968 को पास किया है ।

मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दिल्ली तथा अजमेर किराया नियंत्रण (नसीराबाद छावनी निरसन) विधेयक, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

लक्खीसराय स्टेशन पर दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : ACCIDENT AT LUCKEESARAI STATION

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मुझे एक दुखद घटना के बारे में वक्तव्य देना है । मुझे इसके लिये बहुत दुख है, जिसमें 14 फरवरी, 1968 को रात के समय लक्खीसराय स्टेशन पर 12 डाउन दिल्ली हावड़ा ऐक्सप्रेस गाड़ी के नीचे कुछ व्यक्ति कुचले गये थे ।

माघ पूर्णिमा के कारण गंगा में स्नान करने के लिये बहुत से यात्री विभिन्न स्थानों पर एकत्र थे । यात्रियों की सुविधा के लिये पूर्व रेलवे ने कुछ मेल स्पैशल रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था की थी ।

जब किऊल से शेखपुरा जाने वाली मेला-स्पेशल गाड़ी लक्खीसराय को आ रही थी, वह 22.14 बजे पहुंची तो बहुत से लोग डाउन दिशा से डाउन मुख्य लाइन को पार कर के अप लाइन पर आ रही मेला स्पेशल को पकड़ने के लिये दौड़े। इसी बीच 12 डाउन दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस 22.12 बजे रुके बिना लक्खीसराय स्टेशन से गुज़री। इस प्रकार दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस के नीचे 29 लोग आ गये, जिनमें से 13 व्यक्ति तो वहीं मर गये और 3 व्यक्ति बाद में लक्खीसराय ब्लाक अस्पताल में मर गये। इनके अतिरिक्त 13 व्यक्ति घायल हो गये जिनमें से 4 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयी हैं। 8 घायल व्यक्तियों को रेलवे अस्पताल में लाया गया है और 5 को लक्खीसराय ब्लाक अस्पताल में भर्ती किया गया है। रेलवे के राज्य मंत्री सदस्य (इंजीनियरिंग) और निदेशक (सुरक्षा और कोचिंग) के साथ विमान द्वारा दुर्घटना के स्थान पर गये हैं। हताहत व्यक्तियों के निकट संबंधी व्यक्तियों के अनुग्रह के रूप में रकम देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह बहुत ही गम्भीर दुर्घटना है। मंत्री महोदय ने इसकी जाँच करवाने के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री चे० मु० पुनाचा :—मैंने अपने वक्तव्य में यही बताया है कि यह एक गम्भीर दुर्घटना है। मैं इस सम्बन्ध में स्वयं एक वक्तव्य दे रहा हूँ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यह दुर्घटना की बात नहीं है, लापरवाही की बात है। इस मामले की जाँच की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :—अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till a Half past Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2-30 बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha Re-assembled after Lunch at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

DELHI MUNICIPAL CORPORATION (Amendment) BILL

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : I beg to move:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957."

उपाध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है ।

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Vidya Charan Shukla : I introduce the Bill.

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT REGARDING DELHI MUNICIPAL CORPORATION ORDINANCE

Shri Vidya Charan Shukla : I beg to lay on the Table a copy of the explanatory statement giving reasons for immediate legistation by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1968, under rule 71 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

[पुस्तकालय में रखा गया। देखियें संख्या एल० टी० 53-68]

पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में

Re : SITUATION IN WEST BENGAL

श्री हौ० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) :—मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूर्व सूचना भेजी थी । यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है । पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्थिति खराब हो गयी है और इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है । हमें पता चला है कि इस विषय पर ध्यान दिलाने वाली सूचना के रूप में चर्चा की जाने वाली है परन्तु हम चाहते हैं कि इस पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा की जाये । इसीलिये हममें से बहुत से सदस्यों ने मिलकर स्थगन प्रस्ताव का 'नोटिस' दिया है । कुछ सदस्यों का विचार है कि हमें इस विषय में अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बातचीत करनी चाहिये । परन्तु यह लोक महत्व का विषय है, इसलिये हम चाहते हैं कि इस विषय के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अपना विनिर्णय अपने चेम्बर में न देकर सभा में दिया जाये । आप इस बात को अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दें और संभव है कि कुछ समय बाद हमें इस सम्बन्ध में कुछ सूचना मिल जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय :—मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि यह मामला काफी गम्भीर है । परन्तु मुझे पता चला है कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई थी और एक ध्यान दिलाने वाली सूचना की स्वीकृति दी गई है । मुझे यह भी पता चला है कि श्री मुकर्जी को अध्यक्ष के चैम्बर में उनसे मिलने की सलाह दी गई थी । वहां जाकर वह कह सकते थे कि इस मामले को सभा के सम्मुख रखा जाये ।

श्री स० मो बनर्जी : (कानपुर) अध्यक्ष महोदय स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं परन्तु इसका कुछ कारण तो होना चाहिये । यह प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि

पश्चिम बंगाल में, जहां संवैधानिक व्यवस्था ठप्प हो गई है, केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। इस सम्बन्ध में पत्रों में सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुये हैं । अतः इस मामले के सम्बन्ध में सभा में चर्चा की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय :—अध्यक्ष के लिये जो कुछ कहा गया है, उन्हें बता दिया जायेगा। उन्हें इस मामले की जानकारी है और वह अपना विनिर्णय दे देंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) :—यह सभा संवैधानिक व्यवस्था की संरक्षक है । हमने पहले ही काफी समय बेकार नष्ट कर दिया है । मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें अभी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Shrichand Goel (Chandigarh) : This is a serious matter. We have already expressed our views that President's Rule should be imposed on West Bengal. When it was found that it was not possible to run Democratic Government, President's Rule should have been imposed. Congress party is equally responsible for giving a set-back to democratic system of Government. In view of these facts, this matter should be discussed here.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री श्रीचन्द गोयल और श्री ज्योतिर्मय बसु ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है परन्तु मैंने यह पहले ही कह दिया है कि माननीय सदस्यों को यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे अध्यक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कर लें ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : जब तक आप पीठासीन हैं, आप इस सदन के अधिकारों के संरक्षक हैं । यह एक गम्भीर मामला है । पश्चिम बंगाल की विधान सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गयी है । वहां पर राज्यपाल अपना अभिभाषण भी नहीं दे सके और फिर वहां मारपीट भी हुई है । मेरी समझ में नहीं आता कि स्थगन प्रस्ताव के लिये और कौन-सा मामला ठीक हो सकता है । हमें कुछ पता नहीं कि पश्चिम बंगाल में कल क्या स्थिति होगी । अतः यह ऐसा मामला है कि आपको इस सम्बन्ध में अभी अपना विनिर्णय देना चाहिये ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : इस प्रस्ताव पर जब तक कोई निर्णय नहीं होता तब तक गृह-कार्य मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिये और पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में सभा को सूचना देनी चाहिये । आप यह सूचना गृह मंत्री को दे दें कि वह सभा में आकर पश्चिम बंगाल की स्थिति पर एक वक्तव्य दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में यह इच्छा प्रकट की गई है कि मंत्री महोदय पश्चिमी बंगाल में उत्पन्न नवीनतम स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दें । यह बात मंत्री महोदय को बता दी जायेगी ।

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : West Bengal is facing a Constitutional crisis and you are evading this question by saying that the Speaker will decide it. Either the Home Minister should give a statement about the latest developments in West Bengal or you should ask him to give a statement.

श्री अमिय नाथ बोस (आरामबाग) : यदि पश्चिमी बंगाल में संवैधानिक गतिरोध नहीं है, तो वहां स्थिति क्या है ? इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये। इस विषय-स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विचार किया जाये, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Members who are raising here and cry here, are mainly responsible for bringing about the so-called constitutional deadlock there. itself In my opinion Constitution has not failed there and there is no necessity of Adjournment Motion. Through it they waste the time of the House.

उपाध्यक्ष महोदय : वहां संविधान फेल हुआ है या कोई और बात है, इस सम्बन्ध में अभी निश्चय किया जाना है। इस समय हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद (जारी)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS (CONTD.)

Dr. Govind Das (Jabalpur) : In his Address the President has invited our attention towards the violent disturbances which are taking place in different parts of the country. These incidents cannot be supported from any point of view. We should try to know the root cause of them. I do not agree with the view that the language issue alone has incited the riots in Madras. The main reason for it, in my opinion, is the power in the hands of DMK party which has always been in the habit of jeopardizing the Indian unity, burning the National Flag, violating the Indian Constitution and advocating the secession of Tamilnad from India. The recent example of violation of Constitution is that Madras Government have passed an anti Hindi resolution. So long as Hindi occupies the status of Official Languages in our Constitution, till then to show disrespect to Hindi is to disrespect the Constitution of India. So I request the Central Government that Annadurai's Government in Madras shonld be dismissed. Similarly, to hold non-Assamese responsible for riots in Assam is wrong. Pakistan is taking interest in Assam. I want to say it boldly that the Pakistani nationals who have infiltrated in Assam, are creating trouble there. They are enemies of our country and they should not be granted Indian citizenship. Our Government should take steps to see that Assam may not turn into another Kashmir.

As regards the issue of language it is a matter of regret that demonstrations are taking place, public property is being destroyed and laws are being violated in the name of language issue. Language is a means of expression and it should be utilized to bring about integration and unity in the people of the country. The problem of the language should be solved once for all. It is possible only if Government adopt rigid language policy. In this respect a round table conference of all the parties should be called and find out the appropriate solution of the problem. I gave this suggestion even before the Official Language (Amdt.) Bill was introduced. The language controversy should be put an end to. But how it should be done, is a matter for serions consideration.

It is good that family planning programme is being successfully implemented in India. But it is limited to certain classes. If it goes like this, after a lapse of 50 or 100 years the classes which are in minority will be in majority and the face of India will be completely changed. If we are serious about family planning and controlling our population, we should

raise the age of marriage for a boy and a girl from 18 and 14 to 21 and 18 years respectively. Secondly, the family planning programme should be equally applicable to all. Moreover, poligamy should be made illegal for all communities--Hindus, muslims and Christians etc.

These days we hanker after materialism and pay least attention to spiritualism. I am not against progress in material field, but it should be combined with spiritual acheivements. Such a progress will come more rapidly and will last for longer time. Its results will not be momentary but everlasting. It will bring a sense of fraternity in the people of world and thereby peace in the present day world.

National problems should be solved on a national level rising above the limited party politics. All the issues of national importance should be discussed in a round table conference of all the leaders of different parties or holding different views and opinions and find out a solution therefor. With these words I support the Motion of Thanks on President's Address.

श्री गणेश घोष (कलकत्ता, दक्षिण) : यह प्रसन्नता का विषय है कि वियतनाम के लोगों को विजय प्राप्त हो रही है और अमरीकी आक्रामकों को मुंह की खानी पड़ रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पर प्रसन्नता व्यक्त नहीं की गई। अमरीकी वियतनाम से बाहर निकाले जाने चाहिये। भारत सरकार में वह साहस कहां कि वह अमरीकियों की भर्त्सना करे। परन्तु भारतवासियों की सहानुभूति अवश्य उनके साथ है और एक दिन स्वयं वियतनामी ही अमरीकियों को वहां से खदेड़ देंगे।

जहां तक केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों का प्रश्न है, वर्तमान सम्बन्धों को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है, हालांकि केन्द्रीय सरकार यह दावा करती है कि वह दलगत बंधनों से ऊपर उठकर सब राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करेगी। परन्तु व्यवहार में केन्द्रीय सरकार ने इसका उलटा किया है। केन्द्रीय सरकार ने गैर-कांग्रेसी सरकारों को उखाड़कर उनके स्थान पर कांग्रेसी सरकार को पुनः बैठाने का भरसक प्रयास किया है। राजस्थान और हरियाणा में जो गुल खिले वे किसी से छिपे नहीं हैं। पश्चिमी बंगाल में जिस दिन से संविद की सरकार बनी थी, उसी दिन से केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे उलटने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया गया।

[श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C.K. Bhattacharyya in the Chair]

केन्द्रीय सरकार ने जिला प्रशासकों तथा अन्य अधिकारियों को यह आदेश दिये कि वह संविद सरकार के आदेशों को न माने। केन्द्र ने वहां साम्प्रदायिक दंगे करवाये। वहां चावल आदि की सप्लाई बन्द की जिससे लोग भूखों मरें। इतने पर भी लोगों ने संविद सरकार का साथ न छोड़ा। संविद की सरकार को बर्खास्त करने से पहले राज्यपाल पुलिस अधिकारियों से मिले और प्रत्येक गली और चौराहे पर पुलिस के सिपाहियों को नियुक्ति करने की सलाह दी जिससे जनता के विरोध को बुरी तरह दबाया जा सके, क्योंकि राज्यपाल को यह डर था कि लोकप्रिय सरकार को बर्खास्त करने से स्थिति बिगड़ेगी। पश्चिमी बंगाल की विधान सभा की बैठक न बुलाई गई और संविद सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय केन्द्रीय सरकार ने ही कर लिया। जब जनता ने इस असंवैधानिक तथा अलोकतांत्रिक कृत्य के विरोध में प्रदर्शन करने शुरू किये तो उन पर अमानुषिक रूप से अत्याचार किये गये। बिहार में कांग्रेस

को पुनः सत्ता में लाने के लिये कांग्रेसी नेताओं ने श्री बि० प्र० मंडल को खरीद लिया और वहां कांग्रेस समर्थित सरकार बन गई । कांग्रेस ने अपना वह आदर्श छोड़ दिया कि वह किसी अन्य दल के सहयोग से मिली जुली सरकार नहीं बनायेगी । केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के ये उदाहरण हैं। केन्द्र-राज्यों के सम्बन्ध अच्छे हों, इस प्रकार की इच्छा मात्र से काम न चलेगा, बल्कि इसे व्यावहारिक रूप देना होगा । राज्यों को जो स्वायत्तता प्राप्त है, वह वास्तविक होनी चाहिये, नाममात्र की नहीं । आज सत्ता, वित्तीय संसाधन सब केन्द्रीय सरकार के हाथ में, जब कि विकास कार्यों तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्यों पर है । राज्य को प्रत्येक कदम पर केन्द्र का आश्रय लेना पड़ता है । इस प्रकार राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों में संघर्ष की गुंजाइश संविधान में ही छोड़ दी गई थी। यदि केन्द्र-राज्य सम्बन्ध सुधारने हैं, तो संविधान में संशोधन तुरन्त किया जाना चाहिये और राज्यों की स्वायत्तता का वास्तविक बनाना चाहिये, जो वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक सत्ता पर आधारित हो। केन्द्र के लिये केवल कुछ ही विषय छोड़े जाने चाहिये जैसे प्रतिरक्षा, वैदेशिक कार्य और संचार । सरकार ने भाषा के सम्बन्ध में हमारा सुझाव नहीं माना कि भाषा के प्रश्न को सुलझाने के लिये एक गोल मेज सम्मेलन बुलाया जाये । देश में जो विघटनकारी प्रवृत्ति पनप रही है उसके लिये भी कांग्रेस सरकार ही उत्तरदायी है ।

Shri Kushak Bakula (Ladhak) : While supporting the Motion of thanks on the address of the President, I deem it my privilege to have been allowed an opportunity to express my feelings on this occasion. I am shocked to see that some Members have staged a walk out while the address was being delivered. This is very discourteous.

India attained freedom in 1947 after centuries of serfdom. The progress achieved by India during these twenty years after independence is satisfactory in view of enormous difficulties, and the difficult problems left by the Britishers and the condition in which they left India. India had to encounter a number of new problems for which the Britishers were not responsible, for instance, inerease in population, language problem and drought. The Government of India is doing its best to solve those problems.

India's relations with other countries have been friendly but China and Pakistan have always been trying to put obstacles in the way of peace in India. India's relations with China cannot improve until Tibet attains freedom. India committed a great policy blunder by allowing China free hand in Tibet and we had to pay a heavy price for that. Chinese occupied a big chunk of Ladakh and NEFA by aggression in 1962. All that was done under the garb of friendship. India has done nothing for the freedom of Tibet. She did not even try to raise that issue in UNO. The Chinese are now resorting to torture and massacre so that the Tibetans should give up their ancient religion and culture. Our ancient scriptures are being burnt and world famous Budhist monastries are being demolished in order to annihilate Budhist culture. These have been mentioned in the report of International Jurist Commission. I am sorry to say that Government of India has not done anything against such excesses committed by Chinese in Tibet. China will pose a great danger to India so long as the boundry question remains between the two. Independence of Tibet is necessary if we want to do away with that danger. India will be able to advance peacefully only when there is a friendly buffer State between her and China otherwise she will have to spend huge amount due to the fear of Chinese aggression, which will cause obstacles in our development.

The Government has done its best to resettle Tibetan refugees in India but the condition of such refugees in Ladakh is miserable. They pass a miserable life in tents at such high altitudes. The houses have not been constructed for them, schools have not been opened and financial assistance has not been given inspite of a number of questions asked by me in this House and a scheme submitted by the Development Commissioner, Ladakh. The replies to the questions were not at all satisfactory. About $2\frac{1}{2}$ lakh heads of cattle belonging to those unfortunate refugees died as a result of famine and snowfall but no assistance was given by State or Central Government. I hope the Government will change her policy keeping in view the welfare of the country.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) पश्चिमी बंगाल में गतिरोध का कारण यह नहीं है कि वहाँ के अध्यक्ष ने वहां की विधान सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई और न ही यह है कि राज्यपाल अपना भाषण नहीं पढ़ सके; बल्कि इसका कारण पश्चिमी बंगाल में मन्त्रिमन्डल का असंवैधानिक रूप से बनाया जाना और उसे बहुमत प्राप्त न होना है। परन्तु कांग्रेस और प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार को 135 से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका जबकि समर्थन के लिये 140 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। आपत्ति-स्थिति समाप्त कर दी गई है। अब लोगों के मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना कहां तक उचित है। घोष सरकार 21 नवम्बर को सत्तारूढ़ हुई और वह समस्त कलकत्ते में धारा 144 के लगाये बगैर एक दिन भी शासन नहीं चला सकी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वाक्-स्वातन्त्र्य, अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य तथा शान्तिपूर्ण सम्मेलन के अधिकारों का दमन किया गया। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार का इस मामले में क्या कार्यवारी करने का विचार है। आप जो मर्जी हो कर सकते हैं किन्तु जब तक पश्चिमी बंगाल में असंवैधानिक घोष मन्त्रिमन्डल को जबरदस्ती सत्तारूढ़ रखा जायेगा, तब तक वहां शान्ति स्थापित नहीं हो सकती।

21 नवम्बर से आज तक लोग संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिनों में 35,000 व्यक्तियों से भी अधिक गिरफ्तार हो चुके हैं। यह पश्चिमी बंगाल के लोगों का शान्तिपूर्ण विरोध रहा है। यदि आप उन्हें अन्य उपाय अपनाने पर मजबूर करेंगे तो हमारे अच्छे इरादों के बावजूद वो भी होगा। इस अंध मन्त्रिमण्डल सम्बन्धी उत्तेजना दूर करनी ही होगी।

राज्यपाल किस सिद्धान्त का पालन कर रहे हैं। हरियाना में राज्यपाल ने सदस्यों का व्यवहार असंतोषजनक होने के कारण विधान सभा को समाप्त कर दिया। पश्चिमी बंगाल में अजय मुकर्जी के मन्त्रिमण्डल को अल्पमत प्राप्त होने के कारण समाप्त कर दिया। आज राज्यपाल घोष मन्त्रिमंडल को, यद्यपि वह बहुमत में नहीं है, बनाये रखने पर जोर दे रहे हैं।

इसी बीच बिहार मंत्रिमंडल समाप्त कर दिया गया। मेरा दल ऐसा विधान बनाने को स्वागत करेगा कि जो सदस्य दल बदले उन्हें अपने दल से त्यागपत्र देकर नया चुनाव लड़ना होगा। बिहार में लोगों को दल बदलने के लिये लाखों रुपये दिये गये।

हैदराबाद कांग्रेस अधिवेशन के समय कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा था कि यदि चुनाव में गैर-कांग्रेस मंत्रिमंडलों की विजय हुई तो हम उनका स्वागत करेंगे और इन्हें पूरा सहयोग देंगे। अब अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न जैसे वियतनाम पश्चिमी एशिया की स्थिति पर विचार करने के लिये सरकार के पास समय नहीं है। सरकार के दिमाग में केवल एक समस्या है और वह यह कि किसी प्रकार गैर-कांग्रेसी सरकारों को समाप्त किया जाये।

मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जब उपद्रवों के सामने पुलिस बिलकुल मौन दर्शक की भांति खड़ी रही। पुलिस ने विद्यार्थियों और मजदूरों पर बहुत अत्याचार किये परन्तु जब शिव-सेना ने बम्बई में सबसे पुराने मजदूर संघ के कार्यालय पर हमला किया तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

आसाम के दंगों में भी श्री चालिहा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वे कांग्रेसी मुख्य मंत्री हैं।

कलकत्ते के औद्योगिक उपनगर में एक प्रसिद्ध गुंण्डे ने जिसको संयुक्त मोर्चा मंत्रिमंडल के कार्यकाल में जेल में डाला गया था, लेकिन घोष मंत्रिमंडल ने उसे रिहा कर दिया। बैल घारिया में सामान्य लोगों पर स्टेनगन से हमला किया तथा लोगों पर, दुकानदारों पर और राहगीरों पर बम फेंके।

इन समस्याओं का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया। उसमें देश में अशान्ति फैलाने के लिये जनता को दोषी ठहराया है। 1968-69 की वार्षिक योजना को अब साधारण योजना की संज्ञा दी गई है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम जिस स्थिति में हैं हमें उसी स्थिति में रहना है और आगे नहीं बढ़ना है। इस योजना के लिये जो खर्च निर्धारित किया गया था उसमें भी 10 प्रतिशत की कमी कर दी गई है क्योंकि साधन उपलब्ध नहीं हैं।

रोजगार के विषय में अभिभाषण में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। इंजीनियरों और तकनीकियों की भयंकर स्थिति हमारे सामने है। हम उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करने में असफल रहे हैं। वास्तव में जहां वे काम कर रहे थे वहां से भी उनकी छटनी की गई है। बिजली से चलाने वाली गंणक मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप मजदूरों का कार्य मशीनों द्वारा किया जा रहा है।

यद्यपि आपत् की स्थिति की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है, तथापि उसके स्थान पर सरकार ने एक और हथियार अपने हाथ में ले लिया है। और वह है निवारक निरोध अधिनियम, जिसके अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल के आठ विधायकों को बिना मुकदमा चलाये ही जेल भेजा गया।

गत अधिवेशन में गैर-कानूनी गतिविधियों सम्बन्धी विधेयक पास किया गया। सभा के सब भागों से इसका विरोध किया गया क्योंकि इससे सरकार को किसी भी संगठन को दमन करने के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार सामान्य व्यक्ति से दूर होती जा रही है।

राष्ट्रपति-अभिभाषण में व्यक्त किये गये विचारों का हम पूर्णरूप से विरोध करते हैं।

श्री चिन्तामणि प्राणिग्रही (भुवनेश्वर) : यह प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रपति ने अपने

भाषण में उन गम्भीर समस्याओं की ओर हमारा ध्यान दिलाया जो इस समय देश के सामने हैं और उन्होंने उन मामलों को दल के स्तर को छोड़कर राष्ट्र स्तर पर उठाया।

जहां तक वर्तमान मामलों का सम्बन्ध है, चाहे वे राष्ट्रीय हों, अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, उनके सम्बध में हमें अनिश्चित नहीं रहना चाहिये। हमें अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिये दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करनी चाहिये। यदि एक वियतनाम जैसा देश एक शक्तिशाली देश को चने चबा सकता है तो हमारा देश जिसकी परम्पराएं महान रही हैं, बहुत प्रगति कर सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

चौथे चुनाव के बाद जिन शक्तियों ने अपना सिर उठाया है उनसे हमें निबटना होगा। उनका हमें मिलकर सामना करना होगा। योजना को क्रियान्वित करने में चाहें त्रुटि हुई हो, परन्तु गत 20वर्षों में जो प्रगति हुई है वह सुनियोजित योजना का परिणाम है। चुनाव के बाद का समय प्रतिकूल दृष्टिकोण का समय रहा है। विभाजक शक्तियाँ जो फिर पनप आई हैं और शक्तिशाली बन गई हैं वे हमारी राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और हमारी तटस्थता की नीति का सर्वनाश कर रही हैं।

मेरे माननीय साम्यवादी मित्र सरकार की वियतनामी सम्बन्धी नीति की आलोचना करते हैं। मुझे दुख होता है कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। यह बात जानकर बहुत संतोष हुआ कि हमारे राष्ट्रपति ने एक बार फिर घोषणा की है कि हम उन लोगों की हिमायत करेंगे जो दमन का शिकार हो रहे हैं।

श्री रंगा ने अपने भाषण में आंध्र प्रदेश में अध्यापकों की छटनी का उल्लेख किया। उड़ीसा में 18,000 'स्कूल मदर्स' की छटनी की गई है या की जा रही है। खादी कातने और बुनने वाले 20,000 परिवारों को बेकार कर दिया गया है, इंजीनियर भूख-हड़ताल कर रहे हैं।

1951 में भारत पर 51 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण था। आज वह लगभग 5489 करोड़ रुपये का है। 1938-39 में भारत में केवल 439 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी औद्योगिक तथा व्यापारिक निवेश के रूप में थी परन्तु आज केवल ब्रिटेन ही की 700 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगी हुई है। विदेशी सहायता ने भारत की आर्थिक विकास की स्थिति को पंगु बना दिया है। हमारी स्थिति अब यह है कि हम ऋणों के ब्याज से छुटकारा पाने के लिये अनुरोध कर रहे है ताकि हम किसी प्रकार अपनी अर्थ व्यवस्था को बचा सकें।

सभी ओर से दबाव पड़ने के कारण सरकार योजना को छोड़ देने के लिये मजबूर हुई है और इसके फलस्वरूप और अधिक लोगों की छटनी हो रही है तथा बेरोजगारी बढ़ रही है। यदि आज नेहरू जी जीवित होते तो वे कदापि ऐसा नहीं होने देते। वे कहते हमें हर कठिनाई का सामना करना चाहिये।

वस्तुतः यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इस पर दलों की दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये। हम योजना के कार्य को नहीं छोड़ सकते। हमने अपनी जनता को 5 न्यूनतम आवश्यकताओं का वचन दिया है अर्थात् मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन तथा रोजगार। हमें इन्हें पूरा करना है।

हम चाहते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो ताकि पूंजीवादी लोग हमारी योजना को समाप्त न कर सकें।

भारत ने गत 15 वर्षों में बहुत कुछ प्राप्त किया है। कृषि-उत्पादन दो गुना हो गया है। 3 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दे दिया है तथा 450 लाख बच्चों को स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है। भारी उद्योग की नींव डाल दी है। इतना होते हुये भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके लिये समस्त प्रगतिशील शक्तियों को एक साथ मिल कर कार्य करना होगा जो लोकतान्त्रिक समाजवाद में विश्वास रखते हों।

उड़ीसा के नौ जिलों में इस समय सूखा तथा अकाल पड़ा हुआ है। वहां पीने का पानी तक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों को पानी देने की योजना बनाई जाये तथा सैकड़ों छोटी सिंचाई योजनाओं पर कार्य किया जाये। यही उस राज्य की समस्या का वास्तविक समाधान है।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Mr. Deputy Speaker, I was greatly distressed on reading the President's Address. It is a dry address devoid of any interest. The only silver lining in it is when the President stated: "Important national problems must be placed above party politics. Government will be ready to sit with leaders of all parties and take counsel with them on major issues of interest and importance to the nation."

The Government should realise that in a democracy it is not always law and arms which can solve the problems. That should not ignore the common people. Yesterday when we were discussing the adjournment motion I was distressed by the words which the hon. Home Minister Shri Chavan spoke on that occasion. It is not a question of any party politics. We have to create a social system by the democratic methods. It appears that Government has as yet not decided about these vital questions'

I want the President's Address to have indicated something about the Congress Party and its behaviour. There is always a conflict between different social theories. We had conflict with the imperialists. Keeping in view all these things we drafted our Constitution.

Congress in those days was in the hands of people who were against socialism and as such we had to come out of the Congress party.

The President's Address says that our future depends on political institutions. Gandhiji had stated that the Viceroy's House should be converted into a big hospital when India achieves independence. But we find that our Rashtrapatiji still comes to address the Parliament in old coach driven by six horses.

There is some sort stalemate and deadlock in the Congress. We do not give the importance to democratic institutions which they deserve. They have these days adopted some words such as "progress through discussions, "putting across the table", "sitting round the table" and "Consensus," But they never put these words into practice.

The Government's attitude these days is that first they decide their policy and when they are in difficulty, they call the meeting with opposition leaders. They never consult them at the proper time. If you want to do things in a democratic manner, you should hold consultations with people at the proper time and they should be taken into confidence The same thing happened when they appointed the Mahajan Commission.

About the language problem, though I am from a non-Hindi speaking area, yei I believe that Hindi should be the link language of India. The three-language formula is not acceptable. Why should those people study English who have no use of it. When we have created linguistic States, the languages of those States should be made use of. I am

in favour of a bi-lingual formula. We can never run this country through English language. On behalf of my party I can say with certainty that we do not believe in the language formula. We want only a bi-lingual formula. We have done away with the English imperailism but English language is still with us. We do not, however, want to impose either English or Hindi on anybody.

In the matter of economic development too there is no balanced development. Otherwise the peocle of Kerala would not have come to Bombay and other places for employment

I want the stalemate in Congress to go. Those who believe in socialism in that party should join one party and the rest should be in a different party. Those who agitate are rewarded by the Government. Mr. Y. B. Chavan is angry with S.S.P. people and considers them to be left-Communists and dangerous. But we are dangerous only to those who have vested interest.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो भाषा अधिनियम के पास होने के कारण गलती हो गई है उसे सुधारने के लिये कुछ नहीं कहा है। 20 वर्ष से जब से संविधान लागू हुआ है दक्षिण के लोग हिन्दी सीख रहे थे। परन्तु यहां एक दम यह निर्णय किया गया कि अंग्रेजी को समाप्त किया जाये। दक्षिण के सदस्यों ने सरकार का ध्यान दिलाया कि इससे दक्षिण के लोगों पर बड़ा बोझ पड़ेगा परन्तु सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यह भी बताया कि वहां के जो लोग केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षा देंगे उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जब इस प्रकार की अपीलों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वहां के लोगों ने सरकारी सम्पत्ति को नष्ट किया। मैं अब भी सरकार से अपील करता हूँ कि जो भूल हो गई है उसे वह सुधारें और जिन कठिनाइयों का गैर-हिन्दी भाषी लोगों को सामना करना पड़ता हैं उन्हें दूर करें।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो सूखा की स्थिति है उसे सुधारने का कोई उपाय नहीं बताया गया है। हमारे आंध्र प्रदेश में पांच वर्षों में से केवल एक वर्ष ही ठीक वर्षा होती है। बाकी चार वर्ष तो तालाब सूखे रहते हैं। हम गत पांच वर्षों से सूखा की स्थिति में हैं।

वहां पर पीने के लिये पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है परन्तु केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई सहायता नहीं कर रही है। अब तो यह भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की कमी की स्थिति में सहायता करनी चाहिये।

श्री अमियनाथ बोस (आरामबाग) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के दो पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ—एक विदेश नीति पर और दूसरे प्रतिरक्षा नीति पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण से केवल निराशा ही होती है मुझे इंगलैंड के युद्ध से पूर्व के दिनों की याद आती है जब चर्चिल ने जर्मनी के खतरे की चेतावनी दी थी।

[श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri K. C. Bhattacharya in the Chair]

हमें भारत की सुरक्षा के लिये सभी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये । चीन और पाकिस्तान के प्रति हमें कठोर नीति अपनानी चाहिये । हमारे देश के जो क्षेत्र अन्य देशों ने जबर्दस्ती हथिया लिये हैं, हमें उन्हें अविलम्ब मुक्त कराना चाहिये । काश्मीर का भारत से विलय एक अन्तिम निर्णय था । इस प्रश्न पर कोई बातचीत नहीं हो सकती । कुछ लोग काश्मीर को विशेष दर्जा देने की बात करते हैं । यह बात मुझे बिलकुल मान्य नहीं है । हमें काश्मीर को देश के अन्य राज्यों के समान समझना चाहिये । काश्मीर का सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है । अंग्रेजी लोग उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रान्त में सेना का जमाव बनाये रखते थे । अब भारत के लिये वही महत्व काश्मीर का है। हमें काश्मीर में सेना रखनी चाहिये ताकि बिदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबिला किया जा सके । हमें काश्मीर प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न नहीं बनाना चाहिये और इस राज्य को देश के अन्य राज्यों के समान समझना चाहिये ।

बड़े खेद की बात है कि शेख अब्दुल्ला को सरकार इतना अधिक महत्व दे रही है । आकाश-वाणी भी ऐसा ही कर रही है । जो व्यक्ति भारत के प्रति निष्ठा ही नहीं रखता उसे इतना महत्व देना कहां तक उचित है ।

हमें पख्तूनिस्तान के लिये सहायता करनी चाहिये । पूर्वी बंगाल के लोगों को न्याय दिलाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये । तटस्थता की नीति से अब कोई लाभ नहीं होगा । हमें देश के हितों को ध्यान में रखते हुए देश की विदेश नीति निर्धारित करनी चाहिये । हमारी नीति सफल नहीं हुई है । अतः इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । हमें अपने हितों की रक्षा के लिये अन्य देशों से गठजोड़ कर लेना चाहिये ।

देश की शक्ति बढ़ाई जानी चाहिये । हमें अणु बम बनाना चाहिये । आज कुछ देश इसे बना रहे है और उनसे हमारे देश को खतरा हो सकता है । सरकार का सभी संसाधनों को जुटाकर देश को शक्तिशाली बनाना चाहिये । हमें समाजवादी सामज स्थापित करना है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस प्रकार की कोई बात नहीं है । सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है । सामाजिक नियन्त्रण की बात तो लोगों की आंख में धूल झोंकने के समान है । मेरे विचार में तो वर्तमान सरकार पूंजीपति समाज स्थापित करने के लिये कार्यवाही कर रही है ।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूँ ।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । कांग्रेस सरकार ने पिछले 20 वर्षों में लोगों की आशाओं के अनुसार कार्य नहीं किया है परन्तु इस अवधि के दौरान जो प्रगति हुई है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । हमारे देश के समक्ष बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं । हमें उनको ध्यान में रखते हुये प्रगति को देखना चाहिये ।

कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि यह लोगों में दलबदल की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है । मेरे विचार में इसके लिये अन्य दल और लोग बड़े दोषी हैं । दलबदल की समस्या सभी दलों के लिये समस्या है । इन सभी दलों को संयुक्त रूप से विचार करना चाहिये वैसे प्रतिपक्ष वाले तो सभी स्थानों पर सरकार को अपदस्थ करने का प्रयत्न करते ही हैं ।

उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की आप भारत तथा पाकिस्तान से तुलना नहीं कर सकते । यह तो दो भिन्न देश हैं और वहां एक देश के दो भाग हैं । जनेवा समझौते के अन्तर्गत वहां चुनाव होने चाहिये और सरकार बननी चाहिये । आज अमरीकी सेनाएं युद्ध के लिये विद्यमान हैं । यह हमें भूलना नहीं चाहिये । वियतनाम के लोग कितने वर्षों से अमरीका के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं । उन्होंने अमरीका जैसे बड़े देश को नाकों चने चबा दिये हैं । वियतनाम यदि हार जाता है तो उसका भारत पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । हमें भारत सरकार की इस सम्बन्ध में नीति का प्रोत्साहन करना चाहिये ।

कृषि के क्षेत्र में देश ने पर्याप्त प्रगति की है और हमारी आशाएं पूर्ण होती जान पड़ती हैं । कृषि को वैज्ञानिक आधार पर लाया जा रहा है । मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं । अब समय आ गया है कि भूमि सुधार लागू किये जायें । हमारे देश में समाजवाद की बहुत चर्चा हैं परन्तु इसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । आज विश्व के सभी देशों में भूमिसुधार किये जा रहे हैं परन्तु हम इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रहे हैं । अब इस बारे में विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि सरकार अनाज का एक भंडार स्थापित करने जा रही है । सबसे पहले तो हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । इससे हमारी व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा भी बचायी जा सकेगी और वह राशि कृषि के सुधार पर लगायी जा सकेगी । आंध्र प्रदेश में पहले कीटनाशी दवाओं के लिये अधिक सहायता दी जा रही थी परन्तु वह अब कम कर दी गई है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये । सरकार को बड़े-बड़े उद्योगपतियों और धनाढ्य लोगों को राजनीति में नहीं आने देना चाहिये ।

योजना आयोग को अब नया स्वरूप दिया गया है । इस आयोग को देश में सूखे तथा कमी की स्थिति में अधिक कार्य करना चाहिये । मैं नहीं जानता कि पिछले दो वर्षों में जब यहां पर सूखा रहा तो योजना आयोग क्या कार्य कर रहा था ।

स्वचालित मशीनों जैसे संगणकों आदि के विरोध में कहा गया है कि यह बेकारी की समस्या को और भी गम्भीर कर देंगे । इस बारे में हमें सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिये आज के आधुनिक युग में हमें दुनिया में हो रही प्रगतिशील बातों के साथ चलना है, नहीं तो हम और भी पिछड़ जायेंगे । यदि हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है, यदि हमें निर्यात बढ़ाना है तो हमें संगणकों आदि को प्रयोग में लाना होगा। हमारी कपड़ा मिलें इसी कारण बन्द हो रही हैं । योजना आयोग को इस सब पर ध्यान देना होगा । आज अणु शक्ति का युग है । हमें इस शक्ति का भी प्रयोग करना है ।

देश के विभाजन के बाद हमें पाकिस्तान में रहे हिन्दुओं को और पाकिस्तान को भारत में रह रहे मुसलमानों को भूल जाना चाहिये । अब यह दोनों देश अलग-अलग देश हैं ।

यदि किसी हिन्दू के साथ पाकिस्तान में खराब व्यवहार होता है तो भारत की ओर नहीं देखना चाहिये और इसी प्रकार यदि किसी मुस्लिम के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसे पाकिस्तान की ओर नहीं देखना चाहिये । उन्हें अन्य देशों की ओर ध्यान देना चाहिये । भारत के मुसलमानों को इस देश के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिये ।

भाषावाद तथा प्रान्तीयता हमारे देश के लिये बड़े अभिशाप हैं । यह हमारे लिये सबसे बड़े खतरे हैं । इसी प्रकार साम्प्रदायिकता भी एक बड़ी समस्या है । इनके पीछे जो संगठन हैं उन पर नियन्त्रण होना चाहिये । सरकार ने यदि ऐसी कार्यवाही की होती तो रांची जैसे स्थानों पर दंगे नहीं होते । हमें दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति प्रेम और भाईचारे का रवैया अपनाना चाहिये । सरकार को देश के विघटनकारी तत्वों को कठोरता से दबा देना चाहिये ।

हमें अपने देश की महान जनशक्ति का लाभ उठाना चाहिये । विदेशी गुप्तचर विभागों द्वारा भारत में गतिविधियों की जांच होनी चाहिये ।

Shri Achal Singh (Agra) : Sir, I support the motion of thanks on President's address.

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 16 फरवरी, 1968 / 27 माघ, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday the 16th February, 1968/Magha 27, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad -3